रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232726
CG-DL-E-18012022-232726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 241] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

गृह मंत्रालय

(संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 245(अ).— केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्र का विलय) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों, और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र की बाबत निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय विधियों और राज्य विधियों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022 है।

   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897(1897का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार यह भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. इसके प्रकाशन की तारीख से ही, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों और विनियमों को, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किया जाए, इस आदेश से संलग्न अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्ययीन, प्रभावी होगा या यदि इस प्रकार निदेशित किया जाए तो यह निरसित हो जाएगा।

4. जहां इस आदेश में यह अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम या विनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या किसी भाग में कतिपय अन्य शब्दों के लिए कतिपय अन्य शब्द रखे जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा, वहां ऐसे

प्रतिस्थापन या लोप, जैसा भी मामला हो, उसके सिवाय जहां इसके लिए अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित है, किया जाएगा, जहां कहीं निर्दिष्ट शब्द उस धारा या भाग में आते हैं।

5. इस आदेश के उपबंध, जो किसी राज्य विधि या किसी विनियम को अनुकूलित या उपांतरित या निरसित करते हैं ताकि उस रीति, जिसमें प्राधिकरण, जिसके द्वारा या विधि, जिसके अधीन या जिसके अनुसार, कोई शक्तियां प्रयोग किए जाने योग्य हैं, को परिवर्तित किया जा सके, किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, जब्ती, उप-विधि, नियम या विनियम, जो सम्यक रूप से बनाया गया है या जारी किया गया है या तारीख 26 जनवरी, 2020 से पूर्व सम्यक रूप से किए गए किसी कार्य को अमान्य नहीं करेंगे; तथा किसी ऐसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, जब्ती, उप-विधि, नियम, विनियम या किसी अन्य चीज का प्रतिसंहरण, परिवर्तन या निरसन समान रीति में, समान विस्तार तक और समान परिस्थितियों में किया जा सकेगा, मानो यह सक्षम प्राधिकरण द्वारा और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार, इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् बनाया गया था, जारी किया गया था या किया गया था।

6. (1) अधिनियम या विनियम की किसी धारा या उपबंध के लोप या संशोधन या इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि के निरसन से निम्नलिखित प्रभावित नहीं होगा —

(क) इस प्रकार लोप या संशोधित या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध या विनियम या विधि या उसके अंतर्गत सम्यक रूप से की गई या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई किसी चीज का पूर्ववर्ती प्रवर्तन;

(ख) इस प्रकार लोप या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता ;

(ग) इस प्रकार लोप या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध के विरूद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड; या

(घ) उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 या यह आदेश प्रवृत्त नहीं हुआ था।

(2) उप-पैरा (1), में अंतर्विष्ट उपबंध के अध्यधीन, किसी ऐसी विधि या विनियमों के अधीन की गई कोई चीज या कोई कार्रवाई (की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित उप-विधि या स्कीम, प्राप्त प्रमाण-पत्र, दिया गया अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञप्ति या प्रभावी रजिस्ट्रीकरण या निष्पादित करार सहित) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर अब विस्तारित और लागू विधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अंतर्गत किया गया या लिया गया माना जाएगा और तदनुसार प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में अब विस्तारित विधियों के अधीन की गई किसी चीज या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमित नहीं किया गया हो।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

1. राज्य विधि

1. रजिस्ट्रीकरण (गोवा, दमण और दीव संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 24)

1.रजिस्ट्रीकरण (गोवा, दमण और दीव संशोधन) अधिनियम, 1985 (संक्षेप में ''संशोधन अधिनियम'') में, विस्तृत नाम और संक्षिप्त नाम में, ''गोवा'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आया है; ''दादरा और नागर हवेली और'' शब्द रखें।

2. संशोधन अधिनियम की धारा 2 के पश्चात, नई धाराएं 2क से 2ग अंत:स्थापित करें।

"2क. मूल अधिनियम की धारा 2, खंड (2) में ''या किसी पुस्तक का भाग'' के स्थान पर, ''या किसी पुस्तक का भाग और इसमें इलेक्ट्रोनिक रूप में कोई पुस्तक शामिल है'' शब्द रखें।

2ख. धारा 2 में, मूल अधिनियम के खंड (10) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(11) 'दलाल' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकरण कारबार के संबंध में स्वयं के लिए या किसी

दूसरे व्यक्ति के लिए नियोजन हेतु रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में बार-बार आता है।"

2ग. मूल अधिनियम की धारा 17 में –

(i) उप-धारा (1) के खंड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(च) प्रतिवादियों की सहमति से या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, किंतु किसी ऐसे लिखत के आधार पर नहीं जो भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य है यथा, वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रीकृत हक विलेख, किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित कोई डिक्री या आदेश या पंचाट या उसकी प्रति, जहां ऐसे डिक्री या आदेश या पंचाट से वर्तमान या भावी कॉपीराइट, हक या हित, चाहे निहित हो या एक सौ रूपए और उससे अधिक मूल्य पर आधारित हो, या अचल संपत्ति में सृजित, घोषित, समनुदेशित, सीमित, नष्ट किया जाना तात्पर्यित या प्रवर्तित होता हो; और

(छ) एक सौ रुपए और इससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री का करार;

(ज) उस अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) जिसका कब्जा तात्पर्यित अटॉर्नीधारक को सौंप दिया गया है''।

(ii) उप-धारा (2) के खंड (iv) में; ''किसी न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश'' शब्दों के स्थान पर ''किसी न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश, जो उप-धारा (1) के खंड (च) के अधीन आनेवाली डिक्री या आदेश या पंचाट नहीं है'' शब्द रखें;

(iii) उप-धारा (2) के खंड (v) में, ''कोई दस्तावेज जो स्वयं सृजित नहीं करता हो'' शब्द के स्थान पर ''उप-धारा (1) के खंड (छ) में यथा-उल्लिखित विक्रय करार के सिवाय कोई दस्तावेज जो स्वयं सृजित नहीं करता हो'' शब्द रखें;

(iv) उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण का लोप करें।''

3. संशोधन अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, नई धाराएं 3क से 3ड. अंत:स्थापित करें

"3क. मूल अधिनियम की धारा 20, उप-धारा (1) में, ''दस्तावेज निष्पादित करने वाले व्यक्तियों'' के पश्चात् ''और संपत्ति के विक्रय के लिए दस्तावेज की दशा में, उस दस्तावेज के अधीन भी दावा करने वाले व्यक्ति'' शब्द अंत:स्थापित करें।

3 ख. धारा 22क का अंत:स्थापन. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण लोक नीति के विपरीत है।

"22क (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि किसी दस्तावेज या दस्तावेजों के समूह का रजिस्ट्रीकरण लोक नीति के प्रतिकूल है।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण करने वाला अधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा जिसको उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना लागू है,''

3ग. मूल अधिनियम की धारा 28 में, "धारा 17, खंड(क), (ख), (ग), (घ) और (ड.)उप-धारा(1),'' के स्थान पर ''धारा 17 का "खंड (क), (ख), (ग), (घ) (ड.) (च) (छ) और (ज)''शब्द रखें।

3घ. मूल अधिनियम की धारा 34 में –

(i) उप-धारा (1) में, "दस्तावेज निष्पादित करने वाले व्यक्तियों", शब्द के पश्चात्"और संपत्ति की बिक्री के लिए दस्तावेज की दशा में; उस दस्तावेज के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति''; शब्द अंत:स्थापित करें।

(ii) उप-धारा (3) के खंड (ख) में, ''दस्तावेज को निष्पादित किया'' शब्द के पश्चात्, ''या वे दस्तावेज के अंतर्गत दावा कर रहे हैं'' शब्द अंत:स्थापित करें।

3ड. धारा 34क का अंत:स्थापन–मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी :-

संपत्ति का विक्रय या

"34क.इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, संपत्ति की बिक्री के लिए कोई भी दस्तावेज

दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए दस्तावेज के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति

इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि दस्तावेज के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति ने भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर दिया हो।''

4. धारा 5क का अंत:स्थापन – संशोधन अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

''5क – मूल अधिनियम की धारा 50 में, ''धारा 17 के खंड (क)(ख), (ग), (घ) और (ड.)उप-धारा (1)'' शब्द के लिए ''धारा 17 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) (ड.) (च) (छ) और (ज)'' शब्द रखें।

5. संशोधन अधिनियम की धारा 6 में, खंड (ख) के पश्चात् खंड (ग) अंत:स्थापित करें,

'(ग) मूल अधिनियम में, उप धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

'' (5) यदि उपधारा (i) में उल्लिखित पुस्तकों में से किसी को नष्ट किया जाता है या रजिस्ट्रार की राय में नष्ट होने का खतरा है या पूर्णत: या अंशत: अपठनीय है, तो रजिस्ट्रार, किसी लिखित आदेश द्वारा, ऐसी पुस्तक या उसके किसी भाग को, जो वह ठीक समझता है, यथास्थिति पुनर्निमाण या प्रतिलिपि बनाने का आदेश दे सकेगा और धारा 69 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति में अधिप्रमाणन तथा ऐसे निदेश के अधीन तैयार और अधिप्रमाणित प्रति, इस अधिनियय के प्रयोजन के लिए किया गया समझा जाएगा और इस अधिनियम में मूल पुस्तक या उसका भाग होने और सभी निर्देश मूल पुस्तक या उसके भाग के लिए उस प्रकार तैयार किया गया और अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा।''

6. संशोधन अधिनियम की धारा 7 के बाद, नई धारा 7क अंत:स्थापित करें।

"7क. मूल अधिनियम की धारा 53 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह कि जहां पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में है, वहां उस पुस्तक में सभी प्रविष्टियां और संख्यांक तथा मैनुअल रूप में रखी गई पुस्तक एक समान होगी।''

7. संशोधन अधिनियम की धारा 9 के बाद, नई धारा 9क अंत:स्थापित करें.

"9क. मूल अधिनियम की धारा 58 में, –

(i) उप-धारा (1) में, खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(कक) संपत्ति की बिक्री के लिए दस्तावेज की दशा में, ऐसे दस्तावेज के अधीन दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसको शामिल किया जाना, और यदि ऐसे दावे को किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि, समनुदेशक या अभिकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तो ऐसे प्रतिनिधि, समनुदेशक या अभिकर्ता के हस्ताक्षर और उनको शामिल किया जाना;"

(ii) उप-धारा (2), के बाद, ''किसी दस्तावेज के निष्पादन'' के बाद ''और संपत्ति की बिक्री के लिए दस्तावेज की दशा में, ऐसे दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार करने वाला कोई व्यक्ति या उस दस्तावेज के अंतर्गत दावा करने वाला कोई व्यक्ति'' अंत:स्थापित करें".

8. संशोधन अधिनियम की धारा 12 के बाद, धाराएं 12क से 12घ अंत:स्थापित करें ।

"12क. नई धाराएं 68क और 68ख –मूल अधिनियम की धारा 68 के बाद निम्नलिखित धाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी:-

अननुज्ञप्त व्यक्ति का प्रतिषेध

"68क. (1) जो व्यक्ति धारा 68-ख के अधीन यथा उपबंधित अनुज्ञप्त नहीं है वह दस्तावेज-लेखक और दस्तावेज तैयार करने की वृत्ति में स्वयं को लगाएगा और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज, जिसके पास अनुज्ञप्ति नहीं है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि किसी वकील या अभिवक्ता या मुख्तार द्वारा धारा 68-ख के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) इस धारा में कोई भी बात दस्तावेज के निष्पादक को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले किसी दस्तावेज को तैयार करने या स्वयं के लिए किसी अन्य ऐसे कार्य को करने,

जिसके लिए अनुज्ञप्त दस्तावेज-लेखक को अन्यथा लगाया जा सकता था, से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी।

(3) इस धारा में,कोई भी बात भारत के बाहर या संघ राज्य क्षेत्र के बाहर निष्पादित किसी दस्तावेज या एक उप-जिला या एक जिला के लिए अनुज्ञप्ति धारक दस्तावेज-लेखक द्वारा तैयार तथा यथास्थिति, दूसरे उप-जिला या दूसरे जिला में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत विल या दस्तावेज या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणों या अन्य कॉरपोरेट निकायों द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित दस्तावेजों को लागू नहीं होगी।

दस्तावेज-लेखकों को अनुज्ञप्ति प्रदान करना

68ख.-(1) जिले का रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी एक लिखित परीक्षा, जो विहित की जाए, संचालित करने के पश्चात्, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक द्वारा विहित की जाए, इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर दस्तावेज-लेखक या दस्तावेज लेखक के अप्रेंटिस को विहित प्ररूप में; एक उप-जिले या एक जिले में विधिमान्य अनुज्ञप्ति दे सकेगा।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दिया जा सकेगा जो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय विधियों और राज्य विधियों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022के प्रवृत्त होने की तारीख से कम से कम दस वर्ष पूर्व से दस्तावेज-लेखक की वृत्ति में रहा है और जिसके लिए उसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में बैठना अपेक्षित नहीं होगा, यदि किसी जिले का रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह दस्तावेज लेखक की वृत्ति आरंभ करने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।''

(3) उप-धाराएं (1) और (2) के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति उस वर्ष, जिसमें यह जारी किया गया था, के 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगा और यह ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के पहले नवीकरण के अध्यधीन होगा।

(4)(क) उप धाराएं (1) और (2) के अधीन प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति को किसी भी समय, विहित शर्तों के भंग होने या जिले के रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे किसी अन्य कारण से निलंबित या रद्द किया जा सकेगा जिसके लिए दस्तावेज लेखक को अनुज्ञप्ति के प्रस्तावित निलंबन या रद्दकरण के विरूद्ध कारण बताने का पर्याप्त अवसर दिया गया हो और उस पर सम्यक रूप से विचार किया गया हो।

(ख) इस धारा के अधीन पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के समक्ष अपील की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण . -धाराएं 68क और 68ख के प्रयोजनार्थ,

(i) "दस्तावेज लेखक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो दस्तावेज तैयार करने की वृत्ति अर्थात अभिहस्तांतरण-लेखन का कार्य करने, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए हक का अन्वेषण, विलेखों का मसौदा तैयार करना और प्रतियां यदि कोई हों, सहित विलय को रोचक और अनुलिपि करना, या अधिनियम के अधीन खोज और निरीक्षण करना शामिल है, में लगा हुआ है।

(ii) "शिक्षु" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दस्तावेज लेखक को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज तैयार करने में सहायता करता है और उनको (प्रतियां सहित, यदि कोई हों) अनुलिपि करता है।

12ख. धारा 69 में, मूल अधिनियम की उप-धारा (1) के लिए, खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(खख) दस्तावेज लेखकों और उनके शिक्षुओं (अप्रेंट्रिंस) को अनुज्ञप्ति प्रदान करने, ऐसे अनुज्ञप्तियों के निलंबन और रद्दकरण, ऐसे निबंधनों और शर्तों, जिनके अधीन ऐसे अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाते हैं और साधारणतया रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत

किए जाने वाले दस्तावेजों के लेखन से संबंधित सभी अन्य प्रयोजनों का उपबंध करना।"

12ग. मूल अधिनियम की धारा 70 के बाद, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें -

"भाग XI-क इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के द्वारा दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण

इस भाग का लागू होना।

"70क.यह भाग केवल ऐसे क्षेत्रों को लागू होगा जिसकी बाबत अधिसूचना धारा 70ख के अधीन संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक युक्तियों द्वारा स्कैन किए गए दस्तावेज

"70ख. (1) संघ राज्यक्षेत्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि किसी भी कार्यालय में, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी भी श्रेणी या श्रेणियों के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए और प्रतिलिपि तैयार करने का कार्य कम्प्यूटरों, स्कैनर्स की सहायता से किया जाए और प्रतिलिपियों पर कम्पैक्ट डिस्क को ऐसी युक्तियों को संरक्षित रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुन: प्राप्त किया जाए।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इलेक्ट्रानिक युक्तियों का प्रयोग करके रजिस्ट्रीकृत और स्कैन किए गए और कार्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित या अभिप्रमाणित किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि को उक्त दस्तावेज में यथावर्णित किसी भी संव्यवहार के साक्ष्य में प्राप्त भी किया जाएगा।

व्यावृत्ति .

70ग. इस भाग में की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, -

(i) कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में ऐसी स्थिति में नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के द्वारा संसाधित किए जाने के लिए उपयुक्त हो;

(ii) रजिस्ट्रीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के खराब होने जैसी अप्रत्याशित स्थिति में:

परंतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके लिए लिखित में कारणों को अभिलिखित करेगा:

परंतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के खराब होने के कारण इस भाग के लागू नहीं होने की अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों का आंकडा और प्रतिबिम्बों की पुन: प्राप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक द्वारा विहित रीति में कम्प्यूटर प्रणाली में सम्यक रूप से शामिल कर लिए जाएं।"

12घ. धाराएं 80क से 80 छ का अंत:स्थापन–मूल अधिनियम की धारा 80के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात; -

फीस की वसूली और प्रतिदाय के लिए उपबंध

"80क.(1) यदि निरीक्षण के पश्चात् या अन्यथा यह पाया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन देय किसी फीस का संदाय नहीं किया गया है या पर्याप्त रूप से संदाय नहीं किया गया है तो ऐसे फीस को (उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मांगे जाने पर संदाय करने में विफलता के पश्चात्), रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के प्रमाण-पत्र पर उस व्यक्ति से, जिससे ऐसी मांग की गई है, भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूला जाएगा। महानिरीक्षक का प्रमाण पत्र अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकेगा ;

परंतु यह कि ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि पड़ताल नहीं की जाती है और ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर नहीं दिया जाता है।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक यह पाता है कि फीस की राशि उस राशि से अधिक है जो विधिक रूप से प्रभार्य है और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसका संदाय किया गया है तो लिखित में या अन्यथा आवेदन किए जाने पर उस अधिक राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने की शक्तियां

80ख.(I) किसी जिले का प्रत्येक रजिस्ट्रार अपने कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में और प्रत्येक उप-मंडल मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता के भीतर के रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार और प्रकाशित कर सकेगा जो साधारण प्रतिष्ठा या अन्यथा साक्ष्य द्वारा उसके समाधान या किसी उप-रजिस्ट्रार के

समाधान के अनुरूप यह साबित हो, जैसा कि धारा 80-क में उपबंधित है, कि वह दलालों के रूप में आभ्यासिक कार्य करता है और वह ऐसी सूचियों को समय-समय पर परिवर्तित और संशोधित कर सकेगा।

(2) किसी ऐसी सूची में किसी व्यक्ति का नाम तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक उसको ऐसे नाम शामिल किए जाने के विरूद्ध कारण बताने का समुचित अवसर न दिया गया हो ।

(3) जहां किसी व्यक्ति का नाम इस धारा के अधीन उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार और प्रकाशित सूची में शामिल किया जाना है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी सूची, जिसमें उसका नाम सर्वप्रथम आता है, में प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर, ऐसी सूची से अपने नाम को हटाने के लिए जिले के रजिस्ट्रार को लिखित में आवेदन कर सकेगा और ऐसी जांच (यदि कोई है), जो रजिस्ट्रार ऐसे आवेदनों पर आवश्यक समझे, के बाद पारित उसके आदेश अंतिम होंगे।.

संदिग्ध दलालों के बारे में उप रजिस्ट्रार द्वारा जांच

80ग. किसी जिले के रजिस्ट्रार या उप-मंडल मजिस्ट्रेट ऐसे प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर किसी उप रजिस्ट्रार को दलाल होने के कथित या संदिग्ध व्यक्ति का नाम भेज सकता है और उस पर उप-रजिस्ट्रार उस व्यक्ति के आचरण की जांच करेगा और उसको धारा 80ख की उप-धारा (2) में यथाउपबंधित कारण बताने का अवसर देने के पश्चात्, उस प्राधिकारी को, जिसने यह अनुरोध किया था, यह रिपोर्ट देगाकि क्या वह व्यक्ति उप-रजिस्ट्रार के समाधान में दलाल साबित हो गया है, और यह कि प्राधिकारी उस व्यक्ति का नाम धारा 80ख की उप-धारा (1) के अधीन अपने द्वारा तैयार और प्रकाशित दलालों की सूची में प्रकाशित कर सकता है:

परंतु यह कि ऐसा प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनेगा जो अपने नाम के इस प्रकार शामिल किए जाने से पहले उसके समक्ष उपस्थित होता है और सुने जाने की इच्छा व्यक्त करता है।

रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में दलालों की सूची का प्रदर्शन

80घ. ऐसी प्रत्येक सूची की प्रतिलिपि उस प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी जिससे वह संबंधित है।

रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के परिसर से दलालों का अपवर्जन

80ङ. कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के परिसरों से किसी व्यक्ति के नाम को हटा सकता है जिसका नाम किसी ऐसी सूची में शामिल है।

रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के परिसरों के भीतर पाए गए दलालों के बारे में धारणा

80च. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम धारा 80ङ. के अधीन रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के परिसर से हटा दिया गया है और जो किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के परिसर के भीतर पाया जाता है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से लिखित अनुमति के बिना धारा 82क के प्रयोजनों के लिए दलाल के रूप में कार्य करता हुआ माना जाएगा।:

परंतु यह कि यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिए आशयित दस्तावेज का एक पक्षकार है या उसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की किसी प्रक्रिया द्वारा उपस्थित होने का निदेश दिया गया है।

दलालों की गिरफ्तारी और विचारण

80छ. (1) कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लिखित में आदेश द्वारा आदेश में नामित किसी व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के परिसर के भीतर पाए गए ऐसे किसी भी दलाल को गिरफ्तार करे। ऐसे दलाल को तदनुसार गिरफ्तार किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा।

(2) यदि दलाल अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974का 2) की धारा 345 के उपबंध जहां तक साध्य हो उसके निरोध, विचारण और दंड को लागू होंगे।'

(3) यदि दलाल अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है तो उक्त संहिता की धारा 346 के उपबंध उसके निरोध, विचारण और दंड को इसी प्रकार लागू होंगे।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इन धाराओं के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय माना जाएगा।''

9. संशोधन अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्, नई धारा 14क अंत:स्थापित की जाएगी।

14क. धाराएं 82क और 82ख का अंत:स्थापन – मूल अधिनियम की धारा 82 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

बिना अनुज्ञप्ति के दस्तावेज लिखने के लिए शास्ति

"82क.(1) किसी ऐसी तारीख को और से जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के सिवाय, किसी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दस्तोवज नहीं लिखेगा :

परंतु इस उप-धारा में की कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां ऐसे दस्तावेज का लेखक, निष्पादक का प्राधिकृत अभिकर्ता या दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए निष्पादक द्वारा नियुक्त अभिवक्ता या ऐसे अभिवक्ता का रजिस्ट्रीकृत लिपिक है।

परंतु यह और कि जो कोई उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा।".

शास्ति

"82ख.जो कोई भी दलाल के रूप में कार्य करता है उसका नाम इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई, प्रकाशित की गई दलालों की सूची में शामिल किया जाता है:

परंतु पहले अपराध के लिए ऐसे कारावास की अवधि तीन माह से कम नहीं होगी और जुर्माना की राशि पांच हजार रुपए से कम नहीं होगी:

परंतु यह और कि दूसरे अपराध के लिए ऐसे कारावास की अवधि छह माह से कम नहीं होगी और जुर्माना की राशि दस हजार रुपए से कम नहीं होगी; और

परंतु यह और कि तीसरे या उसके बाद के अपराध के लिए ऐसे कारावास की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना की राशि बीस हजार रुपए से कम नहीं होगी;''

10. संशोधन अधिनियम की धारा 15 के पश्चात्, नई धारा 15क अंत:स्थापित की जाएगी।

15क. धारा 87क का अंत:स्थापन – मूल अधिनियम की धारा 87के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी :-

शक्तियों का प्रत्यायोजन

"87क.दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, आदेश द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अपने को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को प्रत्यायोजित कर सकता है, जो इनका प्रयोग ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन करेगा जैसा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव अधिरोपित करे और वे इसी रीति में इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति को वापस भी ले सकता है।''

2. गोवा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1984

(1984 का 7)

1. मूल अधिनियम में, उद्देशिका में, विस्तृत नाम में, संक्षिप्त नाम में, धारा 2 के खंड (19) और (20) में और धारा 3की उपधारा (1) एवं (3) में ''गोवा'' शब्द जहां कहीं भी आया हो उसके स्थान पर ''दादरा और नागर हवेली तथा दमण एवं दीव'' शब्द रखें जाएंगे''।

2. पूरे मूल अधिनियम में, ''आगंतुक'' शब्द जहां कहीं भी आया हो उसके स्थान पर ''कुलाधिपति'' शब्द को रखा जाएगा।

3. धारा 2.–

(i) खंड (11) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सरकार" से दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है जिसका प्रधान संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक होगा।''

(ii) खंड (14), के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(14क) "विहित" से इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;"

(iii) खंड (18), में, ''प्राध्यापक'' शब्द के स्थान पर ''सहायक प्रोफेसर, एसोसएिट प्रोफेसर'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा3.–उप-धारा (2)में, ''पन्जी'' शब्द के स्थान पर ''ऐसा स्थान जो सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किया जाए'' शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 8–

(i) उप-धारा (1) में, "उप राज्यपाल'' शब्द के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-धारा (11), के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात :-

"(12) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(13) कुलाधिपति, यदि उपस्थित होगा, डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।''

6. धारा 9.–"(1)कुलाधिपति"शब्द का लोप किया जाएगा।

7. धारा 10.–धारा 10 का लोप किया जाएगा।

8. धारा 11क का अंत:स्थापन–धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात:-

कुलपति के कार्यकाल का विस्तार। **"11क.**इस अधिनियम या संविधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, कुलपति के कार्यकाल को ऐसी अवधि के लिए विस्तार कर सकता है, जो पदधारक के कार्यकाल के अवसान की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।''

9. धाराएं 15क से 15ग का अंत:स्थापन –धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

सेवानिवृत्ति आयु

15क. (1) *दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव विश्वविद्यालय तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों ,चाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है या नहीं, के शिक्षण कर्मचारीवृंद जिसमें ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य भी शामिल हैं, की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति आयु पैंसठ वर्ष होगी।*

परंतु उपर्युक्त शिक्षण कर्मचारीवृंद का कोई भी सदस्य, जो पैंसठ (65) वर्ष में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाला है, शिक्षण कर्मचारीवृन्द के ऐसे सदस्य को उस माह के, जिसमें अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होती है, अंतिम दिवस के अपराह्न से सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) *दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव विश्वविद्यालय तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव विश्विद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों, चाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है या नहीं, के शिक्षण कर्मचारीवृंद से भिन्न व्यक्तियों की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति आयु साठ वर्ष मात्र होगी।*

विश्वविद्यालय और इसके प्राधिकारियों पर पाबंदी

15.ख दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव विश्वविद्यालय या उस विषय के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्राधिकरण को दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव विश्वविद्यालय के किसी शिक्षण कर्मचारीवृंद अथवा किसी अन्य कर्मचारी अथवा उक्त विश्वविद्यालय के सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के किसी शिक्षण कर्मचारीवृंद अथवा किसी अन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु अथवा सेवा में विस्तार

विषय से संबंधित कोई संविधि बनाने की कोई शक्तियां नहीं होगी और यदि ऐसी कोई शक्तियां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त हुई हैं तो वे, उस सीमा तक, निरसित हो जाएंगी। इस प्रकार बनाई या विद्यमान कोई भी संविधि, उस सीमा तक, जहां तक वह दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय विधियों और राज्य विधियों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022 के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करती है, शून्य मानी जाएगी और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

15ग इस अधिनियम अथवा विश्वविद्यालय की संविधियों और अध्यादेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिसूचना, नियमों, विनियमों, डिग्री, न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय, परिपत्रों अथवा अनुदेशों के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों, चाहे सहायता प्राप्त हैंअथवा नहीं, का प्रत्येक कर्मचारी, जो गैर शिक्षण श्रेणी में आता है, ''घ'' श्रेणी के कर्मचारियों के सिवाय, साठ वर्ष की आयु में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा।''

10. धारा 23. उप-धारा (5) के परंतुक में, "और ऐसी संविधियां विधानसभा के समक्ष रखी जाएंगी'' शब्दों का लोप किया जाएगा।"

11. धाराएं 25क और 25ख का अंत:स्थापन–धारा 25 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय के कतिपय प्रस्तावों पर सरकार का पूर्व अनुमोदन

"25क. -(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, समय-समय पर, विश्वविद्यालय के ऐसे प्रस्तावों पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा, जिनमें से प्रत्येक की राशि इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा विहित राशि से अधिक है और इनका निष्पादन विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदानों पर प्रभारित करके किया जाना है।

(2) सरकार विश्वविद्यालय से अपेक्षा कर सकती है कि वह सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों में से उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यय का ब्योरा एवं अभिलेख प्रस्तुत करे और विश्वविद्यालय तदुपरांत उसके विनिर्दिष्ट समय के भीतर सरकार को उक्त ब्योरे एवं अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

(3) सरकार द्वारा स्वीकृत रकम में से किए गए व्यय को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए, सरकार, उपर्युक्त उप-धारा (1) के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकती है या विश्वविद्यालय को उसके बारे में ऐसे निदेश दे सकती है, जो वह उचित समझे। विश्वविद्यालय सरकार द्वारा उसके लिए विनिर्दिष्ट समय, यदि कोई है, के भीतर ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(4) इस धारा के प्रयोजनार्थ, सरकार इन विषयों को देखने के लिए सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए पालन की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें विहित कर सकती है जो वह उचित समझे।

नियम बनाने की शक्ति

25ख.सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों, विशेषकर धारा 25क के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

परंतु इस धारा के अधीन नियम बनाने के प्रथम अवसर पर विश्वविद्यालय के साथ परामर्श आवश्यक नहीं होगा किंतु सरकार किन्हीं ऐसे सुझावों को ध्यान में लेगी जो विश्वविद्यालय ऐसे नियमों, उनके बनाए जाने के बाद, में संशोधन के संबंध में देता है।''

12. धारा 27.–

(i) उप-धारा (3)के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा किए गए किसी प्रेक्षण पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा और

उसके बारे में इसकी व्याख्या/स्पष्टीकरण को कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) उप-धारा (4)में, "जो यथाशीघ्र, इसे विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए कारित करेगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

13. धारा 31.–उप-धारा (2)में,"1925" के स्थान पर "1952"रखा जाएगा।

14. धारा 38.–खंड (क) में "प्रथम कुलाधिपति और"शब्दों का लोप किया जाएगा।

15. धारा 39.–धारा 39 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

बम्बई विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय अथवा वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में अध्ययन के पाठ्क्रमों को पूरा किया जाना .

"39. इस अधिनियम अथवा संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित और बम्बई विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय अथवा वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय अथवा संस्थान के किसी छात्र, जो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय विधियों और राज्य विधियों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले अध्ययन कर रहा था अथवा परीक्षा के लिए पात्र था, को उसकी तैयारी में उसके पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी, और विश्वविद्यालय ऐसी रीति का उपबंध करेगा जो वह बम्बई विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय अथवा वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रमों के अनुसार ऐसे छात्र के अनुदेश, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए निर्णय करें तथा ऐसे छात्रों को बम्बई विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय अथवा वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में बैठने के लिए ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए अनुमति दी जाएगी जो समुचित विश्वविद्यालय निर्णय करे, तथा वह बम्बई विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय अथवा वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य विशिष्टता प्राप्त करने के लिए प्राप्त होगा।"

16. धारा 39क का अंत:स्थापन–धारा 39 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात:-

स्नातकोत्तर अनुदेश और अनुसंधान केंद्र का प्रभार लेना

"39क. (1) ऐसी तारीख से, जो बम्बई विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय अथवा वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय द्वारा नियत की जाए, विश्वविद्यालय दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव में प्रचालित स्नातकोत्तर अनुदेश और अनुसंधान केंद्र का प्रभार लेगा तथा उस तारीख से ठीक पहले उस केंद्र में निहित सभी अधिकार, हक और देयताएं विश्वविद्यालय में निहित हो जाएंगी।

(2) विश्वविद्यालय, जो और जब वह उचित समझे, यह घोषित कर सकता है कि उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्रभार में लिए गए केंद्र को ऐसी तारीख से बंद कर दिया जाएगा जो घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाए तथा केंद्र को तदनुसार बंद माना जाएगा:

परंतु किसी भी छात्र को, जो उस तारीख से ठीक पहले उस केंद्र में अध्ययन कर रहा था, अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी तथा विश्वविद्यालय उस तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए उसे अनुदेश, शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा ऐसा छात्र ऐसी परीक्षा देने के लिए पात्र होगा:

परंतु यह और कि कोई अन्य छात्र, जो उस तारीख से ठीक पहले बम्बई विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय अथवा वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालयकी किसी परीक्षा के लिए पात्र था, ऐसी परीक्षा दे सकेगा।"

17. अनुसूची में .—

(i) खंड (1), उप खंड 4 (i) में, ''प्रति माह तीन हजार रुपए के'' शब्दों के स्थान पर ''जैसा कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए'' शब्द रखे जाएंगे";

(ii) खंड (1) के उप खंड (5) में, ''प्रोफेसर'' शब्द के स्थान पर ''डीन'' शब्द रखा जाएगा;

(iii) खंड (3) के उप खंड (1) के परंतुक में, ''साठ वर्ष'' के स्थान पर ''पैंसठ वर्ष'' शब्द रखा जाएगा;

(iv) खंड (4) के उप खंड (2) के दोनों परंतुकों में, ''साठ वर्ष'' के स्थान पर ''पैंसठ वर्ष'' शब्द रखा जाएगा;

(v) खंड 15 के स्थान पर, निम्नलिखित रखे जाएंगे -

(1) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेज एवं संस्थान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, व्याख्याता (चयनग्रेड, व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल), व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, डीन और प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यकारी परिषद को सिफारिश करने के लिए चयन समिति होगी।

(2) नीचे तालिका के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति कुलपति, कुलाधिपति के नाम निर्देशिती और उक्त तालिका के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को मिलाकर बनेगी तथा ऐसे विभाग में, जहां कोई विभागाध्यक्ष नहीं है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, व्याख्याता (चयन ग्रेड), व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल) अथवा व्याख्याताओं की नियुक्ति की दशा में, यह समिति अपने सदस्यों से योजना मंडल द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति को भी मिलाकर बनेगी।

प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर	(i) संबंधित संकाय/कार्यक्रम का डीन। (ii) संबंधित विभाग/केंद्र का प्रधान यदि वह प्रोफेसर है और डीन नहीं है; (iii) एक प्रोफेसर, जिसे कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाए; तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्देशित तीन व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है और जिनको ऐसे विषय, जिससे यथास्थिति, प्रोफेसर संबंधित होगा, का विशेष ज्ञान होगा अथवा उसमें अभिरूचि होगी।
विभागाध्यक्ष/व्याख्याता (चयन ग्रेड)/ व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल)/व्याख्याता	(i) संबंधित विद्यालय का डीन; (ii) संबंधित विभाग/केंद्र का प्रधान यदि वह डीन नहीं है; (iii) एक प्रोफेसर, जिसे कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाए; तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है और जिनको ऐसे विषय, जिससे यथास्थिति, विभागाध्यक्ष/व्याख्याता संबंधित होगा, का विशेष ज्ञान हो अथवा उसमें अभिरूचि हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, जिनको पुस्तकालय विज्ञान, अथवा पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो; तथा । एक, ऐसा व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो, कार्यकारी परिषद द्वारा नाम निर्देशित हो।
विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय और संस्थान का डीन/प्राचार्य	तीन ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो, जिनमें से दो व्यक्तियों को कार्यकारी परिषद द्वारा और एक व्यक्ति को शैक्षणिक परिषद द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा, जिनके पास उस विषय का ज्ञान अथवा उसमें अभिरूचि हो, जिसमें उस महाविद्यालय अथवा

	संस्थान द्वारा अनुदेश प्रदान किया जा रहा है।

टिप्पणी : (1) जहां नियुक्ति अंतर विषयक परियोजना के लिए की जा रही है वहां परियोजना का प्रमुख संबंधित विभाग/केंद्र का प्रधान माना जाएगा।

(2) नामनिर्देशित किए जाने वाला प्रोफेसर उस विशेषज्ञता, जिसके लिए चयन किया जा रहा है, से संबंधित प्रोफेसर होगा और यह कि कुलपति ऐसे प्रोफेसर को नामनिर्देशित करने से पहले विभाग/केंद्र के प्रधान और विद्यालय के डीन से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(4) चयन समिति की बैठकें कुलपति द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जाएंगी।

(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाए।

(6) यदि कार्यकारी परिषद, चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ है तो वह अपने कारणों को अभिलेखित करेगी और अंतिम आदेशों के लिए कुलाधिपति को मामला प्रस्तुत करेगी।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे दर्शाई गई रीति में की जाएंगी :-

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक अवधि के लिए है तो इसे पूर्वगामी खंड में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह पर भरा जाएगा:

परंतु यह कि यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि कार्य के हित में रिक्ति को भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उप-खंड (ii)में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति द्वारा विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर छह माह से अनधिक अवधि के लिए की जा सकेगी।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति संबंधित संकाय के डीन, विभागाध्यक्ष और कुलपति के नामनिर्देशिती से मिलकर बनी स्थानीय चयन समिति की सिफारिश की जाएगी;

परंतु यह कि यदि एक ही व्यक्ति डीन और विभागाध्यक्ष के पद धारित करता है, तो चयन समिति कुलपति के दो नाम निर्देशितियों को रख सकती है;

परंतु यह और कि मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से शिक्षण पदों में उत्पन्न अचानक आकस्मिक रिक्तियों की दशा में, डीन संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक माह के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकता है, और ऐसी नियुक्ति के बारे में रजिस्ट्रार को सूचित कर सकता है।

(iii) अस्थायी रूप से नियुक्त किसी भी शिक्षक को यदि उसकी इन कानूनों के अधीन नियुक्ति के लिए नियमित चयन समिति द्वारा सिफारिश नहीं की जाती है, तो वह ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में बना नहीं रह सकेगा जब तक कि उसे बाद में, यथास्थिति अस्थायी अथवा स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति अथवा नियमित चयन समिति द्वारा चयनित नहीं कर लिया जाए।''

3. गोवा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम, 2018

(2018 का 14)

(दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुकूलित)

1.मूल अधिनियम में, विस्तृत नाम में, उद्देशिका में, संक्षिप्त नाम में, धारा 2 के खंड (ख) और (ड.) में, और धारा 3 की उप धारा (1), उपधारा (2) के खंड (क) और (ड.) तथा उप-धारा (3) में, ''गोवा'' शब्द जहां कहीं भी आया है वहां उसके स्थान पर ''दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे।

2. धारा 1.–उप-धारा (2) में, ''गोवा राज्य'' के स्थान पर ''दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 2.–

(i) खंड (ख) में, ''गोवा सरकार'' शब्द के स्थान पर''दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे।''

(ii) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ज) "सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की अध्यक्षता में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।''

(iii) खंड (त) में, ''गोवा राज्य'' के स्थान पर, ''दादरा और नागर हेवली और दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे।''

4. धारा 3.–

(i) उप-धारा (2) के खंड (क) में, ''मुख्यमंत्री'' शब्द के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा।

(ii) उप-धारा (2) के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) सचिव, शिक्षा, वित्त सचिव, उच्चतर शिक्षा निदेशक और तकनीकी शिक्षा निदेशक पदेन सदस्य होंगे।''

5. धारा 5.–

(i) खंड (न) में, ''।'' के स्थान पर " ; ''रखे;"

(ii) उप-धारा (2) के खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(प) सरकार द्वारा समनुदेशित कोई अन्य कार्य।"

6. धारा 22.–

(i) उप-धारा (1) को धारा 22 के रूप में पुनर्संख्यांकित करें।

(ii) उप-धारा (2) का लोप करें।

7. धारा 24.–

(i) उप-धारा (1) को धारा 24 के रूप में पुनर्संख्याकिंत करें।

(ii) उप-धारा (2) का लोप करें।

4. गोवा, दमण और दीव विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1984

(1985 का 15)

1. मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्ष की उद्देशिका के लघु शीर्ष में, धारा 1 की उप-धारा (2) में और धारा 2 के खंड (ध) और (य) तथा धारा 24 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (क) में ''गोवा'' शब्द जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर ''दादरा और नागर हवेली तथा'' शब्द रखें।

2. धारा 2.–

(i) खंड (च) और (ञ) में, ''गोवा सरकार'' शब्द के स्थान पर''दादरा और नागर हवेलीसंघ राज्यक्षेत्र प्रशासन तथा'' शब्द रखें।"

(ii) खंड (1) के उप-खंड (i) में, ''गोवा, दमण और दीव नागर पालिका अधिनियम, 1968'' के स्थान पर ''दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव नागर पालिका परिषद विनियम, 2004 (2014 का 2)'' रखें। ".

(iii) खंड (।) के उप-खंड (ii) में, ''गोवा, दमण और दीव ग्राम पंचायत विनियम, 1962'' के लिए ''दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियम, 2012 (2012 का 5)'' रखें।"

(iv) खंड (न) के पश्चात, निम्नलिखित खंडअंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(नन)", ''आवासीय विद्यालय'' से एक ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है जो अपने छात्रों को रहने एवं खाने-पीने की सुविधाएं प्रदान करता है,

(च) "विद्यालय" से पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतरमाध्यमिक विद्यालय या ऐसे विद्यालयअथवा किसी अन्य संस्थाओं का कोई भाग अभिप्रेत है जो डिग्री स्तर से नीचे की शिक्षाअथवा प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें ऐसी संस्था, जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती हैं तथा आश्रम विद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और घुमंतू जनजातियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय) शामिल हैं;

(V) खंड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

(भ) "अधिकरण" से प्रशासनिक अधिकरणअभिप्रेत है;

3. धारा 4 - धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात:-

"(1) सरकार इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र में सभी विद्यालयों में शिक्षा को विनियमित कर सकती है।

(2) सरकार को संघ राज्यक्षेत्र में विद्यालय शिक्षा के योजनाबद्ध विकास हेतु उपबंध करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से, प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तियों का संगम, सोसाइटी अथवा न्यास, जो विद्यालयों अथवा विद्यमान विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं स्थापित करने के इच्छुक है, यथास्थिति, ऐसे विद्यालय स्थापित करने अथवा विद्यमान विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं खोलने के पूर्व, ऐसी रीति में और ऐसे फीस का भुगतान करके, जो विहित किए जाएं, लिखित में निदेशक को आवेदन करेगा।

(3) निदेशक, उसको किए गए आवेदन में विनिर्दिष्ट विवरणों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के संगम, सोसाइटी अथवा न्यास को, आवेदित जोन ओर क्षेत्र में यथास्थिति, विद्यालय स्थापित करने अथवा विद्यमान विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं खोलने की अनुमति दे सकता है;

परंतु यह कि निदेशक, यदि उसकी यह राय है कि ऐसे जोन अथवा क्षेत्र, जहां विद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है अथवा जहां अतिरिक्त कक्षाएं खोला जाना प्रस्तावित है, में विद्यमान विद्यालयों की संख्या उस जोन अथवा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, आवेदकों को सूचित करेगा कि उस जोन अथवा क्षेत्र में यथा स्थिति, विद्यालय स्थापित करना अथवा विद्यमान विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं स्थापित करना जनहित में नहीं होगा और वह ऐसे जोन अथवा क्षेत्र को उपदर्शित कर सकता है जिसको उस की राय में यथास्थिति, नए विद्यालय अथवा अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है, अथवा आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

(4) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय विधियों और राज्यविधियों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022 के प्रारंभ की तारीख से ही, संघ राज्यक्षेत्र में नया विद्यालय स्थापित करनाअथवा किसी कक्षा अथवा किसी कक्षा का सेक्शन खोलना अथवा किसी विद्यमान विद्यालय में विद्यमान कक्षा अथवा विद्यमान कक्षा में किसी सेक्शन को बंद करना इसअधिनियमऔर उसकेअंतर्गतबनाएगएनियमोंकेअध्यधीन होगा तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से भिन्न किन्ही उपबंधो के अनुसार स्थापित अथवा खोले गए किसी विद्यालय अथवा कक्षा अथवा सेक्शन को समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना किसी विद्यालय की स्थापना करने वाला, या विद्यमान विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं खोलने वाला, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिसमूह या सोसाइटी या न्यास का सचिव, जैसा भी मामला हो, दोषसिद्धि

होने परऐसी अवधि के लिए कारावास,जो छह महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा, और इस प्रकार स्थापित विद्यालय या कक्षा को बंद कर दिया जाएगा और छात्रों को निकटतम विद्यालय में पुनः प्रवेश दिया जाएगा।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय विधियों और राज्य विधियों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022 के लागू होने से पहले एक नया विद्यालय स्थापित करने की कोई अनंतिम अनुमति इस शर्त के अधीन अनुमोदित की जा सकती है कि ऐसा विद्यालय निदेशक के समाधान के अनुरूप निर्धारित अन्य अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसा विद्यालय किसी भी प्रकार के सरकारी अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा, चाहे उसके शिक्षा का माध्यम कुछ भी हो।"

4. धारा 5.–

(i) उप-धारा (1) के खंड (च) में, "अभ्यास" के पश्चात् "विशेष आवश्यकता वाले बच्चे"अंतःस्थापित किए जाएंगे और "और" का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-धारा (1) के खंड (छ) में, "इसके अधीन" के स्थान पर "इसके अधीन; तथा" रखा जाएगा।

(iii) उप-धारा (1) के खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ज) समय-समय पर यथा विहित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है।"

(iv) उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(6) विहित प्राधिकारी, आदेश द्वारा, किसी भी विद्यालय को मान्यता प्रदान कर सकता है, जिसने किसी वास्तविक कारणों से पहले मान्यता प्राप्त नहीं की थी, यदि विद्यालय उप-धारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है और मान्यता के लिए विहितप्ररूप में और विहित रीति से आवेदन करता है।"

5. धारा 8.– उप- धारा (1) और (2) में, "उच्चतर" से पहले "माध्यमिक" अंतःस्थापित किया जाएगा।

6. धारा 10.– उप-धारा (2) के खंड (क) और (3) में "अनुरक्षण" के पश्चात् "वेतन" अंतःस्थापित किया जाएगा।

7. धारा 11.–

(i) उप-धारा (1) के परंतुकों का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-धारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(1क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी अधिसूचना, विनियम, आज्ञा (डिक्री), आदेश, परिपत्र, निर्णय या अनुदेश के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, चाहे सहायता प्राप्त हो या नहीं, का प्रत्येक कर्मचारीसाठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा। "।

(iii) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(2) इस निमित्त बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अध्यधीन, किसी सहायता प्राप्त विद्यालय के किसी भी कर्मचारी को, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय बर्खास्त, हटाया, रैंक में कम, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा या अन्यथा उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाएगी।"

(iv) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"(2क) जहां किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की प्रबंध समिति का यह सामाधान हो जाता है कि धारा 12 के अधीनविहित आचार संहिता के अर्थ के भीतर घोर कदाचार के कारण गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के किसी कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह उसे बर्खास्त कर सकता है, हटा सकता है, रैंक में कम कर सकता है, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकता है या अन्यथा उसकी सेवा समाप्त कर सकता है और वह इस प्रकार की गई कार्रवाई की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर निदेशक को अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना देगा।"।

(v) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(4) जहां किसी कर्मचारी को निलंबित करने या तत्काल निलंबन के इरादे से निदेशक को अवगत कराया जाता हैवहां,यदि उसका दोनों पक्षों को सुनने के बाद समाधान हो जाता है कि इस तरह के निलंबन के लिए पर्याप्त और उचित आधार हैं, तो वह ऐसे निलंबन के लिए अपनाअनुमोदन प्रदान कर सकता है ।

(vi) उप-धारा (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(4क) जहां किसी कर्मचारी को उप-धारा (3) और (4) या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए निलंबित किया जाता है, वहाँ निदेशक निलंबन के आदेश का प्रतिसंहरण करने का निर्देश दे सकता है।"

(vii) उपधारा (5) और (6) का लोप किया जाएगा।

8. धारा 12.–उप-धारा (2) में -

(i) खंड (ट) में, "माता-पिता" के पश्चात्; "और" अंतर्विष्ट किया जाएगा।

(ii) उप-धारा (2) के खंड (ट) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(ठ) नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त"।

9. धारा 14.– धारा 14 का लोप किया जाएगा।

10. धारा 18.– उप-धारा (1) में, "पांच" के स्थान पर "छह" और "जून के पहले दिन" के स्थान पर "सितंबर के 30 वें दिन" रखा जाएगा।

11. धारा 19.– उप-धारा (3) में, "विवरण।" के पश्चात, "सरकार गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय की ऐसी किसी भी फीस को विनियमित कर सकती है जो विहित की जाए" अंतःस्थापित किया जाएगा।

12. धारा 22.– उप-धारा (1) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ङ) किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करना, सेवा से हटाना या उसे रैंक में कम करना या उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना या अन्यथा उसकी सेवाओं को यथास्थिति धारा 11 की उप-धारा (2), (2क), (4) और (4क) के अधीन समाप्त करना।"

13. धारा 23.–

(i) उप-धारा (1) के खंड (छ) में, "तीन" के स्थान पर "छह", "एक" के स्थान पर "दस" रखा जाएगा और परंतुक का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(3) कोई न्यायालय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) और अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय तब जब निदेशक या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसकी शिकायत की गई हो। "।

14. धारा 24.–

(i) उप-धारा (2) के खंड (क) में, "गोवा, दमण और दीव माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,पदेन" का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-धारा (2) के खंड (ग) में, "तीन" के स्थान पर "चार" रखा जाएगा।

(iii) उपधारा (2) के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(छ) दो निर्वाचित प्रतिनिधि;"।

(iv) उप) धारा-3) में, "मंत्री के लिए "शब्दों के स्थान पर "सचिव के लिए " रखे जाएंगे और (च) के पश्चात ''(छ)'' अंतःस्थापित किया जाएगा।"।

5. गुजरात राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर अधिनियम, 1976

(1976 का 11)

(दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीवसंघ राज्य क्षेत्रों के लिए यथा अनुकूलित)

1. मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्ष में, धारा 1 की उप-धारा (1) और (2) में, धारा 2 के खंड (घ) में, "गुजरात" जहां कहीं भी आया है वहां उसके स्थान पर, "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव" रखा जाएगा।

2. मूल अधिनियम की उद्देशिका में, धारा 1 की उप-धारा (2) में, धारा 2 के खंड (घ) में, धारा 3 की उप-धारा (1) में, धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ii),में और अनुसूची 1 के क्रम संख्या 3 के खंड (viii) में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा तात्पर्य न हो, "राज्य"शब्द जहां कहीं भी आया हो वहां उसके स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र" रखा जाएगा।

3. मूल अधिनियम में, धारा 4 के परंतुक में, धारा 5 की उप-धारा (1) में और धारा 9 की उप-धारा (1) में, "सरकार" शब्द, जहाँ आया हो वहां उसके स्थान पर, "प्रशासन" शब्द रखा जाएगा।

4. धारा 1.- उप-धारा (3) में, "1 अप्रैल, 1976" शब्दों के स्थान पर "राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि" शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 2.- (i) खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) अभिहित प्राधिकारी से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -

(i) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीवनागर पालिक परिषद विनियम, 2004 के अधीन गठित एक नागर पालिका;

(ii) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियम, 2012 के अधीन गठित एक ग्राम पंचायत या जिला पंचायत;

या जैसा भी मामला हो, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, अथवा नागर पालिका या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के भंग रहने या अस्तित्व में न होने की स्थिति में उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी।

(ii) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"अधिकरण" से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों के लिए यथाअधिसूचित प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है;"

6. धारा 5.-

(i) उपधारा (5) में, -

(क) "बीस" शब्दों के स्थान पर "दो सौ" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) "दस" शब्दों के स्थान पर "पचास" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उप-धारा (6) में, "एक" शब्दों के स्थान पर "पांच" शब्द रखे जाएंगे ।

7. धारा 6.- उप-धारा (3) में, "दस" शब्दों के स्थान पर "दो सौ" शब्द रखा जाएगा।

8. धारा 11.-

(i) पार्श्व शीर्ष में, "राजस्व" के पश्चात "या संपत्ति कर" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-धारा (1) में, "राजस्व" के पश्चात "या संपत्ति कर का बकाया, जैसा भी मामला हो" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-धारा (2) केखंड (i) में, "बम्बई भू-राजस्व संहिता, 1879" के स्थान पर "गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 और दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971" रखा जाएगाऔर "उक्त संहिता" के पश्चात "या दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीवनागर परिषद विनियम, 2004 के अधीन मुख्य अधिकारी का" अंतःस्थापित किया जाएगा।

9. धारा 12—उप-धारा (2) में, —

(i) "गुजरात मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2005 का गुजरात अधिनियम संख्याक (1)की धारा 19 के अधीन गठित अधिकरण" के लिए "संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एक ... का गठन करेगा" रखा जाएगा।

(ii) "और तदनुसार धारा 19 सहित अधिकरण से संबंधित उक्त अधिनियम के उपबंध, और उसके अधीन बनाए गए विनियम (इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिकरण पर उसके लागू होने में किए गए ऐसे संशोधनों के अध्यधीन), इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकरण पर या उसके संबंध में लागू होगा" के स्थान पर "और उक्त अधिकरण द्वारा सुनवाई के संचालन के लिए नियम विहित करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी अन्य अधिनियम के अधीन गठित किसी भी अधिकरण को इस धारा के अधीन अधिकरण के रूप में नाम विर्दिष्ट कर सकता है और उक्त अधिकरण को ऐसे अतिरिक्त संसाधन प्रदान कर सकता है जो वह उचित समझे।"।

10. धारा 27- उपधारा (4) और (5) का लोप किया जाएगा।

11.धारा 29.–लोप किया जाएगा।

12. धारा 31.–लोप किया जाएगा।

13. अनुसूची I— (i) क्र. सं. 1 में,

(क) खंड (क) और (ख) के स्तम्भ 2 में, उपखंड (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के लिए क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा -

"(i) 10,000/- रुपये से कम

(ii) 10,000/- रुपये या उससे अधिक परंतु 20,000/- रुपये से कम

(iii) 20,000/- रुपये या उससे अधिक परंतु 40,000/- रुपये से कम

(iv) 40,000/- रुपये या अधिक परंतु 50,000/- रुपये से कम

(v) 50,000/- रुपये या उससे अधिक।"

(ख) खंड (क) और (ख) के स्तम्भ 3 में, निम्नलिखित रखा जाएगा -

"शून्य"

50/- रुपये प्रति माह

100/- रुपये प्रति माह

150/- रुपये प्रति माह

200/- रुपये प्रति माह"

(ii) क्रम संख्या 3 के स्तम्भ 2 के खंड (viii) में "(गुजरात 1962 का X)" के पश्चात "दादरा और नागर हवेली के क्षेत्र में यथाविस्तारित तथा दमण और दीव के क्षेत्र में यथालागू महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960" अंतर्विष्ट किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 7 के स्तम्भ 2 में "गुजरात मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 (गुजरात 2005 का 1)", जहां कहीं भी वे आए हैं, के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005" रखा जाएगा।"

(iv) क्रम संख्या 10 को 12 के रूप में पुनर्सरुयांकित किया जाएगा और इस प्रकार क्रमसंख्या 12 से पहले निम्नलिखित क्रम संख्याक अंतर्विष्ट किया जाएगा—

10.	रेहड़ी-पटरी वालों के सिवायअन्य दुकानदार	2500/- प्रति वर्ष
11	रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता	600/- प्रति वर्ष

(v) खंड (1) की अनुसूची 1 की छूट में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के स्थान पर कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 1) रखा जाएगा और और खंड (3) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा.-

"(4) इस अधिनियम की धारा 3 और अन्य उपबंधों में अंतर्विष्टकोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी, -

(क) सेना अधिनियम, 1950 या वायु सेना अधिनियम, 1950 में यथापरिभाषित बलों के सदस्य और नौसेना अधिनियम, 1957 में यथापरिभाषित भारतीय नौसेना के सदस्य, जो संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में सेवारतहों और सेना या वायु सेना या नौसेना के रूप में, जैसा भी मामला हो, वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे हों,जिसमें सहायक बलों या रिजर्व बलों के सदस्य,या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में सेवारत रिजर्व और सहायक बल और ऐसे सहायक बल या रिजर्व बल, या रिजर्व एवं सहायक सेवाओं के रूप में, जैसा भी मामला हो, रक्षा सेवाओं के बजटीय आवंटन के अधीन वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं, भी शामिल हैं;

(ख) वस्त्र उद्योग में बदली श्रमिक।

(ग) स्थायी शारीरिक अक्षमता (अंधापन सहित), राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट स्थायी शारीरिक अक्षमता, से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, जिसेकिसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत,चिकित्सक, सर्जन या नेत्र रोग विशेषज्ञ, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया गया है, और जिसका सामान्य काम करने या लाभकारी रोजगार या व्यवसाय करने की ऐसे व्यक्ति की क्षमता को काफी कम करने का प्रभाव हो:

परंतु यह कि ऐसा व्यक्ति या, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता प्रथम निर्धारण वर्ष के संबंध में विहित प्राधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसके लिए वह इस उप-धारा के अधीन कटौती का दावा करता है:

परंतु यह और भी कि किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक, सर्जन या नेत्र रोग विशेषज्ञ, जैसा भी मामला हो, से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिसने पहले ही इस उप-धारा के उपबंधों के तहत विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

स्पष्टीकरण. - इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ, "सरकारी अस्पताल" पद में सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग या वर्गों और उनके परिवारों के सदस्यों की चिकित्सा और उपचार के लिए सरकार के किसी विभाग द्वारा स्थापित और संचालित एक विभागीय औषधालय, पूर्णकालिक या अंशकालिक,किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित अस्पताल और कोई अन्य अस्पताल जिसके साथ सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, शामिल हैं;

(घ) लघु बचत निदेशालय की महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अधीन विशेष रूप से अभिकर्ता के रूप में कार्यरत महिलाएं;

(ङ) इस निमित्त में बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट और किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत मनोचिकित्सक द्वारा यथाप्रमाणित मानसिक मंदता से पीड़ित किसी व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक:

परंतु यह कि ऐसा व्यक्ति, निर्धारण वर्ष के संबंध में विहित प्राधिकारी के समक्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसके लिए वह इस उप-धारा के अधीन कटौती का दावा करता है।

स्पष्टीकरण. - इस खंड के प्रयोजनार्थ, "सरकारी अस्पताल" पद का वही अर्थ होगा जो खंड (ग) में दिया गया है;

(च) वे व्यक्ति जिन्होंने पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(छ) खंड (ग) में विनिर्दिष्ट शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चे के अभिभावकों के माता-पिता;

(ज) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सशस्त्र सदस्य जिनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) लागू होता है और सीमा सुरक्षा बल के सशस्त्र सदस्य, जिनको सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) लागू होता है और जो संघ राज्य क्षेत्र में सेवारत है।"

15. अनुसूची II में— निम्नलिखित क्रम संख्याक अंतःस्थापित किए जाएंगे -

4.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीवनगर परिषद विनियम, 2004	धारा 102 की उपधारा (1) केखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा: "(ख) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, वृत्ति, व्यापार, आजिविका और नियोजन राज्य कर अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्यां क11) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार, वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगार पर कर;"
5.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियम, 2012	धारा 38 की उप-धारा (1) केखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा: "(ख) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, वृत्ति, व्यापार, आजिविकाओं और नियोजन राज्य कर अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या क11) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार, व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर;"

6क. बम्बई धन उधारदाता अधिनियम, 1946 (1947 का बम्बईनियम संख्यां क 31)

[तत्कालीन दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र के लिए यथा अनुकूलित]।

समग्र रूप से निरसित।

6ख.महाराष्ट्र धन उधार (विनियमन) अधिनियम, 2014

(2014 का VIII)

(दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के लिए यथा अनुकूलित)

1. उद्देशिका के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा-

"दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में धन-उधार के संव्यवहार को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम।"

2. धारा 1.–

(i) उप-धारा (1) में, "2014" के पश्चात, "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में यथा अनुकूलित" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-धारा (2) में, "महाराष्ट्र राज्य" के स्थान पर"दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र" रखा जाएगा।

(iii) उप-धारा (3) में, "16 जनवरी 2014 को" के स्थान पर "राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख" रखा जाएगा ।

3. धारा 2.–

(i) खंड (13) के उपखंड (ड) के स्पष्टीकरण का लोप करें।

(ii) उप-खंड (23) में, "महाराष्ट्र राज्य के लिए" के स्थान पर" दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

(iii) उपखंड (23) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(23क) "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के नेतृत्व में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।"

4. धारा 6.–

(i) धारा 6 के स्पष्टीकरण (i) में, "महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम" के स्थान पर, "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियमन 2012" रखे जाएंगे।

(ii) धारा 6 के स्पष्टीकरण (ii) में, "महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961" शब्द के स्थान पर, "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियमन 2012" रखा जाएगा।

5. धारा 8.– "मंडल रजिस्ट्रार", जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर "महारजिस्ट्रार" रखा जाएगा।

6. धारा 11.– "मंडल रजिस्ट्रार", जहां कहीं भी वह आया हो, शब्द के स्थान पर" महारजिस्ट्रार "रखा जाएगा।

7. धारा 17.–

(i) उप-धारा (6) में, "मंडल रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर "महारजिस्ट्रार" रखा जाएगा।

(ii) उप-धारा (7) में, "तहसीलदार" के स्थान पर "मामलतदार" रखा जाएगा।

8. धारा 18.–

(i) उप-धारा (4) और (5) में, "मंडल रजिस्ट्रार", जहां कहीं भी वह आया, हो के स्थान पर "महारजिस्ट्रार" शब्द रखा जाएगा।

(ii) उप-धारा (6) में, "महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966" के स्थान पर, "गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 और दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियमन, 1971" रखा जाएगा।

9. धारा 25 क का अंतःस्थापन.- धारा 25 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

साहूकार के खातों की लेखापरीक्षा।

"25क. (1) प्रत्येक साहूकार के खातों की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, (1949 का 38) के अर्थ के अनुसार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी जो विहित की जाए।

(2) यदि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई अनियमितता अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या रजिस्ट्रीकरण की किसी भी शर्त का किसी उल्लंघन या गैर-अनुपालन पाया जाता है, तो रजिस्ट्रार जिसे ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा अनियमितता को दूर करने के लिए उसमें उल्लिखित समय के भीतर साहूकार को ऐसी कार्रवाई करने अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निदेश दे सकता है।"।

10. धारा 26.– उप-धारा (2) में, "और प्रति ऋणी प्रति वर्ष अधिकतम दो रुपये के अध्यधीन" का लोप किया जाएगा।

11. धारा 46.– खंड (ख) में, "दस" को, "पचास" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. धारा 49.– स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

13. धारा 52.– लोप किया जाएगा।

14. धारा 54.– उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

15. धारा 55.– उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा और उपधारा (1)धारा 55 के रूप में पुनर्संख्याकिंत किया जाएगा।

16. धारा 56.– लोप किया जाएगा।

17. धारा 57.– लोप किया जाएगा।

7 क. गोवा, दमण और दीव राजमार्ग अधिनियम, 1974 (1984 का अधिनियम 7)

[तत्कालीन दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए यथालागू]।

संपूर्ण रूप से निरसित किया जाएगा।

7ख. गोवा, दमण और दीव राजमार्ग अधिनियम, 1974

(1984 का 7)

1. मूल अधिनियम में, विस्तृतनाम में, संक्षिप्त नाम में, धारा (1) की उपधारा (2) और धारा 2 के खंड (ज) और (ण) में और धारा 4 में "गोवा" शब्द, जहां कहीं भी यह आता है, के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा" रखा जाएगा।

2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

3. धारा 2.– खंड (न) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" के स्थान पर, "भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" रखा जाएगा।

4. धारा 28.– उप-धारा (2)–में

(i) "23 और 24" अंकों और शब्द, जहां कहीं ये आते हैं के स्थान पर "28" रखा जाएगा।

(ii) "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" रखा जाएगा।"

(iii) "6" अंक के स्थान पर "19" अंक रखा जाएगा।

5. धारा 30.–

(i) "23 और 24" के स्थान पर "28" रखा जाएगा।

(ii) "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" रखा जाएगा।"

6. धारा 39.– उप-धारा (3) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" की धारा 31 से 34 (दोनों सम्मिलित) के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" द्वारा रखा जाएगा।"

7. धारा 54क से धारा 54घ का अंतःस्थापन.–धारा 54क के पश्चात निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी .—

राजमार्गों आदि पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं या लाभों के लिए फीस उद्ग्रहण की सरकार की शक्ति

"**54क.** (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और गाँव की सड़कों पर पच्चीस लाख रुपये से अधिक की लागत से निर्मित और जनवरी, 1986 के पहले दिन या उसके बाद जनता के लिए खोले गए, स्थायी पुलों के उपयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं या लाभों के लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित दरों पर फीस लगा सकेगी:

परंतु यह कि यदि सरकार की यह राय है कि जनहित मेंऐसा करना आवश्यक है, तो वह इस तरह की अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे पुल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके उपयोग के संबंध में इस धारा के अधीन फीस उद्ग्रहण की नहीं लगायी जाएगी।

परंतु यह और कि सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी भी मोटर यान या मोटर यानों या मोटर यानों के किसी भी वर्ग को फीस के संदाय से या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) इस प्रकार लगाई गई ऐसी फीस की वसूली इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

सड़कों आदि के उपयोग के लिए फीस उद्ग्रहण की सरकार की शक्ति।

54ख. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय विधियों और राज्य विधियों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022 के लागू होने की तारीख या उसके पश्चात जनता के लिए खोले गए राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कों और ग्राम सड़कों, या उसके किसी भाग के उपयोग के लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित दरों पर फीस का उद्ग्रहण कर सकेगी :

परंतु यह कि यदि सरकार की यह राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो वह इसी तरह की अधिसूचना द्वारा, किसी भी राज्य के राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कों और गांव की सड़कों या उसके किसी भी हिस्से को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके लिए इस धारा के अधीन फीस उद्ग्रहण नहीं की जाएगी।

परंतु यह और कि सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी भी मोटर यान या मोटर यानों या मोटर यानों के किसी भी वर्ग को फीस के संदाय से या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) इस प्रकार उदृहरणीय ऐसी फीस की वसूली इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

फीसका भुगतान किए बिना पुलों, राज्य राजमार्गों आदि में प्रवेश.—

54ग. जो कोई भी पुल या राज्य राजमार्ग या प्रमुख जिला सड़क या गांव की सड़क पर बिना फीस का संदाय किए हुए प्रवेश करता है, उसे दोष सिद्ध होने पर निम्न प्रकार दंडित किया जाएगा, - (क) पहले अपराध के लिए जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा। (ख) पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा।

राजमार्गों और पुलों के विकास और अनुरक्षण के लिए करार करने

54घ.- (1) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,सरकार पूरे राजमार्ग या पुल या उसके किसी भाग के निर्माण, विकास और अनुरक्षण के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ करार कर सकेगी।

की सरकार की शक्ति. –

(2) इस तरह के निर्माण, विकास और अनुरक्षण को सुविधाजनक बनाने या सुरक्षित करने के लिए, करार में, अधिकथित ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाए, इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अधीन सरकार की या सरकार द्वारा अर्जित की जाने वाली किसी भी भूमि कोकरार की अवधि के दौरान पट्टे के माध्यम से या किसी अन्य रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तांतरण के लिए उपबंध कर सकेगी।

(3) धारा 54क और 54ख और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति भूमि के अर्जन और पुलों या राजमार्गों के निर्माण, विकास और अनुरक्षणमें शामिल व्यय के संबंध में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा या लाभों के लिए ऐसी दर या दरों पर फीसवसूलने और रखने का हकदार होगा, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के पास ऐसे करार की विषय वस्तु वाले किसी राजमार्ग या पुल पर, उसके उचित प्रबंधन के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) के अध्याय 8में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार यातायात को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्तियां होंगी।"।

8. धारा 55. "सौ" शब्द के स्थान पर "हजार" शब्द रखा जाएगा।

9. धारा 56.–

(i) खंड (क) में, "सौ" शब्द के स्थान पर "हजार" शब्द रखा जाएगा।

(ii) खंड (ख) में, "सौ" शब्द के के स्थान पर "हजार" शब्द रखा जाएगा।

10. धारा 57.–

(i) खंड (क) में, " दो सौ पचास" शब्दों के लिए " दो हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।"

(ii) खंड (ख) में, "सौ" शब्द के स्थान पर "हजार" शब्द और "पचास" शब्द के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 58. "एक" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा।

12. धारा 59.–

(i) खंड (क) में "पचास" शब्द के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (ख) में "सौ" शब्द के स्थान पर "हजार" शब्द रखा जाएगा ।

13. धारा 66. "1968" के बाद, जहां कहीं भी वह आया है के पश्चात, "या दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियमन, 1971 या तत्समय लागू कोई अन्य विधि" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. धारा 72. उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

15. धारा 74. "गोवा, दमण और दीव की विधान सभा द्वारा बनाई गई या कोई ऐसी विधि जिसे बनाने या संशोधन करने के लिए उक्त विधानमंडल सक्षम है" का लोप किया जाएगा।

8क गोवा, दमण और दीव नागर और ग्राम योजना निर्माण अधिनियम, 1974(1975 का 21)

(तत्कालीन दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए यथालागू)

संपूर्ण रूप से निरसित किया जाएगा

8ख गोवा, दमण और दीव नागर और ग्राम योजना निर्माण अधिनियम, 1974(1975 का 21)

1. मूल अधिनियम में, विस्तृत नाम में संक्षिप्त नाम में, उद्देशिका में, धारा 2 के खंड (13) और (31), धारा 4, और धारा 142 में, "गोवा" जहां कहीं भी यह आता है, शब्द के स्थान पर, "दादरा और नागर हवेली और" शब्द रखे जाएंगे।

2. संपूर्ण मूल अधिनियम में, धारा 33 की उप-धारा (2) के सिवाय, "बोर्ड" या "गोवा, दमण और दीव नागर एवं ग्राम योजना निर्माण बोर्ड", जहां कहीं भी यह आता है, शब्दों के स्थान पर "विहित प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 2.–

(i) खंड (4) का लोप किया जाएगा।

(ii) खंड (26) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(26क) "विहित प्राधिकारी" से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;"।

(iii) खंड (32) में, "गोवा, दमण और दीव नागर पालिका विनियमन, 1968" शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव नागर परिषद विनियम, 2004" शब्द रखे जाएंगे।

4. अध्याय 2. शीर्षक में, "और दमण और दीव नागर और ग्राम योजना निर्माण बोर्ड का गठन" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 3.– धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति को मुख्य नागर योजनाकार के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) मुख्य नागर नियोजक की भूमिका योजना और विकास प्राधिकरणों और उसके प्रतिष्ठानों की सहायता करने की होगी।

इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्धारित ऐसे कार्यों के अलावा, मुख्य नागर योजनाकार निर्धारित प्राधिकरण की उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता भी करेगा और ऐसे अन्य कार्यों को भी करेगा जो इस संबंध में सरकार द्वारा आदेशित किए जाएं।

6.धारा 4 से धारा 7-का लोप किया जाएगा।

7. अध्याय 3-धारा 9 से धारा 17 का लोप किया जाएगा।

8. धारा 20 .-

(i) उप-धारा (3) के खंड (ii) में "मुख्य नागर योजनाकार के परामर्श से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) उपधारा (5) में, "बोर्ड के परामर्श से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-धारा (7) के खंड (iii) में, "बोर्ड के परामर्श से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

9. धारा 22.– खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(च) रूपरेखा विकास योजना, व्यापक विकास योजना या नागर नियोजन योजनाएँ तैयारकरने के लिए योजना क्षेत्र में सर्वेक्षण करना;

(छ) योजना क्षेत्र में विकास योजना के अनुसार विकास गतिविधियों को नियंत्रित करना;

(ज) किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ अनुबंध, करार या व्यवस्था करना जो योजना विकास प्राधिकरण अपने कार्यों ने निर्वहन के लिए आवश्यक समझे;

(झ) चल या अचल संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान, जैसा वह आवश्यक समझे;

(ञ) जल आपूर्ति, सीवरेज निपटान से संबंधित कार्य करना और अन्य सेवाओं एवं सुविधाओं का उपबंध करना;

(त) अवसंरचना विकास की विभिन्न योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन।

(थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्य करना जो पूर्वगामी शक्तियों और कार्यों में से किसी के पूरक, संबंधित या परिणामी हैं या सरकार द्वारा यथानिर्देशित अन्य कार्य करना;

10. धारा 30. धारा 30 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(1) किसी रूपरेखा विकास योजना में: -

(क) योजना क्षेत्र में प्रस्तावित भू-उपयोग की रीति को सामान्य रूप से उपदर्शित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित उपयोग हेतु भूमि के क्षेत्र या जोन आवंटित किया जाएगा-

(i) आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए;

(ii) सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक खुले स्थानों, पार्कों और खेल के मैदानों के लिए; तथा

(iii) ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए जो योजना और विकास प्राधिकरण उचित समझे;

(ग) निम्नलिखित उपदर्शित, परिभाषित और उपबंधित किया जाएगा –

(i) मौजूदा और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य सड़कों, रिंग रोड और प्रमुख सड़कों के लिए; तथा

(ii) रेलवे, ट्राम-वे, विमानपट्टनों और नहरों सहित संचार की मौजूदा और प्रस्तावित लाइनों के लिए;

(घ) ऐसे जोन के भीतर, स्थान, ऊंचाई, तलों की संख्या, और भवनों एवं अन्य संरचनाओं के आकार, यार्ड, कोर्ट और अन्य खुले स्थानों के आकार, और भवनों, संरचनाओं और भूमि के उपयोग का विनियमन।

(2) किसी रूपरेखा विकास योजना में निम्नलिखित भी उपदर्शित, परिभाषित और उपबंधित किए जाएंगे –

(क) मौजूदा और प्रस्तावित सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भवन; तथा

(ख) धारा 32 के अधीन व्यापक विकास योजना में यथा उपदर्शित, परिभाषित और उपबंधित सभी या कोई भी उद्देश्य और मामले।

(ग) विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, बाजारों, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक संस्थानों, थिएटर और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए स्थानों, सार्वजनिक सभा, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, धार्मिक भवनों, खेल के मैदानों, स्टेडियम, खुले स्थानों, डेयरियों जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, के लिए भूमि आरक्षण के प्रस्ताव;

(घ) प्राणी उद्यान, हरित पट्टी, प्राकृतिक रेजर्व और अभयारण्य के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने के प्रस्ताव।

(ङ) सड़कें, राजमार्ग, पार्कवे, रेलवे, जलमार्ग, नहरें और विमानपत्तन जैसे परिवहन और संचार, जिसमें उनका विस्तार और विकास शामिल है।

(च) बिजली और गैस की आपूर्ति सहित जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवेज निपटान, अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं और सेवा के प्रस्ताव;

(छ) सामुदायिक सुविधाओं और सेवाओं के लिए भूमि आरक्षण;

(ज) सेवा उद्योगों, औद्योगिक सम्पदाओं और व्यापक पैमाने पर किसी अन्य औद्योगिक विकास के लिए स्थलों को नामित करने के प्रस्ताव;

(झ) प्राकृतिक दृश्यों और परिदृश्य के क्षेत्रों का अनुरक्षण, संरक्षण और विकास।

(ञ) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रुचि और शैक्षणिक मूल्य की विशेषताओं, संरचनाओं या स्थानों का संरक्षण;

(ट) बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रस्ताव;

(ठ) संघ, किसी राज्य, स्थानीय प्राधिकरण या तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के प्रयोजन के लिए भूमि के आरक्षण के प्रस्ताव;

(ड) निचले इलाकों, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या सुधारना या भूमि को समतल करना।

(ढ) विकास क्षेत्र के भीतर भूमि के उपयोग और विकास को नियंत्रित करने और विनियमित करने के उपबंध, जिसमें भवनों के लिए खुली जगह के संबंध में शर्तों और निर्बंधनों को लागू करना, किसी भूखंड के लिए भवन क्षेत्र का

प्रतिशत, स्थान, संख्या, आकार, ऊंचाई, मंजिलों की संख्या और इमारतों की प्रकृति और किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र का घनत्व, वे उपयोग और उद्देश्य जिनके लिए कोई इमारत या विनिर्दिष्ट भूमि क्षेत्रों का विनियोजन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, भूखंडों के उप-विभाजन, किसी निर्दिष्ट अवधि में किसी क्षेत्र में भूमि के आपत्तिजनक उपयोग को रोकना, पार्किंग स्थल, किसी भी भवन के लिए लोडिंग और अनलोडिंग स्थान तथा अनुमानों और विज्ञापनों के आकार और होर्डिंग और अन्य मामले जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(ण) भूमि के उपयोग के परिणामस्वरूप अपशिष्ट या अन्य साधनों के निर्वहन के कारण होने वाले जल या वायु के प्रदूषण को रोकने या उसके समाधान के उपबंध; और योजना और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित या इस संबंध में सरकार द्वारा निर्देशित सार्वजनिक या अन्य उद्देश्यों के लिए ऐसे अन्य प्रस्ताव।

(3) रूपरेखा विकास योजना के रूप और सामग्री को विनियमित करने वाले ऐसे नियमों के अधीन किसी भी ऐसी योजना में ऐसे नक्शे और ऐसे वर्णनात्मक विषय सम्मिलित होंगे जो उस योजना में निहित प्रस्तावों को समझाने और स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हों।

(4) निम्नलिखित विवरण रूपरेखा विकास योजना के साथ प्रकाशित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(क) योजना में सम्मिलित किए गए क्षेत्र की भूमि के लिए प्रस्तावित उपयोग दर्शाने वाला एक विवरण और रूपरेखा विकास योजना तैयार करने के लिए किया गया कोई सर्वेक्षण;

(ख) रूपरेखा विकास योजना के उपबंधों की व्याख्या करने वाले मानचित्र, चार्ट और विवरण;

(ग) रूपरेखा विकास योजना के उपबंधों को लागू करने के लिए विनियम;

(घ) क्षेत्र विकास प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, अधिकृत अधिकारी से किसी भी भूमि को विकसित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की रीति की व्याख्या करने वाली प्रक्रिया;

(ङ) विकास के चरणों का एक विवरण जिसके अनुसार रूपरेखा विकास योजना द्वारा योजना और विकास प्राधिकरण पर अधिरोपित किसी दायित्व को पूरा करने का प्रस्ताव है।

(च) सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि के अर्जन में सम्मिलित लागत का अनुमान

(5) रूपरेखा विकास योजना के संचालन में आने और उसके क्षेत्र को परिभाषित करने के पश्चात, रूपांतरण किसी रूपरेखा विकास योजना की विषयवस्तु के अनुरूप और यथाविहित ऐसी प्रक्रिया के अनुसार होगा।"

11. धारा 31.– "बोर्ड के माध्यम से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

12. धारा 32.– उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (viii) में, "या बोर्ड" शब्दों का लोप किया जाएगा।

13. धारा 33.– उप-धारा (2) में "बोर्ड" शब्द , जहां कहीं भी यह आया है,के स्थान पर "सरकार" शब्द रखा जाएगा।

14. धारा 35.–

(i) उपधारा 2 में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" और "4" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" और "11" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ii) उप-धारा (6) में, "बोर्ड और ... के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

15. धारा 36. "बोर्ड से परामर्श करने के बाद" शब्दों का लोप किया जाएगा।

16. धारा 37.– उप-धारा 2 में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" और "6" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" और "19" शब्द रखे जाएंगे।

17. धारा 37क **का अंतःस्थापन.–** धारा 37 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

रूपरेखा विकास योजना से भूमि उपयोग में परिवर्तन।

"**37क.** (1) किसी क्षेत्र के लिए रूपरेखा विकास योजना के लागू होने की तारीख के पश्चात किसी भी समय, योजना प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थलाकृतिक मानचित्रीय या अन्य त्रुटियों और चूकों के कारण, अथवा योजना में विवरण को पूरी तरह से उपदर्शित करने में विफलता के कारण या रूपरेखा विकास योजना के प्रस्तावों के कार्यान्वयन से उत्पन्न बदलावों या योजना को लागू करने में किसी भी समय प्रचलित परिस्थितियों के कारण, भूमि उपयोग या विकास में यथाआवश्यक ऐसे परिवर्तनों की अनुमति दे सकेगा, परंतु यह कि;-

(क) सभी परिवर्तन जनहित में हैं;

(ख) प्रस्तावित परिवर्तन इस अधिनियम या स्थानीय नियोजन क्षेत्र के भीतर भूमि के नियोजन, विकास या उपयोग को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन नहीं करते हैं; तथा

(ग) इस तरह के सभी परिवर्तनों का प्रस्ताव योजना प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन से अन्यून अवधि के भीतर जनता से आपत्तियां आमंत्रित करते हुए, क्षेत्र में प्रचलन वाले एक या अधिक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।

(2) धारा 37 के उपबंध रूपरेखा विकास योजना से भूमि उपयोग में परिवर्तन या विकास पर यथोचित सुधारों सहित लागू होंगे।

(3) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, यदि भूमि उपयोग या विकास में परिवर्तन वाणिज्यिक या औद्योगिक से आवासीय या औद्योगिक से वाणिज्यिक में है और निर्धारित शुल्क का भुगतान किया गया है और परिवर्तन करने से पहले स्थानीय नियोजन प्राधिकरण को सूचित किया गया है, तो भूमि उपयोग में परिवर्तन या विकास को दी गई ऐसी अनुमति प्रदान की गई समझी जाएगी"।

18. धारा 39.– उप-धारा (1) में, "बोर्ड और" शब्दों का, जहां कहीं भी वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

19. धारा 41.– नाम और इस धारा में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" शब्दों के स्थान पर"भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" शब्द रखे जाएंगे।

20. धारा 41क से 41ग का अंतःस्थापन.- धारा 41 के पश्चात, निम्नलिखित धाराएँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

हस्तांतरणीय विकास अधिकार के अनुसार भूमि का अर्जन।

"**41क.** (1) योजना और विकास प्राधिकरण, नागर पालिका परिषद या ग्राम पंचायत, सरकार के अनुमोदन और स्वामी की सहमति से, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उसकी भूमि का अर्जन कर सकेगी और सरकार इस तरह के अर्जन के लिए मुआवजे का भुगतान के बदले में उसे यथाविहित ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में विकास अधिकार प्रमाण पत्र जारी करके एक हस्तांतरणीय विकास अधिकार प्रदान कर सकेगी।

(2) हस्तांतरणीय विकास अधिकार का उपयोग स्वामी द्वारा यथाविहित रीति से अतिरिक्त निर्मित स्थान के रूप में किया जा सकेगा जो इसे स्वयं उपयोग कर सकेगा या क्षेत्रीय योजना या विकास योजना में दिए गए उद्देश्य के लिए चिन्हित क्षेत्रों में उपयोग हेतु इसे किसी अन्य व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से स्थानांतरित कर सकेगा।

आवास आरक्षण के माध्यम से अर्जन।

41ख. (1) कोई योजना और विकास प्राधिकरण, नागर परिषद या ग्राम पंचायत, स्वामी की सहमति से, विकास योजना में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, आवास आरक्षण के माध्यम से, उसकी भूमि और सुख-सुविधाओं को यथाविहित रीति से अपने पक्ष में हस्तांतरित कर सकती है।

(2) ऐसी भूमि का स्वामी ऐसी सुविधा का विकास करेगा और उक्त प्राधिकरण को नि:शुल्क सौंपेगा और उसके पश्चात् वह स्वयं पूर्ण अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात के समतुल्य विकास अधिकार का उपयोग करेगा।

भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक भंडार और संसाधनों का परिरक्षण

41ग. योजना और विकास प्राधिकरण, नागर पालिका परिषद या ग्राम पंचायत सरकार के अनुमोदन और स्वामी की सहमति से, विकास योजना में परिरक्षण या अनुरक्षण के लिए चिन्हित भूमि के संबंध में विकास अधिकार या क्षमता को वापस ले सकती है या समाप्त कर सकती है और सरकार इस प्रकार हटाए गए, समाप्त किए गए विकास अधिकार को किसी ऐसे अन्य क्षेत्र को आवंटित कर सकती है,जो यथाविहित ऐसी रीति में भावी पीढ़ी के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से विकास के लिए अधिक उपयुक्त हो।"

21. धारा 42क का अंतःस्थापन.–धारा 42 के पश्चात, निम्नलिखित धाराअंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

पारिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियों की स्थापना

"**42क.**" इस अधिनियम, या रूपरेखा विकास योजना, या इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई किसी व्यापक विकास योजना या भूमि उपयोग योजना, या दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियमन, 1971 (1971 का 2), या गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 (1969 का 9) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के किसी उपबंध में किसी भी बात के होते हुए, कोई आवेदक जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के तहत घोषित और पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत घोषित इको सेंसिटिव ज़ोन में इको सेंसिटिव ज़ोन अधिसूचना में अनुमत कोई इको टूरिज्म क्रियाकलाप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए इस अधिनियम या उसके तहत तैयार किसी अन्य नक्शे या योजनाओं या विनियमों के तहत, या दादरा और नागर हवेली भूमि राजस्व प्रशासन विनियमन, 1971 (1971 का 2) या गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 (1961 का 9) के तहत भूमि के किसी भी रूपांतरण, या जोन के किसी भी परिवर्तन या भूमि उपयोग में किसी परिवर्तन या भूमि का कोई परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु यह कि ऐसी परियोजना या ईको-पर्यटन क्रियाकलापकुल क्षेत्रफल के 5% की सीमा तक स्थापित किया जा सकता है और यह कि इसके लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर से कम नहीं है:

परंतु यह और कि ऐसा कोईईको-पर्यटन क्रियाकलापको स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्तर की पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र निगरानी समिति या समयसमय - साथ-पर नामित ऐसे अन्य प्राधिकरण के साथदादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियमन, 2012 (2012 का 5) के संदर्भ में निर्माण लाइसेंस की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित होगा, परंतु स्थानीय कानूनों के तहत कोई भूमि उपयोग, या रूपांतरण सनद या ज़ोनिंग या क्षेत्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।

22. धारा 44.–

(i) उप-धारा (2) के खंड (क) में, "केंद्र या संघ राज्य क्षेत्र सरकार" शब्दों के लिए "केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-धारा 4 के खंड (ii) में, "और" का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-धारा 4 के खंड (iii) को खंड (iv) के रूप में पुनर्संख्याकिंत किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्याकिंत खंड (iv) से पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

"(iii) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के प्रासंगिक उप-नियमों या विनियमों के लिए; तथा"

23. धारा 45.– उप-धारा (2) में, "पांच सौ" शब्दों के लिए "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे।

24. धारा 49.– उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(6) तत्समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 29 की उप-धारा (1) के उपबंधों के तहत रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज में, ऐसे भूखंड के संबंध में, जो सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी सर्वेक्षण योजना के अनुसार नहीं हैं या ऐसे भूखंड के संबंध में, जिसके लिए योजना और विकास प्राधिकरण से योजना क्षेत्र के भीतर ऐसे उप-विभाजन के लिए कोई विकास अनुमति नहीं है, किसी भी व्यक्ति के अधिकार, हक या हित को हस्तांतरित करना, सौंपना, सीमित या समाप्त करना तात्पर्यित है, अधिनियम के तहत नियुक्त कोई भी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी दस्तावेज को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे भूखंड का मालिक योजना क्षेत्र के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए योजना और विकास प्राधिकरण से मंजूरी का प्रमाण पत्र या "अनापत्ति" का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है:

परंतु यह कि परिवार के भीतर विरासत अधिकार के परिणामस्वरूप भूमि के उप-विभाजन या किसी संपत्ति के निर्माण या लेआउट के लिए किसी मंजूरी या "अनापत्ति" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु यह और कि सरकार द्वारा इस विनियम के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किसी वित्तीय संस्थान के पक्ष में अचल संपत्ति को गिरवी रखने के प्रयोजन हेतु स्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

25. धारा 50क का अंतःस्थापन.–धारा 50 के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

वास्तविक गलत बयानी, कपटपूर्ण बयान या जानकारी के आधार पर दी गई अनुमति को रद्द करना

"**50क.** (1) यदि धारा 44, 45, 46 और 47 के तहत अनुमति दिए जाने के बाद किसी भी समय ऐसी अनुमति देने वाले प्राधिकरण को यह समाधानहो जाए कि ऐसी अनुमति किसी वास्तविक गलत बयानी या किसी कपटपूर्ण बयान या गलत जानकारी के परिणामस्वरूप दी गई थी तो, प्राधिकरण, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जिसके पक्ष में अनुमति दी गई थी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसी अनुमति को रद्द कर सकता है और उचित अनुमति के बिना किए गए किसी भी विकास को धारा 51 और 52 के उपबंधों के अनुसार अनधिकृत विकास माना जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(2) इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।।"

26. धारा 51.–

(i) उप-धारा 1 में, "दस हजार" और "पांच सौ" शब्दों के लिए क्रमशः "दो लाख" और "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-धारा 2 में, "पांच हजार" और "दो सौ पचास" शब्दों के लिए क्रमशः "पचास हजार" और "पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उप-धारा 2 के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(3) इस धारा के तहत कोई अपराध संज्ञेय होगा।"

27. धारा 52.–

(i) उपधारा (1) में, "ऐसे विकास या परिवर्तन के चार वर्षों के भीतर" का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-धारा (7) में, "दस हजार" और "पांच सौ" शब्दों के लिए क्रमशः "एक लाख" और "एक हजार" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उप-धारा (7) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(8) इस धारा के तहत कोई अपराध संज्ञेय होगा।"

28. धारा 53.–

(i) उप-धारा (3) में, "दस हजार" और "पांच सौ" शब्दों के लिए क्रमशः "एक लाख" और "एक हजार" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-धारा (6) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(7) इस धारा के तहत कोई अपराध संज्ञेय होगा।"

29. धारा 56.–

(i) उप खंड (2) में खंड (ञ) और (ट) को क्रमशः (ट) और (ठ) के रूप में तात्पर्यित किया जाएगा।

(ii) खंड (i) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

''(न) सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से योजना के अधीन कवर किए गए कुल क्षेत्र के दस प्रतिशत या उसके पास, जितना संभव हो उतना प्रतिशत तक, भूमि का आरक्षण ;"

30.धारा 59.–उप-धारा (2) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894"और "4"के स्थान पर क्रमश: "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" और "11"रखें।

31. धारा 64.–उप-धारा (1) में, "संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के किसी अधिनियम के अधीन या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम के अधीन'' के स्थान पर "जो सरकार" रखें।

32. धारा 65.–उप-धारा (1) में "अनिश्चायक" के बाद "सार" अंत:स्थापित करें।

33. धारा66.–

(i) उपधारा (**1**) में "बोर्ड के माध्यम से" का लोप करें।

(ii) उप-धारा (**4**) में "मुख्य न्यायिक" के स्थान पर "जिला" रखें और "या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट" का लोप करें।

34. धारा 68.–

(i) उप-धारा (3) में, "बोर्ड के परामर्श से" का लोप करें।

(ii) उप-धारा (6) में "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" और "6" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" और "19" को रखें।

35. धारा 71.–"मुख्य नागर योजनाकार" के स्थान पर, जहां भी यह आया हो, "विहित प्राधिकारी" को रखें।

36. धारा 79.–उप-धारा (3) में "मुख्य नागर योजनाकार" के स्थान पर, जहां भी यह आया हो, "विहित प्राधिकारी" को रखें।

37. धारा 80.– "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" को रखें।

38. धारा 81.–उप-धारा (1) में "मुख्य नागर योजनाकार के माध्यम से" का लोप करें।

39. धारा 82.–उप-धारा (2) में "और मुख्य नागर योजनाकार से परामर्श करने के बाद" का लोप करें।

40. धारा 100क का अंत:स्थापन। धारा 100 के बाद, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

जोन के परिवर्तन के लिए प्रोसेसिंग फीस का उद्ग्रहण

"100क (1)अधिसूचित रूपरेखा विकास योजनाओं, व्यापक विकास योजनाओं और क्षेत्रीय योजनाओं में क्षेत्र के परिवर्तन के लिए योजना और विकास प्राधिकरण के पास दायर आवेदनों के प्रक्रमण के लिए प्रभावित किए जाने के लिए, सरकार, अधिसूचना द्वारा, फीस उद्ग्रहित कर सकती है।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव की क्षेत्रीय योजना, रूपरेखा विकास योजनाओं, व्यापक विकास योजनाओं और अंचल योजनाओं को अधिसूचित क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए प्रभारित किए जाने के लिए फीस उद्ग्रहित कर सकती है।

41. धारा 101क का अंत:स्थापन–धारा 101 के बाद, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

जोन परिवर्तन के लिए प्रोसेसिंग फीस की दर

"101क. धारा 100क के अधीन जोन परिवर्तन के लिए प्रोसेसिंग फीस या फीस की दर सरकार द्वारा अधिसूचित दर होगी।

42. धारा 105क और 105ख का अंत:स्थापन–धारा 105 के बाद, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

धन उधार लेने की प्राधिकरण की शक्ति।	"105क. समुचित प्राधिकरण, समय-समय पर, ऐसी ब्याज दर पर और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर उधार ले सकता है, जो सरकार निम्नलिखित उद्देश्य के लिए आवश्यक राशि के लिए अनुमोदितकरे: - (क) पूंजीगत राशि के नामे डालने योग्य व्यय को पूरा करना; (ख) इस अधिनियम के तहत पहले लिए गए किसी भी ऋण को चुकाना।
ब्याज के भुगतान और ऋण की अदायगी की प्राथमिकता।	"105ख. ब्याज के लिए या ऋणों की अदायगी के लिए समुचित प्राधिकरण से प्राप्य सभी संदाय उक्त प्राधिकरण से प्राप्य अन्य सभी संदायों के लिए प्राथमिकता में किए जाएंगे। "

43. धारा 107.–उप-धारा (4) में, "और बोर्ड" का लोप करें।

44. धारा 108.–

(i) उपधारा (1) का लोप करें।

(ii) उप-धारा (2) को धारा 108 के रूप में पुनर्संख्यांकित करें और "और बोर्ड" का लोप करें।

45. धारा 110.–

(i) उप-धारा (1) में, "बोर्ड द्वारा" के स्थान पर "सरकार द्वारा" रखें।

(ii) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उप-धारा (1) के तहत सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति अधिकारी की शक्तियों का विस्तार पूरे संघ राज्यक्षेत्र पर होगा, और उप-धारा (1) के तहत सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति अधिकारी की शक्तियां उस प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर योजना क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र तक विस्तारित होंगी जिसे सरकार ने विकास योजना में शामिल करने का निर्देश दिया हो।"

(iii) उप-धारा 3 में, "एक" के स्थान पर "दस" रखें।

46. धारा 111.–

(i) उप-खंड (i) के खंड 'ग' की उप-धारा (iii) में "डाक" के बाद "या इलेक्ट्रॉनिक रूप में" अंत:स्थापित करें।

(ii) उप-धारा (4) में "बोर्ड या बोर्ड के सचिव" के लिए "विहित प्राधिकारी" और "बोर्ड" के लिए तीसरी बार "सरकार" को रखें।

47. धारा 112.– "बोर्ड के सचिव" और "बोर्ड" शब्द जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, "विहित प्राधिकारी" रखें।

48. धारा 114.– "बोर्ड के सचिव" के लिए "बोर्ड और" का लोप करें या'' के स्थान पर "सदस्य सचिव" और "बोर्ड" के स्थान पर चौथी बार आने वाले "सरकार" को रखें।

49. धारा 115.–

(i) उप-धारा (1) में, "क्षेत्रीय योजना" का लोप करें।

(ii) उप-धाराओं (1), (2) और (3) में, "टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड" शब्द जहां कहीं भी हों, उनके स्थान पर "योजना और विकास प्राधिकरण" रखें।

50. धारा 123.– "दो सौ" शब्दों के लिए "दस हजार" शब्द रखें।

51. धारा 124.– "या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी" का लोप करें।

52. धारा 125। पहला शब्द "द" के स्थान पर "ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि विहित हो," शब्द रखें जाएंगे।

53. धारा 130.– "बोर्ड या" और "बोर्ड और के" जहां कहीं भी हों, का लोप करें।

54. धारा 140.–

उप-धारा 2 में,

(i) खंड (ख) का लोप करें।

(ii) खंड (ग) में, "बोर्ड" के स्थान पर "विहित प्राधिकारी" रखें।

(iii) खंड (घ) में "बोर्ड और" का लोप करें।

(iv) खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ड.क) जिस प्रारूप और रीति से विकास अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना है और जिस रीति से धारा 41क के तहत विकास अधिकार का उपयोग किया जाना है;

(ड.ख) धारा 41ख के तहत आवास आरक्षण के माध्यम से भूमि और सुविधा को किस तरीके से अंतरित किया जाना है;

(ड.ग) धारा 41ग के तहत जिस रीति से संपत्ति के विकास के अधिकार को वापस लिया जा सकता है या अलग किया जा सकता है और अन्य क्षेत्र को आवंटित किया जा सकता है, जो कि धारा 41 सी के तहत भावी पीढ़ी के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से होता है;

(v) खंड (छ) में "बोर्ड के, और" का लोप करें।

(vi) खंड (प) में "बोर्ड" के लिए "विहित प्राधिकरण" को शब्द रखें।

(vii) उप-धारा 3 में "पांच सौ" और "पच्चीस" के स्थान पर क्रमशः "दस हजार" और "एक हजार" शब्द रखें।

(viii) उपधारा (4) का लोप करें।

55. धारा 141.–उप-धारा (2) में, "एक सौ पचास" के स्थान पर "दो लाख" शब्द रखें और

"दस" शब्द के बाद "हजार" शब्द अंत:स्थापित करें।

9. गोवा, दमण और दीव आवासीय बोर्ड अधिनियम, 1968

(1968 का 12)

1. मूल अधिनियम में, विस्तृत नाम में, संक्षिप्त नाम में प्रस्तावना में, धारा 1 की उप-धारा (2) में, धारा 2 के खंड (घ) और (प), और धारा 3 की उप-धारा (1) में,''गोवा" के लिए, जहां कहीं भी यह आया है, "दादरा और नागर हवेली और" को रखें।

2. धारा 25 की उप-धारा (1) और (2) में, धारा 105 के खंड (क) और (ग) में, सीमांत शीर्षक में और धारा 107 में, धारा 111 में, धारा 114 में, धारा 117 में, सीमांत शीर्षकों में और धारा 121 में औरधारा 122 में,"अध्यक्ष" के स्थान पर, जहां कहीं यह आया है, "सचिव" रखें।

3. धारा 2.–

(i) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ट) "सरकार" सेअभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की अध्यक्षता में दादरा और नागर हवेली तथा दमण तथा दीव का संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन है।"

(ii) खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ठ) "भूमि" में खुले स्थल और भूमि शामिल है जिस पर निर्माण किया जा रहा है या पहले से ही निर्माण किया गया है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ी हुई हैं; और इसमें समुद्र, नाले, नदी, झील या किसी अन्य जल के नीचे की भूमि भी शामिल है।"

(iii) खंड (त) के उप-खंड (ii) में, "उससे" संबंधित के बाद, "और" अंत:स्थापितकरें।

(iv) खंड (त) के उपखंड (ii) के बाद, निम्नलिखित उपखंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(iii) भवन या भवन का एक भाग जिसे किराये पर दिया गया है या किराए पर देने का इरादा है या अलग से जिसका कब्जा लिया हुआ है;"

(v) खंड (न) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(न) "सचिव" से बोर्ड के सचिव-सह-प्रबंध निदेशक अभिप्रेत"।

4. धारा 3.–उप-धारा (3) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " रखें।

5. धारा 5.

(i) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रत्येक सदस्य सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा"।

(ii) दूसरे परंतुक का लोप करें।

6. धारा 21.–

(i) उप-धारा (1) में, "पच्चीस हजार" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख" शब्द रखें।

(ii) पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि यदि धन किसी सरकारी गारंटी से जुड़ा हुआ है और अन्य मामलों में यह एक करोड़ रुपये है" तो बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, दस लाख रुपये से अधिक का कोई खर्च नहीं करेगा।

7. धारा 53.–उप-धारा (2) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" को रखें।

8. धारा 68.–परंतुक का लोप करें।

9. धारा 95.–उप-धारा (2) में -

(i) खंड (क) का लोप करें।

(ii) खंड (ख) को उप-धारा (2) के रूप में पढ़ें।

10. धारा 97.– "पचास" के स्थान पर "पांच सौ" रखें।

11. धारा 98.–

(i) खंड (क) में, "सौ" के स्थान पर "हजार" और "पचास" के स्थान पर "पांच सौ" रखें।

(ii) खंड (ख) में, "सौ" के स्थान पर "हजार" और "दस" के स्थान पर "एक सौ" रखें।

12. धारा 99.–

(i) खंड (क) में, "सौ" के स्थान पर "हजार" रखें।

(ii) खंड (ख) में, "पचास" के लिए, "पांच सौ" रखें।

13. धारा 100- खंड (ख) में, "सौ" के स्थान पर "हजार" रखें।

14. धारा 101.–

(i) खंड (क) में, "सौ" के स्थान पर "हजार" रखें।

(ii) खंड (ख) में, "पचास" के लिए, "पांच सौ" रखें।

15. धारा 128.–उपधारा (3) का लोप करें।

10. गोवा, दमण और दीव माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975

(13 का 1975)

1. मूल अधिनियम में, विस्तृत नाममें, संक्षिप्त नाम में, धारा 1 की उप-धारा (2) में, धारा 2 के खंड (5) और (18) में, धारा 3 की उप-धारा (1) में और धारा 51 में, "गोवा" के स्थान पर, जहाँ भी यह आया है, "दादरा और नागर हवेली और" रखें।

2. धारा 2.–

(i) खंड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7). "सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की अध्यक्षता में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव का संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।

(ii) खंड (8) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(8क) "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा" से है ऐसी साधारण या साधारण और तकनीकी या व्यावसायिक या विशेष शिक्षा का संयोजन अभिप्रेत है, जो ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है;"।

(iii) खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(11) सरकार द्वारा संचालित संस्थान के संबंध में "प्रबंधन" से शिक्षा निदेशक और अन्य संस्थानों के मामले में, ट्रस्टी या प्रबंध या शासी निकाय अभिप्रेत है, जो जिस नाम से भी जाना जाता है, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) के अधीन पंजीकृत किसी भी ट्रस्ट या सोसायटी के ट्रस्टी या प्रबंध या शासी निकाय, जो जिस नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रबंधन में एक या एक से अधिक स्कूल या संस्थान चलाए जाते हैं;"।

(iv) खंड (17) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(17क) "राज्य" से दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;"

3. धारा 9.–

(i) उप-धारा (1) में, "उसकी परिलब्धियां और सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की गई हों" के स्थान पर, "सचिव की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड, भर्ती का तरीका और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की गई हों" रखें।

(ii) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"बोर्ड के सचिव के पद पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं और अनुभव निम्नलिखित हैं-

(क) (i) उसके पास कला में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्चतर शिक्षा में द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री या डिप्लोमा, या विज्ञान और शिक्षा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें शिक्षण और प्रशासन दोनों में कम से कम 15 साल का अनुभव हो; तथा

(ii) उसने किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के अधीन शिक्षा निरीक्षक या उसके समकक्ष पद से नीचे का जिम्मेदार पद पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए धारण न किया हुआ हो;

(ख) राज्य का समूह 'क' अधिकारी।

4. धारा 12.–वर्ग-क, वर्ग- ख और वर्ग- ग के लिएनिम्नलिखित को रखें-

वर्ग-क - (i) स्कूल शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा नाम निर्देशिती जो उप निदेशक के पद से नीचे का न हो;

(ii) खेल और युवा मामलों के निदेशक;

(iii) कला और संस्कृति निदेशक;

(iv) शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशक;

(v) तकनीकी शिक्षा निदेशक;

(vi) राज्य शिक्षा संस्थान के निदेशक; तथा

(vii) उच्चतर शिक्षा निदेशक।

निर्वाचित सदस्य।–

वर्ग-ख- (i) दादरा और नागर और दमण और दीव विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए विज्ञान और कला संकायों में से प्रत्येक से एक सदस्य, जोविश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा सदस्यों में सेनिर्वाचित होगा, जिनमें से कम से कम एक सदस्य कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेगा और इस तरह के प्रथम निर्वाचन होने तक, राज्य के कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों में से सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;

(ii) (क) क्रमशः दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के तीन प्रधानाचार्य; तथा

(ख) राज्य के बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे स्कूलों के व्यावसायिक स्ट्रीम के शिक्षकों द्वारा क्रमश: दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव जिलों के लिए व्यावसायिक स्ट्रीम से परस्पर निर्वाचित तीन प्रतिनिधि;

(iii) क्रमशः दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के तीन ग्रेड I शिक्षक, जिन्हें राज्य में बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे स्कूलों के शिक्षकों द्वारा परस्पर निर्वाचित किया गया हो;

(iv) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से भिन्न अन्य माध्यमिक विद्यालयों के छह प्रधानाध्यापक, प्रत्येक निर्दिष्ट क्षेत्र से एक-एक, जिन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा परस्पर निर्वाचित किया गया हो;

(v) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से भिन्न अन्य माध्यमिक विद्यालयों के छह शिक्षक, प्रत्येक निर्दिष्ट क्षेत्र से एक-एक, जिन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे स्कूल के शिक्षकों द्वारा परस्पर निर्वाचित किया गया हो;

(vi) राज्य में बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे स्कूलों के प्रबंधन द्वारा परस्पर निर्वाचित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन के दो प्रतिनिधि;

मनोनीत सदस्य –

वर्ग-ग - सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले निम्नलिखित छह सदस्य:-

(i) दृश्य/प्रदर्शन कला का एक प्रतिनिधि;

(ii) विकलांगों की शिक्षा/पुनर्वास में योगदान देने वालों में से एक प्रतिनिधि;

(iii) राज्य के माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से एक प्राचार्य; तथा

(iv) महाविद्यालयों के कर्मचारियों, माध्यमिक और/या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को छोड़कर दो व्यक्ति, जिन्हें सरकार द्वारा प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से नामित किया जाएगा, जिनमें से एक महिला होगी, बशर्ते उपर्युक्त वर्ग में किसी महिला सदस्य का प्रतिनिधित्व न हो;

(v) व्यावसायिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मनोनीत सदस्य:

5. धारा 17क का अंतःस्थापन–धारा 17 के बाद, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

अध्यक्ष को हटाना।

"17क. सरकार, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद, बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटा सकती है, यदि वह, -

(क) नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; या

(ख) किसी भी चूक, कदाचार, दुर्व्यवहार या अपमानजनक आचरण का दोषी पाया गया है जो सरकार की राय में उसे अध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य बनाता है; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(घ) किसी भी चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम घोषित किया गया है जैसा कि सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे; या

(ड.) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकृत चित्र के होने का फैसला किया गया है; या

(च) ऐसे कृत्य में संलिप्त रहा है जो बोर्ड के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए अहितकर हो।"

6. धारा **22.**–उप-धारा (**4**) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उप-धारा (**1**) के खंड (**i**) और (**ii**) में विनिर्दिष्ट लोगों से भिन्न कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं होगा, या ऐसा सदस्य नहीं बना रहेगा।"

7. धारा **23.**–उप-धारा (**1**) में,

(**i**) खंड (**ix**) के परंतुक में, "**1000** रु." के स्थान पर, "राशि जो विहित की जाए" रखा जाएगा।

(**ii**) खंड (**xi**) में, "**100/-** रुपए से अधिक लेकिन **1000/-** रुपए से अनधिक" के स्थान पर, "जैसा विहित किया जाए" रखा जाएगा।

8. धारा **31.**– "सिफारिश" के पश्चात, "कार्यकारी परिषद में" अंत:स्थापित किया जाएगा।

9. धारा **40.** "इसकी वार्षिक बैठक में" का लोप किया जाएगा।

10. धारा **45** क और **45**ख का अंत:स्थापन-धारा **45** के पश्चात, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

निरीक्षण और जांच।

"45 क. (1) सरकार को किसी भी माध्यमिक विद्यालय के भवनों, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और उपकरणों के बोर्ड के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण कराने या ऐसे किसी स्कूल या कॉलेज द्वारा संचालित शिक्षण या अन्य कार्य के बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त जूनियर कॉलेज, और बोर्ड की ओर से आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन और किसी बोर्ड से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में इसी तरह से जांच करने का अधिकार होगा, जैसा वह निर्देश दे। सरकार, हर मामले में, निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय के संबंध में बोर्ड को उचित नोटिस देगी, और बोर्ड एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या पूछताछ पर उपस्थित होने और सुनवाई का अधिकार होगा।

(2) सरकार निरीक्षण या जांच के परिणामों के संदर्भ में बोर्ड को अपने विचार बताएगी और बोर्ड की राय जानने के बाद, की जाने वाली कार्रवाई पर सुझाव देगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा तय करेगी।

(3) बोर्ड सरकार को ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, की रिपोर्ट करेगा, जैसा कि उसने निरीक्षण या जांच के परिणामों पर किया है या लेने का प्रस्ताव करता है। ऐसी रिपोर्ट, उस पर बोर्ड की राय के साथ, सरकार द्वारा निर्देशित समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(4) जहां बोर्ड निर्धारित समय के भीतर सरकार की संतुष्टि के लिए कार्रवाई नहीं करता है, सरकार, बोर्ड द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, ऐसा निर्देश जारी कर सकती है जो वह ठीक समझे, और बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

कतिपय परिस्थितियों में बोर्ड का विघटन या दमन।

45ख. (1) यदि सरकार की राय में, बोर्ड प्रदर्शन करने के लिए सक्षम नहीं है या ठीक से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, या जानबूझकर इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत या अन्यथा विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में चूक करता है या अपनी शक्तियों से अधिक शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग करता है या इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के विपरीत कार्य कर रहा है या करता है, या धारा 50 के अधीन इसे जारी किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा बोर्ड को कारणों सहित स्पष्टीकरण देने का एक अवसर देने के पश्चात, बोर्ड को भंग कर सकती है या इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट तीन साल से अनधिक अवधि के लिए इसे अधिक्रमित कर सकती है और ऐसी अवधि उस अवधि से आगे बढ़ सकती है जिसके लिए बोर्ड के सदस्यों ने धारा 13 के अधीन पद धारण किया होता, यदि बोर्ड को इस धारा के अधीन अधिक्रांत नहीं किया गया होता।

(2) जब बोर्ड को भंग या अधिक्रांत किया जाता है, तो निम्नलिखित परिणाम होंगे:

(क) बोर्ड के सभी सदस्य, अधिक्रमण के मामले में, अधिक्रमण के आदेश की तारीख से, और विघटन के मामले में, विघटन के आदेश में निर्दिष्ट तारीख से, ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद को रिक्त कर देंगे;

(ख) समितियों के बोर्ड की सभी शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का, विघटन या अधिक्रमण की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादन किया जाएगा, जिन्हें सरकार समय-समय पर इस संबंध में नियुक्त करे;

(ग) बोर्ड में निहित सभी संपत्ति विघटन या अधिक्रमण की अवधि के दौरान सरकार में निहित होगी।

(3) बोर्ड के विघटन के पश्चात, बोर्ड को पुन:स्थापित किया जाएगा और पुनर्गठन इस अधिनियम में उपबंधित तरीके से या सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन विघटन के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से या उससे पहले किया जाएगा।

(4) जहां बोर्ड का अधिक्रमण किया जाता है, वहां उसे अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर इस अधिनियम में उपबंधित रीति से पुनः स्थापित और पुनर्गठित किया जाएगा।"

11. धारा **46.**–उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

11.क. बम्बई सिंचाई अधिनियम, 1879 (बंम्बई अधिनियम संख्या 1879 का 8)

[दादरा और नगर हवेली के तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र के लिए यथाप्रयोज्य]।

समग्र रूप से निरसित किया जाता है।

11.ख गोवा, दमण और दीव सिंचाई अधिनियम, 1973

(1973 का 18)

1. मूल अधिनियम में, वृहत नाम में, प्रस्तावना में, संक्षिप्त नाम में, उप-धारा (2) में और धारा 1 की उप-धारा (3) वे परंतुक में और धारा 2 के खंड (7) में, "गोवा",जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर "दादरा और नगर हवेली और" को रख जाएगा।

2. धारा2.–खंड (16) में, "सौ" के पश्चात, "या जैसा विहित किया जाए" अंत:स्थापित किया जाएगा।

3. धारा 6.–खंड (ख) में "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केंद्रीय अधिनियम I) की धारा 4" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" को रख जाएगा। "

4. धारा 16.–

(i) "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केंद्रीय अधिनियम 1)" शब्द जहां कहीं भी आए हों उसके स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" रखा जाएगा।

(ii) "की धारा 6," ''की धारा 7''और ''की धारा 17''का लोप किया जाएगा।

5. धारा 29.–उप-धारा (2) में "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केंद्रीय अधिनियम I) की धारा 23 और 24" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" रखा जाएगा।

6. धारा 30.– "गोवा, दमण और दीव प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1965 (1965 का 6) के अधीन स्थापित" का लोप किया जाएगा।

7. धारा 41. "(1969 का 9)" के पश्चात, "या दादरा और नगर हवेली भूमि विनियमन, 1971 (1971 का 2), जैसा भी मामला हो" अंत:स्थापित करें।

8. धारा 43.–उप-धारा (2) में, "(1969 का 9)" के पश्चात, "या दादरा और नगर हवेली भूमि विनियमन, 1971 (1971 का 2), जैसा भी मामला हो" अंत:स्थापित किया जाएगा।

9. धारा 50.– "अगर ऐसा किरायेदार गोवा, दमण और दीव कृषि कश्तकारी अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के उपबंधों के अधीन ऐसी भूमि के संबंध में सिंचाई उपकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है'' का लोप किया जाता है।

10. धारा 53.–

(i) उप-धारा (2) और (3) में, "की धारा 124" का लोप किया जाता है, और "(1969 का 9)" के पश्चात, "या दादरा और नगर हवेली भूमि विनियमन, 1971 (1971 का 2), जैसा भी मामला हो, अंत:स्थापित करे ।

(ii) उप-धारा (4) में, "की धारा 123 और 124" का लोप करें, और "(1969 का 9)" के बाद, "या दादरा और नगर हवेली भूमि विनियमन, 1971 (1971 का 2), जैसा भी मामला हो, अंत:स्थापित किया जाएगा।

11. धारा 60.– "तालुका के" का लोप किया जाता है ।

12. धारा 66.– "तालुका के" का लोप किया जाता है ।

13. धारा 70.– "(1969 का 9)" के पश्चात, "या दादरा और नगर हवेली भूमि विनियमन, 1971 (1971 का 2), जैसा भी मामला हो" को अंत:स्थापित किया जाता है।

14. धारा 84.– "एक वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष", "एक हजार" के स्थान पर "दस हजार","दो माह" के स्थान पर "दो वर्ष", "पांच सौ" के स्थान पर " पांच हजार", "पचास" के स्थान पर "पांच सौ" और "दो सौ पचास" के स्थान पर "दो हजार पांच सौ" शब्दों को रखा जाएगा।

15. **धारा 97.–उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।**

12.क. बम्बई जुआ निवारण अधिनियम, 1887 (1887 का बम्बई अधिनियम संख्या 4)

[दादरा और नगर हवेली के तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र के लिए यथाप्रयोज्य]।

समग्र रूप से निरसित किया जाता है।

12.ख. गोवा, दमण और दीव सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1976

(1976 का 14)

1. मूल अधिनियम में, दीर्घ शीर्षक में, प्रस्तावना में, संक्षिप्त शीर्षक में और धारा 1 की उप-धारा (2) में, "गोवा" के स्थान पर, जहाँ भी यह आता है, "दादरा और नगर हवेली और" को रखा जाएगा।

2. धारा 2. खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) "सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की अध्यक्षता में दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव का संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन है।"।

3. धारा 3.

(i) धारा 3 को उप-धारा (1) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाएगा।

(ii) खंड (घ) में "दो" के स्थान पर "छह" और "दो हजार पांच सौ" के स्थान पर "पच्चीस हजार" रखा जाएगा।

(iii) परंतुक में,

(क) खंड (i) में, "एक महीने" के स्थान पर, "तीन महीने" और "दो सौ" के स्थान पर "दो हजार" शब्दों को रखा जाएगा।

(ख) खंड (ii) में, "तीन" के स्थान पर, "छह" और "तीन सौ" के स्थान पर "तीन हजार" शब्दों को रखा जाएगा।

(ग) खंड (iii) में, "छह महीने" के स्थान पर, "एक वर्ष" और "पांच सौ" के स्थान पर "पांच हजार" शब्दों को रखा जाएगा।

(iv) उप-धारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(2) अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए में भी या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 की उप-धाराओं (1), (4), (5) और (6) के अधीन दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा।"

4. धारा 4.–

(i) उप-धारा (1) में, "एक वर्ष" के स्थान पर, "तीन वर्ष" और "एक हजार" के स्थान पर "दस हजार" शब्दों को रखा जाएगा।

(iii) परंतुक में,–

(क) खंड (i) में, "एक महीने" के स्थान पर, "तीन महीने" और "दो सौ" के स्थान पर "दो हजार" शब्दों का रखा जाएगा ।

(ख) खंड (ii) में, "तीन" के स्थान, "छह" और "तीन सौ" के स्थान पर "तीन हजार" शब्दों का रखा जाएगा ।

(ग) खंड (iii) में, "छह महीने" के स्थान पर, "एक वर्ष" और "पांच सौ" के स्थान पर "पांच हजार" शब्दों को रखा जाएगा ।

5. धारा 4क का अंत:स्थापन- धारा 4 के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

लाइसेंस रद्द करना।

"4क. यदि कोई स्थान या जलयान जहाँ कोई व्यवसाय या कोई अन्य गतिविधि उस समय लागू किसी विधि के अधीन दिए गए लाइसेंस के अधीन की जा रही हो, और ऐसे स्थान या जहाज का उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में जुआ खेलने के उद्देश्य से किया जाता है। और/या उसके अधीन बनाए गए नियम, तब, धारा 3 या धारा 4 या ऐसी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यवसाय या अन्य गतिविधि का लाइसेंसधारी, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के लिए जो उचित हो ऐसे लाइसेंस के निलंबन के लिए या ऐसे लाइसेंस को रद्द करने के लिए, उत्तरदायी हो सकता है,

परंतु कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक लाइसेंसधारी को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं प्रदान किया जाता है।"।

6. धारा **6.–** "तीन महीने" के स्थान पर, "एक वर्ष" और "एक" के स्थान पर "दस" शब्दों को रखा जाएगा।

7. धारा **11.**

(i) उप-धारा **(2)** में "तीन" के स्थान पर "छह" और "दो" के स्थान पर "बीस" शब्दों को रखा जाएगा ।

(ii) उप-धारा **(2)** के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु-

(i) (क) उप-धारा **(1)** के खंड (क) के अधीन पहले अपराध के लिए, ऐसा कारावास जो एक महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना दस हजार रुपये से कम नहीं होगा;

(ख) उप-धारा **(1)** के खंड (क) के अधीन दूसरे अपराध के लिए, ऐसा कारावास जो दो महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा; तथा

(ग) उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन तीसरे या बाद के अपराध के लिए, ऐसा कारावास जो तीन महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा;

(ii) (क) उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन पहले अपराध के लिए, ऐसा कारावास जो एक महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना दस हजार रुपये से कम नहीं होगा;

(ख) उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन दूसरे अपराध के लिए, ऐसा कारावास जो दो महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा; तथा

(ग) उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन तीसरे या बाद के अपराध के लिए, ऐसा कारावास जो तीन महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा;

(iii) (क) उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन पहले अपराध के लिए, ऐसा कारावास जो दो महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा; तथा

(ख) उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन बाद के अपराध के लिए ऐसा कारावास छह महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा:

परंतु यह और कि जहां इस तरह के जुए में दांव लगाना या सट्टेबाजी या ऐसा कोई लेन-देन शामिल है, जैसा कि धारा 2 के खंड (2) के उप-खंड (ख) में संदर्भित है, ऐसा व्यक्ति धारा 4 में निर्दिष्ट सीमा तक दंडनीय होगा और सभी धन जो पाए जाएंगे ऐसे व्यक्तियों के साथ जब्त कर लिया जाएगा।"

13. भारतीय स्टाम्प (गोवा, दमण और दीव संशोधन) अधिनियम, 1968

(17 का 1968)

1.भारतीय स्टाम्प (गोवा, दमण और दीव संशोधन) अधिनियम, 1968 में गोवा, दमण और दीव के तत्कालीन संघ राज्य क्षेत्र में दीर्घ शीर्षक में, प्रस्तावना में, संक्षिप्त नाम और धारा 1 की उप-धारा (2) और (3) में जहां कहीं भी "गोवा" आया हो, उसके स्थान पर "दादरा और नगर हवेली और" रखा जाएगा।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का ।।) की धारा 2 का संशोधन.

(जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है)। - धारा 2,--

(i) खंड (1क) के रूप में खंड (1) को पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा।

(ii) खंड (1क) से पहले इस तरह से पुर्नसंख्यांकित अंत:स्थापित किया जाएगा,—

"(1) "एसोसिएशन" से कोई भी एसोसिएशन, एक्सचेंज, संगठन या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, किसी भी सामान या विपणन योग्य प्रतिभूतियों से संबंधित बिक्री या खरीद, या अन्य लेनदेन के व्यवसाय को विनियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, अभिप्रेत है।;"

(iii) खंड (7) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(7क) 'मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए इस संबंध में नियुक्त करे;"।

(iv) खंड (10) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(10) "हस्तांतरण " में निम्नलिखित शामिल हैं, —

(i) बिक्री पर एक हस्तांतरण ;

(ii) प्रत्येक उपकरण;

(iii) किसी दीवानी न्यायालय की प्रत्येक डिक्री या अंतिम आदेश;

(iv) कंपनियों के समामेलन या पुनर्निर्माण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन उच्च

न्यायालय द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश; और बैंकिंग कंपनियों के समामेलन या पुनर्निर्माण के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा 44क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति से संपत्ति, चाहे चल या अचल हो, या कोई संपदा या किसी संपत्ति में हित किसी अन्य व्यक्ति, को हस्तांतरित या निहित किया जाता है, और जो अन्यथा विशेष रूप से अनुसूची-I या अनुसूची-IIकद्वारा जैसा भी मामला हो प्रदान नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण: - एक लिखत जिसके द्वारा किसी संपत्ति का सह-स्वामी अपना हित संपत्ति के किसी अन्य सह-स्वामी को हस्तांतरित करता है और जो विभाजन का साधन नहीं है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए एक ऐसा लिखत समझा जाएगा जिसके द्वारा संपत्ति एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को अंतरित की जाती है;

(v) खंड (13) के उपखंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -:-

"(ग) फ्रैंकिंग मशीन द्वारा छाप;

(घ) ऐसी किसी मशीन द्वारा छाप जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।"

(vi) खंड (16क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -:-

"(16ख) किसी भी संपत्ति के संबंध में, "बाजार मूल्य", जो लिखत की विषय वस्तु हैसे वह मूल्य अभिप्रेत है जो ऐसी संपत्ति को ऐसे लिखत के निष्पादन की तारीख पर खुले बाजार में बेचे जाने पर प्राप्त होता, या लिखत में वर्णित प्रतिफल प्राप्त होता है, जो भी अधिक हो;"।

(vii) खंड (26) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(27)" "राज्य" से दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(28) "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की अध्यक्षता में दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।"

3. मूल अधिनियम में धारा 3क का अंत:स्थापन- धारा 3 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

शुल्क के साथ प्रभार्य खनन पट्टे की स्वीकृति या नवीनीकरण या हस्तांतरण का लिखत।

"**3क.** (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, खनन पट्टे की स्वीकृति, नवीनीकरण या हस्तांतरण के प्रत्येक लिखत पर, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क रॉयल्टी की राशि के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर होगा जो पट्टे की अवधि के गुणक में प्रवृत्त संगत विधि के अधीन इस तरह के खनन पट्टे के लिए जारी पर्यावरणीय मंजूरी के अधीन अनुमति प्राप्त खनिजों के वार्षिक निष्कर्षण, से प्रोद्भूत होगा।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय कानूनों और राज्य कानूनों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022के प्रारंभ होने के वर्ष से खनिजों के उच्चतम ग्रेड की औसत रॉयल्टी को ध्यान में रखा जाएगा:

परंतु यह कि उप-धारा (1) के अधीन देय शुल्क, पट्टे की अवधि के अनुसार प्रवृत्त संगत विधि के अधीन इस तरह के खनन पट्टे के लिए जारी पर्यावरणीय मंजूरी के अधीन अनुमत खनिज के पंद्रह गुना वार्षिक निष्कर्षण की दर को गुणा करके प्राप्त की गई राशि से अधिक नहीं होगा।:

परंतु यह भी कि बॉक्साइट के लिए खनन पट्टे के मामले में, उप-धारा (1) के अधीन देय शुल्क, इस तरह के खनन पट्टे के लिए प्रवृत्त संगत विधि के अधीन, पट्टे की अवधि के गुणक में जारी की गई पर्यावरणीय की मंजूरी के अधीन अनुमत खनिज के डेढ़ गुना वार्षिक निष्कर्षण की दर को लागू करके प्राप्त की गई राशि से अधिक नहीं होगा:

परंतु यह भी कि मैगनीज के लिए खनन पट्टे के मामले में, उप-धारा (1) के अधीन देय शुल्क इस तरह के खनन पट्टे के लिए प्रवृत्त संगत विधिके अधीन जारी किए

गए, पट्टे की अवधि के गुणक में पर्यावरण की मंजूरी के अधीन अनुमत खनिज के एक सौ पचास गुना वार्षिक निष्कर्षण की दर को लागू करके प्राप्त की गई राशि से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि एक से अधिक खनिजों के लिए खनन पट्टे के मामले में और उसकी पर्यावरणीय मंजूरी होने की स्थिति में, ऐसे प्रत्येक खनिज पर देय कुल स्टाम्प शुल्क को ध्यान में रखते हुए देय शुल्क की गणना की जाएगी:

परंतु यह भी कि यदि किसी खनन पट्टे के संबंध में पट्टे को अभ्यर्पित करने या विधि को लागू करने या किसी भी खनिज उत्खनन से स्थायी रूप से बचने की आवश्यकता होती है, तो अदालत के आदेश या किसी भी विधि के अधीन आम तौर पर जारी कोई अधिसूचना जारी की जाती है और इस तरह के निषेध या प्रतिबंध के कारण किसी भी तरह से पट्टेदार या उसके एजेंटों, नौकरों, कर्मचारियों या ऐसे पट्टेदार के माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए खनन संचालन के कारण नहीं हैं, ऐसी शेष अवधि की सीमा तक पट्टे के बकाया और असमाप्त पट्टेदार को उप-धारा (1) के अधीन भुगतान किए गए शुल्क की वापसी की अनुमति दी जाएगी।

(2) इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क का भुगतान किसी भी सरकारी खजाने या सरकारी उप-खजाने में इस तरह से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।

(3) जहां एक खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार को पट्टे की समाप्ति से पहले ही आवेदन किया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार या खनन पट्टे द्वारा पट्टे के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी गई है, जिसकी अवधि को प्रवृत्त संगत विधि में निहित उपबंधों के अनुसार, उस समय तक के लिए बढ़ा दिया जाता है जब तक राज्य सरकार उस पर एक आदेश पारित नहीं करती है, तब तक आवेदक द्वारा उप-धारा (1) के अधीन देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय कानूनों, राज्य कानूनों और राष्ट्रपति विनियमों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022जारी होने की तारीख से या पट्टे को निष्पादित करने के लिए नोटिस जारी करने के साठ दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, पट्टे की बकाया अवधि के लिए किया जाएगा और असमाप्त पट्टे के लिए इसमें ऊपर उप-धारा (1) के अधीन दिए गए शुल्क की वापसी की जाएगी।

(4) यदि राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे की स्वीकृति, नवीनीकरण या हस्तांतरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो आवेदक उसके द्वारा भुगतान किए गए पूर्ण स्टाम्प शुल्क को बिना ब्याज के वापस पाने का हकदार होगा। एक खनन पट्टे के मामले में, जिसकी अवधि को राज्य सरकार द्वारा उस पर एक आदेश पारित करने तक और बाद की तारीख में राज्य सरकार द्वारा पट्टे के नवीनीकरण को अस्वीकार करने का आदेश पारित करने तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया माना जाता है, आवेदक ऐसे खनन पट्टे के संबंध में ऐसे अस्वीकृति आदेश की तारीख तक भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की कुल राशि में से कटौती कर प्राप्त स्टाम्प शुल्क की ऐसी राशि की वापसी का हकदार होगा।परंतु यह कि ऐसा कोई रिफंड नहीं किया जाएगा यदि आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती दी जाती है या अस्वीकृति के आदेश के संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त नहीं होती है।"

4. मूल अधिनियम में नई धारा 9क का अंत:स्थापन— धारा 9 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

प्राप्तियों के संबंध में कर्तव्यों को समेकित करने की राज्य सरकार की शक्ति

"**9क.**राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी भी व्यक्ति (किसी भी सरकार सहित) द्वारा दी गई प्राप्तियों या प्राप्तियों के वर्ग के संबंध में कर्तव्यों के समेकन के लिए इस आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उपबंध कर सकती है। "

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में संशोधन - धारा 10 में, उप-धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"(2क) मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जिसे वह अधिरोपित करने, धारा 2 के खंड (13) के उप-खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट फ्रैंकिंग मशीन या किसी अन्य मशीन के उपयोग को अधिकृत करने और लिखतों पर देय शुल्कों के भुगतान को इंगित करने के लिए शुल्क के साथ प्रभार्य लिखतों पर छापेबनाने के लिए उपयुक्त हो।

(2ख) (क) जहां मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि निष्पादित लिखतों की सीमा और उस पर प्रभार्य शुल्क के संबंध में, किसी भी व्यक्ति, निकाय या संगठन को फ्रैंकिंग मशीन या किसी अन्य मशीन के इस तरह के उपयोग के लिए अधिकृत करना जनहित में आवश्यक है, वह, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति, निकाय या संगठन को अधिकृत कर सकता है।

(ख) ऐसा प्रत्येक प्राधिकरण, यदि कोई हो, ऐसी शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी, किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में विहित करे।

(2ग) फ्रैंकिंग मशीन या इस प्रकार अधिकृत किसी अन्य मशीन के उपयोग को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो कि मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी, आदेश द्वारा, विहित करे।

(3) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहां सरकार, राज्य के किसी भी क्षेत्र के संबंध में, संतुष्ट है कि राज्य में किसी भी क्षेत्र में टिकटों की अस्थायी कमी के कारण, शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है और स्टाम्प के माध्यम से लिखतों पर शुल्क इंगित नहीं किया जा सकता है, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि, ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के लिए, शुल्क का भुगतान किसी भी सरकारी खजाने या सरकारी उप-कोषागार या किसी अन्य स्थान पर नकद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान आदेश द्वारा, जैसा कि सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विहित करे, किया जा सकता है और रसीद या चालान उसके प्रभारी अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। ऐसी रसीद या चालान मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उचित सत्यापन के पश्चात कि शुल्क का भुगतान नकद या डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर द्वारा किया गया है, निम्नलिखित आशय का लिखत पर पृष्ठांकन, ऐसी रसीद या चालान को रद्द करने के बाद, करेगा, ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सके, अर्थात्: —

"----------रु. का स्टाम्प शुल्करसीद/चालान संख्या ..... तारीख..... के माध्यम से नकद या डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा भुगतान किया गया।

मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी के हस्ताक्षर

परंतु यह कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि तीन महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "डिमांड ड्राफ्ट" और "भुगतान आदेश" से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठिततदनुरूपी नए बैंक याबैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित किसी बैंक या, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ड.) में परिभाषित अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश,अभिप्रेत है।

(4) उप-धारा (2क), (2ख) और (2ग), या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (3), या किसी भी लिखत के अधीन किए गए पृष्ठांकन का आशय यह होगा मानो छाप में इंगित अथवा पृष्ठांकन में वर्णित, जो भी स्थिति हो, राशि के बराबर राशि का शुल्क का भुगतान किया गया है, और इस तरह के भुगतान को उप-धारा (1) के अधीन टिकटों के माध्यम से ऐसे लिखत पर इंगित किया गया है "।

6. मूल अधिनियम में नई धारा 10क का अंत:स्थापन — धारा 10 के बाद, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

ट्रेडिंग सदस्य के खाते से स्टाम्प शुल्क काटने के लिए स्टॉक एक्सचेंज आदि, ।

"**10क.**इस अधिनियम में किसी बात के हेाते हुए भी, स्टॉक एक्सचेंज या एसोसिएशन के माध्यम से लेनदेन के मामले में, जैसा कि अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 74) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित है, यथास्थिति स्टॉक एक्सचेंज या, एसोसिएशन, इस तरह के लेनदेन के निपटान के समय ट्रेडिंग सदस्य के खाते से देय स्टांप शुल्क काटकर वसूल करेगा। इस प्रकार एकत्रित स्टाम्प शुल्क को मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सरकारी खजाने या उप-कोषागार में

अंतरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: - इस धारा के प्रयोजन के लिए, "स्टॉक एक्सचेंज" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 42) की धारा 2 के खंड (झ) में परिभाषित स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है।"

7. मूल अधिनियम की धारा 32 का संशोधन — धारा 32 में-उप-धारा (3) के खंड (घ) में, संघ राज्य क्षेत्र के स्थान पर, "खंड 27 के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्य" को रखें।

8. मूल अधिनियम की धारा 47क का प्रतिस्थापन, धारा 47क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"47क. हस्तांतरण के लिखत आदि, जिन्हें कम करके आंका गया, से कैसे व्यवहार किया जाए —

(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 16) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए "हस्तांतरण , विनिमय, उपहार, बिक्री का प्रमाण पत्र, विभाजन का विलेख, मुख्तारनामा, निपटान का विलेख या समनुदेशन के माध्यम से पट्टे के हस्तांतरण के किसी भी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि संपत्ति का बाजार मूल्य जो "हस्तांतरण, विनिमय, उपहार, बिक्री का प्रमाण पत्र, विभाजन का विलेख, मुख्तारनामा, निपटान विलेख या समनुदेशन के माध्यम से पट्टे का हस्तांतरण" का विषय है, जिसे लिखत में सही रूप में दर्ज नहीं किया गया है, तो वह ऐसे लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के बाद, ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए कलेक्टर को संदर्भित कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन एक संदर्भ प्राप्त होने पर, कलेक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के पश्चात और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद, बाजार मूल्य का निर्धारण करेगा जो "हस्तांतरण , विनिमय, उपहार, बिक्री का प्रमाण पत्र, विभाजन का विलेख, मुख्तारनामा, निपटान विलेख या समनुदेशन के माध्यम से पट्टे का हस्तांतरण और उपरोक्त के रूप में शुल्कका विषय है। उसके पश्चात, यदि शुल्क की राशि मेंकोई अंतर हो, तो वह शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा देय होगा।

(3) कलेक्टर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अन्यथा हस्तांतरण , विनिमय, उपहार, बिक्री का प्रमाण पत्र, विभाजन का विलेख, मुख्तारनामा, निपटान विलेख या पट्टे के हस्तांतरण से संबंधित किसी भी लिखत के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो साल के भीतर, उप-धारा (1) के अधीन पहले से ही उसे विनिर्दिष्ट नहीं किए गए ऐसे लिखत में निर्धारित संपत्ति के बाजार मूल्य की शुद्धता के रूप में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से लिखत की जांच करेगा, जो कि "हस्तांतरण , विनिमय, उपहार, बिक्री का प्रमाण पत्र, विभाजन का विलेख, मुख्तारनामा, निपटान विलेख या समनुदेशन के माध्यम से पट्टे के हस्तांतरण और उस पर देय शुल्क से संबंधित लिखत का विषय-वस्तु है और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य को वास्तव में लिखत में निर्धारित नहीं किया गया है, तो वह उप-धारा (2) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य और शुल्क का निर्धारण कर सकेगा, और उसके पश्चात, शुल्क की राशि मेंयदि कोई अंतर हो तो वहशुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा देय होगा:

परंतु यह कि इस उपधारा की कोई बात दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय विधियों और राज्य विधियों का अंगीकरण) चतुर्थ आदेश, 2022 के प्रारंभ होने की तारीख से पहले रजिस्ट्रीकृत किसी भी लिखत पर लागू नहीं होगी।

"परंतु यह कि इस उप-धारा की कोई भी बात दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय कानूनों और राज्य कानूनों का अनुकूलन) चतुर्थ आदेश, 2022 के शुरू होने की तारीख से पहले रजिस्ट्रीकृत समनुदेशन के माध्यम से बिक्री के प्रमाण पत्र, विभाजन के विलेख, मुख्तारनामा, निपटान के विलेख या पट्टे के हस्तांतरण के किसी भी लिखत पर लागू नहीं होगी।

(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, सिविल जज, सीनियर डिवीजन को अपील कर सकेगा और ऐसी सभी अपीलसे ऐसे समय के भीतर की जाएंगी, और उनकी सुनवाई और निपटारा ऐसी रीति में किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन , बनाए गए नियमों द्वारा विहित हो।

स्पष्टीकरण:- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य उस मूल्य के रूप में अनुमानित किया जाएगा जो यथास्थिति, कलेक्टर या सिविल जज, सीनियर डिवीजन, की राय में ऐसी संपत्ति प्राप्त करती, यदि

हस्तांतरण , विनिमय, उपहार, बिक्री के प्रमाण पत्र, विभाजन के विलेख, मुख्तारनामा, निपटान के विलेख या समनुदेशन के माध्यम से पट्टे के हस्तांतरण के लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में उसे बेचा जाता।"

9. मूल अधिनियम की धारा 57 का संशोधन — धारा 57 में. —

(i) उप-धारा (1) के खंड (च) में ''हवेली''के पश्चात''तथा दमण और दीव''अंत:स्थापित करें।

(ii) खंड (छ) का लोप करें।

10. मूल अधनियम की धारा 76 का संशोधन —

धारा 76में, –उप-धारा (3) का लोप करें।

11. मूल अधिनियम की अनुसूची झक का प्रतिस्थापन—

"अनुसूची झक"

	लिखित का विवरण (1)	उचित स्टाम्प शुल्क (2)
1.	5,000 / - रुपए की राशि या मूल्य से अधिक के ऋण में, एक देनदार द्वारा या उसकी ओर से लिखित या हस्ताक्षरित पावती, किसी भी लेखे में (बैंकर की पास बुक के अलावा) या कागज के एक अलग टुकड़े पर इस तरह के ऋण के सबूत के तौर पर कार्य करती है, जब ऐसा लेखा या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया है; परंतु ऐसी पावती में में ऐसे ऋण को अदा करने अथवा ऐसे ऋण पर ब्याज का भुगतान करने या किसी वस्तु अथवा अन्य संपत्ति का परिदान का वचन न किया गया हो। जहां ऐसे ऋण की राशि अथवा मूल्य निम्नलिखित हो -	
	(क) 5,000/-रुपए से अधिक किंतु अधिकतम 10,000/-रुपए;	20/-रु.
	(ख) 10,000/- रु. से अधिक किंतु 10,00,000/-रु. से कम तथा	50/-रु.
	(ग) 10,00,000/- रु. एवं इससे अधिक	100/-रु.
2.	प्रशासन बांड, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, या सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 6 के अधीन दिए गए बांड सहित	
	(क) जब राशि 2,000/-से अधिक न हो;	200/- रु.
	(ख) किसी अन्य मामले में	500/- रु.
3.	दत्तक ग्रहण विलेख यानी ऐसा कोई भी लिखित (वसीयत के अलावा) जिसमें गोद लेने को दर्ज किया गया है, अथवा गोद लेने के लिए अधिकार प्रदान करना या गोद लेने का अधिकार देना तात्पर्यित हो।	1,000/-रु.
4.	शपथ पत्र, शपथ ग्रहण के बजाय पुष्टि या घोषित करने के लिए विधि द्वारा अनुमेय व्यक्तियों के मामले में प्रतिज्ञान या घोषणा सहित - **छूट-** जब शपथपत्र या लिखित में घोषणा की जाए- (क) संघ के सशस्त्र बलों में नामांकन की शर्त के रूप में; (ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष दायर	100/- रु.

	या उपयोग किए जाने के तात्कालिक उद्देश्य के लिए; या (ग) किसी भी व्यक्ति को कोई पेंशन या पूर्त भत्ता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए।	
5.	समझौता अथवा समझौता ज्ञापन	
	(क) विनिमय बिल की बिक्री के संबंध में;	100/- रु.
	(ख) यदि एक निगमित कंपनी अथवा अन्य कॉरपोरेट निकाय में सरकारी प्रतिभूति अथवा शेयर की खरीद अथवा बिक्री से संबंधित हो;	प्रतिभूति अथवा शेयर की लागत का 2प्रतिशत
	(ग) यदि अचल संपत्ति की बिक्री के लिए किए गए समझौते से संबंधित है।	अचल संपत्ति के बाजार मूल्य का 2.9%, न्यूनतम रु. 100/- और उसके गुणजों में निकटतम सौ तक पूर्णांकित करें
	(घ) अगर किसी अचल संपत्ति के निर्माण, विकास या बिक्री या हस्तांतरण (किसी भी रीति में) के लिए किसी प्रमोटर या डेवलपर, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, को अधिकार या शक्ति देने से संबंधित है;	संपत्ति के बाजार मूल्य पर वही शुल्क लगाया जाएगा जो अनुच्छेद 22 के यथास्थिति खंड (ख), अथवा (ग) के अधीन , हस्तांतरण पर उदग्रहणीय है; परंतु यदि अनुच्छेद 49 के खंड (छ) के अधीन एक ही संपत्ति के लिए समान पक्षकारों के हुए मुख्तारनामे पर उचित शुल्क का भुगतान किया गया है तो इस अनुच्छेद के अधीन 500/- रु. का स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा।
	(ड.) यदि इसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है तो	1,000/-रु.
	छूटें करार या करार ज्ञापन- (क) सं. 43 के अधीन प्रभार्य अनन्य रूप से नोट या ज्ञापन नहीं माल विक्रय या वाणिज्य के लिए या उससे संबंधित; (ख) ऋण के लिए या उससे संबंधित केन्द्रीय सरकार को निविदा के रूप में किया गया। पट्टे का करार, पट्टा (सं. 33) देखें 6. हक विलेखों, पणयम, गिरवी या अंडमान के निक्षेप, अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित करार का साक्ष्य देने वालों को कोई लिखत- (1) (बाजार योग्य प्रतिभूति से भिन्न) किसी भी संपत्ति के हक के साक्ष्य गठित करने या होने वाले हक विलेखों या लिखत या निक्षेप, जहां ऐसा निक्षेप अग्रिम लिए गए धन के पुन: संदाय के लिए प्रतिभूति के माध्यम से या ऋण या विद्यमान या भविष्यवर्ती उधार के माध्यम से अग्रिम किया गया हो- (क) यदि ऐसे विलेख द्वारा प्रत्याभूत रकम 5,00,000/- रु. से अधिक नहीं है।	ऐसे विलेख द्वारा प्रत्याभूत रकम का 0.1 प्रतिशत न्यूनतम 100 रु. के अधीन रहते हुए।

	(ख) किसी अन्य मामले में	ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत राशि का 0.2% अधिकतम 10,00,000/- (रुपये दस लाख रु. तक)।
	(2) चल संपत्ति का पणयम, गिरवी या विद्यमान, जहां इस तरह के पणयम, गिरवी या अडमान उनके अग्रिम धन की अदायगी के लिए या ऋण या विद्यमान या भविष्य के ऋण के रूप में पुर्नभुगतान करने के लिए धरोहर राशि के रूप में किया गया है -	
	(क) यदि इस तरह के विलेख द्वारा प्राप्त राशि 5,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है;	ऐसे विलेख द्वारा प्रत्याभूत रकम का 0.1% न्यूनतम 100/-रु. तक।
	(ख) किसी अन्य मामले में	ऐसे विलेख द्वारा प्रत्याभूत रकम का 0.2% अधिकतम 10,00,000/- (रुपये दस लाख रु. तक)।
	स्पष्टीकरण I- इस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी प्राधिकारी के आदेश में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई पत्र, नोट, ज्ञापन या हक विलेख जमा करने के संबंध में लिखित स्वामित्व विलेख के जमा होने से पहले या बाद में लिखा या किया गया है, और क्या यह पहले ऋण या किसी अतिरिक्त ऋण या बाद में लिए गए ऋण की प्रतिभूति के संबंध में है, तोऐसा पत्र, नोट, ज्ञापन या लेखन इस तरह के शीर्षक विलेखों को जमा करने से संबंधित किसी भी अलग समझौते या समझौते के ज्ञापन के अभाव में, शीर्षक विलेखों के जमा से संबंधित एक समझौते को प्रमाणित करने वाला एक लिखत माना जाएगा। स्पष्टीकरण II - इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त ऋण या पिछले ऋण के विस्तार के लिए निष्पादित किसी भी नए लिखत को एक नया लिखत माना जाएगा और इस पर प्रतिभूत की गई या संवितरित या स्वीकृत की गई अतिरिक्त राशि की सीमा तक शुल्क वसूल किया जाएगा। **छूट-** विनिमय बिल के साथ आडमान का पत्र।	
7.	शक्ति का प्रयोग करते हुए नियुक्ति, चाहे न्यासियों की हो अथवा चल या अचल संपत्ति की, जहां लिखित रूप में की गई हो जो बिल नहीं है।	Rs. 1,000/-

8.	वाद के दौरान न्यायालय के आदेश के अलावा अन्य प्रकार से किया गया अंकन या मूल्यांकन , , **छूट-** (क) केवल एक पक्ष की जानकारी के लिए किया गया अंकन या मूल्यांकन , और जो किसी भी तरह से पक्षकारों के बीच समझौते या विधि के प्रचालन द्वारा बाध्यकारी नहीं है। (ख) एक जमींदार को किराए के रूप में दी जाने वाली राशि का पता लगाने के प्रयोजन से फसलों का अंकन।	Rs. 300/-
9.	किसी भी पेशे, व्यापार या रोजगार को सीखने के लिए किसी भी मास्टर के साथ रखे गए किसी भी शिक्षु, क्लर्क या नौकर की सेवा या ट्यूशन से संबंधित हर लेखन सहित, प्रशिक्षु विलेख, जो क्लर्कशिप के लेख (नंबर 11) नहीं है। **छूट–** शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अधीन एक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित शिक्षुता लिखत जिसके द्वारा एक व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, या लोक खैरात जिसका प्रयोग करके व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है।	Rs. 300/-
10.	कंपनी के संगम अनुच्छेद जब कंपनी के पास कोई शेयर पूंजी या नाममात्र शेयर पूंजी या बढ़ी हुई शेयर पूंजी नहीं है। **छूट –** किसी भी संगम के अनुच्छेद जो लाभ के लिए नहीं बने हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं।	यथास्थिति शेयर या बढ़ी हुई शेयर पूंजी पर 0.5%, अधिकतम 50,00,000/- रु. तक
	कंपनी के संगम ज्ञापन को भी देखें (अनुच्छेद 39)	
11.	क्लर्कशिप अनुच्छेद अथवा संविदा तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय में एक अटॉर्नी के रूप में प्रवेश के लिए पहले क्लर्क के रूप में सेवा करने के लिए बाध्य हो जाता है।	Rs. 300/-
	समनुदेशन। यथास्थिति हस्तांतरण पत्र (संख्या 22) देखें, अंतरण (संख्या 64), पट्टा हस्तांतरण (संख्या 65), देखें।	
	अटॉर्नी। मुख्तारनामा (नंबर 49) देखें।	
	दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार, दत्तक ग्रहण विलेख देखें (नंबर 3)	
12.	अधिनिर्णय, अर्थात्, एक मध्यस्थ या अंपायर द्वारा लिखित में कोई निर्णय, जो एक मुकदमे के दौरान न्यायालय के आदेश के अलावा अन्यथा किए गए संदर्भ में एक विभाजन को निर्देशित करने वाला अधिनिर्णय नहीं है।	Rs. 500/-
13.	विनिमय का बिल, जैसा कि धारा 2(2) द्वारा परिभाषित किया गया है, जो बांड, बैंक-नोट या मुद्रा-नोट नहीं है।	अनुसूची- I देखें
14.	लदान का बिल (लदान के बिल सहित)।	अनुसूची- I देखें
15.	बॉन्ड जो एक डिबेंचर नहीं है और इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के लिए अन्यथा प्रदान नहीं किया जा रहा है (चाहे ऐसे उपबंध किसी विशेष प्रकार के बॉन्ड से संबंधित हों या नहीं), या न्यायालय फीस अधिनियम,	न्यूनतम 500/- रु. तक बांड की राशि का 1%

	1870 (1870 का अधिनियम VII) द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। **छूट –** बांड जब किसी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी देने के उद्देश्य से निष्पादित किया जाता है कि निजी सदस्यता या धर्मार्थ औषधालय या अस्पताल या सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य से प्राप्त स्थानीय आय प्रति माह एक निर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी।	
16.	बॉटमरी बॉन्ड, यानी कोई भी लिखत जिससे समुद्री जहाज का मास्टर जहाज की सुरक्षा पर पैसे उधार लेता है ताकि वह जहाज को संरक्षित कर सके या यात्रा को आगे चला सके।	न्यूनतम 500/- रु. तक बांड की राशि का 1%न्यूनतम 500 रु. के अधीन रहते हुए।
1□.	रद्दीकरण- का लिखत (किसी भी लिखत सहित जिसके द्वारा पहले निष्पादित किया गया कोई भी लिखत रद्द कर दिया गया है), यदि अनुप्रमाणित है और अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है।	500/- रु.
	रिलीज (नंबर 57), निपटान का निरसन (नंबर 60ख), पट्टे का समर्पण (नंबर 63), ट्रस्ट का निरसन (नंबर 66 ख) भी देखें।	
18.	सिविल या राजस्व न्यायालय, या कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या विधि द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची गई किसी भी संपत्ति के खरीदार को दिया गया बिक्री का प्रमाण पत्र (एक अलग लॉट के रूप में रखी गई और बेची गई प्रत्येक संपत्ति के संबंध में)।	संपत्ति के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख), या (ग) के अधीन एक हस्तांतरण पर लगाया जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क लगाया जाएगा।
19.	ऐसा प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज, जो धारक के अधिकार या हक, या किसी अन्य व्यक्ति, या तो किसी भी शेयर, स्क्रिप या स्टॉक या किसी निगमित कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट में, या शुल्क, स्क्रिप या स्टॉक के मालिक बनने के लिए या ऐसी किसी कंपनी या निकाय में हकदारी को दर्शाता है।	शेयर, स्क्रिप या स्टॉक के मूल्य का 0.1%।
20.	चार्टर-पार्टी, यानी कोई भी लिखत (टग स्टीमर को किराए पर लेने के लिए किए गए समझौते को छोड़कर), जिससे चार्टर के निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एक पोत या उसका कुछ निर्दिष्ट प्रमुख भाग को छोड़ दिया जाता है, चाहे इसमें शास्ति खंड शामिल हों या नहीं ।	500/-रु.
21.	रचना-विलेख, अर्थात्, एक समझौते को छोड़कर देनदार द्वारा निष्पादित कोई भी लिखत, जिसके द्वारा वह अपनी संपत्ति को अपने लेनदारों के लाभ के लिए बताता है, या जिससे उनके ऋणों पर एक संरचना या लाभांश का भुगतान लेनदारों को सुरक्षित किया जाता है, या जिसके द्वारा अपने लेनदारों के लाभ के लिए निरीक्षकों की देखरेख में या लाइसेंस के पत्रों के अधीन देनदार के कारोबार को जारी रखने के लिए प्रावधान किया जाता है-	500/- रु.
22.	हस्तांतरण (अनुच्छेद 64 के अधीन प्रभारित या छूट प्राप्त हस्तांतरण नहीं है) -	
	संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य पर, जो कि हस्तांतरण का विषय है-	
	(क) यदि चल संपत्ति से संबंधित है तो	संपत्ति के बाजार मूल्य का 3%।
	(ख) यदि स्थित अचल संपत्ति से संबंधित हो -	

	(i) किसी नगर परिषद या नगर पंचायत की सीमा के भीतर;	संपत्ति के बाजार मूल्य का 5%।
	(ii) किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र या ऐसे किसी भी ऐसे क्षेत्र की सीमा के भीतर जिसका उपखंड (i) में उल्लेख नहीं है;	संपत्ति के बाजार मूल्य का 3%।
	(ग) यदि चल और अचल संपत्ति दोनों से संबंधित हो;	वही शुल्क जो खंड (क) और (ख) के अधीन देय है।
	(घ) जहां तक इसका संबंध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के एक आदेश द्वारा किसी भी दो या दो से अधिक कंपनियों के विलय या समामेलन वाली कंपनी या कंपनियों के पुनर्निर्माण संबंधी योजना से या संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44कके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के एक आदेश द्वारा बैंकिंग कंपनियों के समामेलन या विघटन के लिए है।	बदले में जारी या आवंटित शेयरों के कुल बाजार मूल्य का 10% और अन्यथा इस तरह के समामेलन के लिए भुगतान की गई प्रतिफल राशि: परंतु, इस खंड के अधीन प्रभार्य शुल्क की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी- (i) वास्तविक बाजार मूल्य के 5% के बराबर राशि परंतु , इस खंड के अधीन प्रभार्य शुल्क की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी— (i) हस्तांतरणकर्ता कंपनी के संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य के 5% के बराबर राशि; या (ii) जारी किए गए या बदले में या अन्यथा आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य के कुल 5% के बराबर राशि और इस तरह के समामेलन के लिए भुगतान की गई प्रतिफल की राशि, जो भी अधिक हो: परंतु यह और कि पुनर्निर्माण या डीमर्जर के मामले में यह प्रभार्य शुल्क से अधिक नहीं होगा – (i) डीमर्जिंग कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को हस्तांतरित संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य के 5% के बराबर राशि; या (ii) परिणामी कंपनी को जारी या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य के कुल 0.7 प्रतिशत के बराबर राशि और ऐसे डीमर्जर के लिए भुगतान की गई प्रतिफल की राशि, जो भी अधिक हो।

	छूट – प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन। स्पष्टीकरण I - इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, जहां एक अचल संपत्ति को बेचने के समझौते के मामले में, किसी अचल संपत्ति का कब्जा हस्तांतरित किया जाता है या निष्पादन से पहले, या निष्पादन के समय, या इस तरह के समझौते के निष्पादन के पश्चात क्रेता को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हुए, तो बेचने के लिए इस तरह के समझौते को एक हस्तांतरण माना जाएगा और उस पर स्टांप शुल्क तदनुसार लगाया जाएगा: परंतु, जहां बाद में बिक्री के इस तरह के समझौते के अनुसरण में एक हस्तांतरण निष्पादित किया जाता है, स्टाम्प शुल्क, यदि कोई पहले से ही भुगतान किया गया है और बिक्री के समझौते पर वसूल किया गया है, जिसे एक हस्तांतरण माना जाता है, को तो उसे हस्तांतरण पर लगाए जाने वाले कुल शुल्क में समायोजित किया जाएगा: परंतु यह भी कि, जहां एक अचल संपत्ति को बेचने के लिए एक रजिस्ट्री समझौते पर उचित स्टांप शुल्क का भुगतान किया जाता हैऔर इसे एक हस्तांतरण पत्र मानकर बाद में बिना किसी संशोधन के एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे हस्तांतरण पत्र को धारा 4 के अधीन अन्य लिखत के रूप में माना जाएगा और इस पर सौ रुपये शुल्क वसूला जाएगा। स्पष्टीकरण II— (i) खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, शेयरों का बाजार मूल्य — (क) अंतरिती कंपनी, जिसके शेयर सूचीबद्ध हैं और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए कोट किए गए हैं, के संबंध में इसका आशय है कि समामेलन की योजना में उल्लिखित नियत दिन पर या जब नियत दिन निश्चित नहीं है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश की तारीख वाले दिन शेयरों के बाजार मूल्य से है। (ख) अंतरिती कंपनी के संबंध में, जिसके शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं/या सूचीबद्ध हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए उद्धृत नहीं हैं, का अर्थ है अंतरक कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य के संदर्भ में जारी या अंतरित शेयर का बाजार मूल्य। (ग) जहां अंतरिती कंपनी और अंतरक कंपनी, जिनके शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं या सूचीबद्ध है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए उद्धृत नहीं हैं, का अर्थ अंतरक कंपनी के शेयर के अंकित मूल्य के संदर्भ में जारी या आवंटित शेयर का अंकित मूल्य है।	
23.	प्रतिलिपिया उद्धरण, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 के अधीन किसी लोक अधिकारी के आदेश द्वारा या उसके द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि या उद्धरण के रूप में प्रमाणित किया गया है, और जिस पर न्यायालय-फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभारित नहीं है। **छूट –** (क) किसी भी कागज़ की प्रतिलिपि जो एक लोक अधिकारी को विधि	10/- रु.

	द्वारा अभिव्यक्त रूप से बनाने या रिकॉर्ड के लिए किसी भी लोक कार्यालय में या लोक प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। (ख) जन्म, नपतिस्मा, नामकरण, समर्पण, विवाह, तलाक, मृत्यु या अंत्येष्टि से संबंधित किसी भी रजिस्टर की प्रतिलिपि या उससे उद्धरण। (ग) किसी भी लिखत की प्रतिलिपि जिसकी मूल प्रति शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं है।	
24.	शुल्क के साथ प्रभार्य किसी लिखत का प्रतिलेख या दूसरी प्रति और जिसके संबंध में उचित शुल्क का भुगतान किया गया हो।	अधिकतम 100/- रु. तक वही शुल्क जो मूल विषय पर देय है।
25.	सीमा शुल्क बंधपत्र या उत्पाद शुल्क बंधपत्र, अर्थात्, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के अनुसार दिया गया कोई भी बंधपत्र या धोखाधड़ी या चोरी को रोकने के लिए या किसी अन्य मामले या उससे संबंधित बात के लिए सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क संबंधी कर्तव्यों के बारे में सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में दिया गया कोई बंधपत्र।	500/-रु.
26.	डिबेंचर	अनुसूची-I देखें
27.	माल के संबंध में परिदान आदेश, अर्थात्, ऐसा कोई लिखत जो उसमें नामित किसी व्यक्ति, या उसके समनुदेशिती या उसके धारक कोया किराए पर लिए गए या हायर किए गए किसी डॉक या बंदरगाह में, या किसी भी गोदाम, जिसमें माल भंडारित या जमा किया जाता है, किसी भी माल के परिदान का अधिकार देता है तथा घाट पर इस तरह के माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से संपत्ति के अंतरण पर विक्रय होने पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जब ऐसे माल की मूल्य200/-रुपये से अधिक हो।	10/-रु.
	हक विलेख का निक्षेप करना, हक विलेख के निक्षेप, पणयम रखना या गिरवी रखने से संबंधित करार (संख्या 6) देखें।	
	भागीदारी का विघटन, भागीदार (संख्या 47) देखें।	
28.	विवाह विच्छेद – संबंधी लिखत, अर्थात कोई भी ऐसा लिखत जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विवाह के विघटन को प्रभावित करता है।	300/-रु.
29.	संपत्ति विनिमय लिखत **व्याख्या -** इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, यहां ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिमय की गई किसी भी संपत्ति पर उच्चतम शुल्क प्रभार्य होगा।	उच्चतम मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य पर, अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या यथास्थिति के अधीन एक कन्वेंस पर लगाए जाने वाले शुल्क के बराबर।
30.	अतिरिक्त प्रभार्य- का लिखत, अर्थात् बंधकित संपत्ति पर अतिरिक्त प्रभार अधिरोपित करने वाली कोई लिखत-	
	(क) जब ऐसा बंधक अनुच्छेद 40 के खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण में से एक है (अर्थात कब्जे के बिना)	उच्चतम मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य पर, अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग), यथास्थिति के अधीन एक कन्वेंस पर लगाए

		जाने वाले शुल्क के बराबर।
	(ख) जब ऐसा बंधक अनुच्छेद 40 के खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण में से एक है (अर्थात कब्जे के बिना)	
	(i) यदि अतिरिक्त प्रभार के लिखत के निष्पादन के समय ऐसे लिखत के अधीन संपत्ति का कब्जा दिया जाता है।	अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) अथवा (ग) के अधीन एक अंतरण पर लगाए जाने वाले शुल्क, यथास्थिति के समान ही प्रभार की कुल राशि पर प्रभारउदद्ग्रहित किया (मूल बंधक और पहले से प्रभार्य किसी भी अन्य शुल्क सहित) ऐसे मूल बंधक पर पहले से संदत्त किए गए शुल्क और अतिरिक्त शुल्क को घटा दें।
	(ii) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया है।	न्यूनतम 100/- रु. और अधिकतम 10,00,000/- (रुपये दस लाख) रु. तक इस तरह के लिखत द्वारा प्रतिभूत अतिरिक्त शुल्क की राशि का 0.5%
31.	उपहार – यदि लिखत एक करार (संख्या 60) या वसीयत या अंतरण (संख्या 64) नहीं हैं।	संपत्ति, जो कि उपहार की विषय वस्तु है, के बाजार मूल्य पर, वही शुल्क लगाया जाएगा, जो अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख), या (ग) के अधीन एक अंतरण पर लगाया जा सकता है: परंतु, यदि संपत्ति दाता के पति, पत्नी, भाई या बहन या दाता के किसी वंशज या वंशज के रूप में परिवार के किसी सदस्य को उपहार में दी जाती है, तो संपत्ति पर प्रभार्य शुल्क की राशि उपहार में दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य की 3% की दर से वसूल की जाएगी। परन्तु यह और कि, यदि आवासीय और कृषि संपत्ति पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, मृतक पुत्र की पत्नी को उपहार में दी जाती है, तो प्रभार्य शुल्क की राशि 200/- रु. होगी।
	हायरिंग एग्रीमेंट या सेवा समझौता। समझौता (संख्या 5) देखें।	
32.	क्षतिपूर्ति बांड	एक ही रकम के लिए एक प्रतिभूति बांड (संख्या 59) के रूप में समान शुल्क।

	निरीक्षण विलेख - संरचना विलेख (संख्या 21) देखें।	
	बीमा- बीमा नीति देखें (संख्या 48)।	
33.	पट्टा, जिसमें पट्टाधीन या सह पट्टा और पट्टे या सब-लेट या पट्टे के किसी भी नवीनीकरण के लिए कोई करार करना सम्मिलित है- जहां ऐसा पट्टे का तात्पर्यित है-	
	(i) अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए;	संपत्ति के बाजार मूल्य के 10% पर, अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग), यथास्थिति के अधीन एक कन्वेंस पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क लगाया जाएगा।
	(i) समाश्रित नवीनीकरण खंड या अन्यथा के साथ 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, लेकिन 10 वर्ष से अधिक नहीं;	संपत्ति के बाजार मूल्य के 25% पर, अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग), यथास्थिति के अधीन एक कन्वेंस पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क लगाया जाएगा।
	(i) समाश्रित नवीनीकरण खंड या अन्यथा के साथ 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, लेकिन 29 वर्ष से अधिक नहीं;;	संपत्ति के बाजार मूल्य के 50% पर, अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग), यथास्थिति के अधीन एक कन्वेंस पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क लगाया जाएगा।
	(ii) समाश्रित नवीकरण खंड या अन्यथा के साथ उनतीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या सदा के लिए, या किसी निश्चित अवधि के लिए, या उनतीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, एक पट्टे के लिए अभिप्रेत नहीं है।	संपत्ति के बाजार मूल्य के 90% पर, अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग), यथास्थिति के अधीन एक कन्वेंस पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क लगाया जाएगा।
	स्पष्टीकरण I - बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए प्रीमियम या अग्रिम धन या अग्रिम या प्रतिभूत निक्षेप के रूप में किसी भी नाम से किसी भी विचार को पारित प्रतिफल के रूप में माना जाएगा। स्पष्टीकरण II- यदि विशेष रूप से उल्लिखित है, तो नवीनीकरण अवधि कोवर्तमान पट्टे के भाग के रूप में माना जाएगा।	
34.	छुट्टी और अनुज्ञप्ति करार-	
	(क) जहां छुट्टी और करार नवीकरण खंड के साथ या उसके बिना साठ महीने से अधिक की अवधि के लिए है।	निम्नलिखित के कुल योग का 0.25%— (i) करार के अधीन संदेयअनुज्ञप्ति फीस या किराया; तथा (ii) अप्रतिदेय निक्षेप या अग्रिम या अग्रिम के रूप में दी जाने वाली रकम या प्रीमियम की

		रकम, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए; तथा (iii) अप्रतिदेय प्रतिभूत निक्षेप या अग्रिम या अग्रिम के रूप में दी जाने वाली राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से परिकलित ब्याज, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।
	(ख) जहां ऐसी छुट्टी और अनुज्ञप्ति करार नवीकरण खंड के साथ या उसके बिना साठ महीने से अधिक की अवधि के लिए है।	अनुच्छेद 33 के खंड (ii), (iii) या (iv) यथास्थिति के अधीन पट्टे पर देय शुल्क के समान ही शुल्क लगाया जाएगा।
35.	किसी भी कंपनी या प्रस्तावित कंपनी में शेयरों के आबंटन का पत्र, या किसी कंपनी या प्रस्तावित कंपनी द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी ऋण के संबंध में।	10/-रु.
	प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज़ (संख्या 19) भी देखें।	
36.	प्रत्यय पत्र	अनुसूची– I देखें
37.	प्रत्याभूति पत्र	करार(संख्या 5) देखें
38.	अनुज्ञप्ति, अर्थात् देनदार और उसके लेनदारों के बीच कोई करार, कि पत्र, एक विनिर्दिष्ट समय के लिए, उनके दावों को निलंबित कर देगा और देनदार को अपने विवेक पर कारोबार करने की अनुमति देगा।	100/- रु.
39.	कंपनी का संगम ज्ञापन	
	(क) यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 10 के अधीन संगम अनुच्छेद हों;	1,000/- रु.
	(ख) यदि संलग्न हों तो।	न्यूनतम 1,000/- रु. और अधिकतम 50,00,000/-. रु. (पचास लाख रुपये) तक कंपनी की शेयर पूंजी के अनुसार 0.2%
	छूट- किसी भी ऐसे संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए गठित नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं।	
40.	बंधक विलेख, हक विलेखों का निक्षेप, पणयम रखना, गिरवी या आडमान (अनुच्छेद 6), बॉटमरी बॉन्ड (अनुच्छेद 16), फसल का बंधक (अनुच्छेद 41), जहाजी माल बंध पत्र (अनुच्छेद 58), या बंधक विलेख का प्रतिभूति बंध पत्र (अनुच्छेद 59) से संबंधित करार नहीं है।	
	(क) जब इस तरह के विलेख में सम्मिलित संपत्ति या संपत्ति के किसी भी भाग का कब्जा बन्धककर्ता द्वारा दिया जाता है या देने के लिए सहमति दी जाती है;	ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत राशि के लिए, अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) (या) (ग) के अधीन एक

		कन्वेंस पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क लगाया जाएगा।
	(ख) जब कब्जा नहीं दिया जाता है या पूर्वोक्त के अनुसार देने के लिए सहमति प्रदान की जाती है।	इस तरह के विलेख द्वारा प्रतिभूत राशि का 0.5%, न्यूनतम 1,000/- रु और अधिकतम 10,00,000/- रु.(रुपये दस लाख) तक।
	स्पष्टीकरण I - एक बन्धककर्ता, जो बन्धकदार को किराए, या बंधक रखी गई संपत्ति या उसके भाग का एक पट्टा लेने के लिए मुख्तारनामा देता है, इस अनुच्छेद के अर्थ के अनुसार कब्जा देने के लिए समझा जाता है। स्पष्टीकरण II - जहां ऐसे करार द्वारा प्रतिभूत की जाने वाली रकम या उसके भाग को बंधक रखने के लिए एक समझौते के मामले में बंधक-विलेख के बिना बंधक को प्रस्तुत या वितरित किया जाता है, तो बंधक के लिए ऐसा करार, धारा 2 के खंड (6) में निहितकिसी भी बात के होते हुए इस अनुच्छेद के अधीन ऐसे अग्रिम या संवितरण की तारीख पर बंधक-विलेख के रूप में या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रभार्य होगा।	
	(ग) जब एक संपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति, या उपर्युक्त प्रयोजन के लिए और आश्वासन के माध्यम से जहां मूल या प्राथमिक प्रतिभूति पर सम्यक रूप से शुल्क दिया गया हो। स्पष्टीकरण। —इस खंड के प्रयोजन के लिए, "मूल या प्राथमिक प्रतिभूति" का तात्पर्य, उपरोक्त खंड (क) या (ख) के अधीन बनाई गई प्रतिभूति होगा।	500/-रु.
	छूट - (1)भूमि विकास उधार अधिनियम,1883,या कृषक उधार अधिनियम, 1884के अधीन अग्रिम लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या ऐसे अग्रिमों के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में उनके प्रतिभूतों द्वारा निष्पादित लिखत। (2) विनिमय बिल के साथ आडमान का पत्र।	
41.	एक फसल के किसी भी बंधक पर किए गए ऋण के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने के लिए एक करार को प्रमाणित करने वाले किसी भी लिखत सहित, एक फसल का बंधक, चाहे फसल गिरवी रखे जाने के समय अस्तित्व में थी या नहीं-	
	(क) जब ऋण की अप्रतिदेय लिखत की तारीख से तीन महीने से अधिक न हो-	
	अधिकतम 200/- रु. की प्रत्येक प्रतिभूत रकम के लिए;	1/- रु.
	200 रु. से अधिक प्रतिभूत की गई प्रत्येक 200 रु. की रकम या इसके भाग के लिए	1/- रु.
	(ख) जब ऋण लिखत की तारीख से तीन महीने से अधिक, लेकिन अधिकतम अठारह महीने की अवधि के भीतर, प्रतिदेय हो-	

	प्रतिभूत की गई प्रत्येक रकम जो 100 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।	1/-रु.
	100 रु. से अधिक की राशि से प्रतिभूत किए गए प्रत्येक 100 रु. या इसके भाग के लिए।	1/- रु.
42	नोटरी अधिनियम, अर्थात्, कोई भी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रवेश का प्रमाण पत्र, जिस पर अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निवर्हन के दौरान निष्पादन में या किसी नोटरी पब्लिक याविधि रूप से एक नोटरी पब्लिक के रूप में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो किंतु जो विरोधी न हो (संख्या 51) ।	50/- रु.
	विधेयक या टिप्पण का विरोध (संख्या 51) भी देखें।	
43.	टिप्पण ज्ञापन, एक दलाल अभिकर्ता द्वारा अपने प्रधान को भेजा जाता है जिसमें ऐसे प्रधान की ओर से खरीद या विक्रय की सूचना दी जाती है-	
	(क) 20 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी माल की।	1/-रु.
	(ख) बीस रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी स्टॉक या विपणन योग्य प्रतिभूति का।	अधिकतम पचास रुपये के अधीन, प्रत्येक 10,000/-रु. मूल्य के स्टॉक या प्रतिभूति या उसके भाग के लिए 1 रु.
44.	एक जहाज के मास्टर द्वारा विरोध का टिप्पण	300/-रु.
	एक जहाज के मास्टर द्वारा विरोध (संख्या 52) भी देखें।	
45.	पैसे के संदाय के लिए आदेश	विनिमय बिल (नंबर 13) देखें।
46.	विभाजन—धारा 2(15) द्वारा यथा परिभाषित लिखत।	राशि का 2% या अलग किए गए शेयरों या प्रोपर्टी शेयरों के बाजार मूल्य। ध्यान दें। -संपत्ति के विभाजन के पश्चात शेष सबसे बड़ा हिस्सा (या, यदि समान मूल्य के दो या दो से अधिक शेयर हैं और किसी भी अन्य शेयरों से छोटे नहीं हैं, तो ऐसे समान शेयरों में से एक) वह माना जाएगा जिसमें से अन्य शेयर अलग हो गए हैं। परंतु यह कि हमेशा — (क) जब विभाजन का एक लिखत जिसमें संपत्ति को अलग-अलग भागों में विभाजित करने के लिए एक करार होता है और इस तरह के करार के अनुसरण में एक विभाजन किया जाता है, तो ऐसे विभाजन को प्रभावित करने वाले लिखत पर लगने वाला शुल्क पहले लिखत के संबंध में भुगतान किए गए शुल्क की रकम से कम हो जाएगा लेकिन यह शुल्क पांच

		रुपये से कम नहीं होगा; (ख) जहां लिखत कृषि भूमि के विभाजन से संबंधित है, वहां लागू शुल्क की दर 100 रु. होगी ; (ग) जहां किसी भी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल कोर्ट द्वारा पारित विभाजन को प्रभावित करने के लिए अंतिम आदेश या विभाजन को निर्देशित करने वाले मध्यस्थ द्वारा एक दिए गए निर्णय परविभाजन लिखत के लिए अपेक्षित शुल्क लगाया जाता है तथा इस तरह के आदेश या निर्णय के अनुसरण में विभाजन के एक लिखत के साथ निष्पादित किया जाता है तो ऐसे लिखत पर लगने वाला शुल्क 10 रु. से अधिक नहीं होगा।
47.	भागीदारी-	
	(1) किसी भी भागीदारी का लिखत, जिसमें सीमित देयता भागीदारी और व्यवसाय चलाने के लिए संयुक्त उद्यम, लाभ अर्जित करना और लाभ साझा करना सम्मिलित है, चाहे वह नकद रूप में हो या वस्तु रूप में हो—	
	(क) जहां भागीदारी में योगदान का कोई हिस्सा नहीं है, या जहां नकद के रूप में दिया गया ऐसा योगदान 50000 रु. से अधिक नहीं है;	Rs. 500/-
	(ख) जहां नकद रूप में दिया गया ऐसा अंशदान 50000 रु. से अधिक है	अधिकतम 15,000 रु. तक शेयर अंशदान की रकम का 1%
	(ग) जहां इस तरह का अंशदान नकद को छोड़कर संपत्ति के रूप में लाया जाता है;	ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग), यथास्थिति के अधीन एक कन्वेंस पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क लगाया जाएगा।
	(2) सीमित देयता भागीदारी और व्यवसाय चलाने के लिए संयुक्त उद्यम, मुनाफा, चाहे नकद या वस्तु के रूप में हो, कमाने और मुनाफे को साझा करने के लिएकी गई भागीदारी सहित साझेदारी को समाप्त करना या भागीदारी की सेवानिवृत्ति—	
	(क) जहां भागीदारी के विघटन पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने पर किसी भी संपत्ति को उसके भाग के रूप में एक भागीदार के अलावा दूसरे उस भागीदार द्वारा ले लिया जाता है, जो उस संपत्ति को भागीदारी में योगदान के अपने हिस्से के रूप में लाया था।	अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग) के अधीन एक कन्वेंस पर वही शुल्क लगाया जा सकता है, जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य परलगाया जाता है तथा यह शुल्क न्यूनतम 100 रु. तक

	(ख) किसी अन्य मामले में।	500/-रु.
48.	बीमा नीति	अनुसूची- I देखें
49.	मुख्तारनामा परोक्षी नहीं है —	
	(क) जब एक लेनदेन के संबंध में एक या अधिक दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के प्रापण हेतु एकमात्र उद्देश्य के लिए या ऐसे एक या एक से अधिक दस्तावेजों के निष्पादन को स्वीकार करने के लिए निष्पादित किया जाता है;	500/-रु.
	(ख) जब प्रेसीडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 के अधीन वादों या कार्यवाही में आवश्यक हो;	500/-रु.
	(ग) खंड (क) में उल्लिखित मामले से भिन्न एक या अधिक व्यक्ति को एकल लेनदेन में कार्य करने के लिए अधिकृत करते समय;	500/-रु.
	(घ) जब एक व्यक्ति को एक से अधिक लेन-देन या आम तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है;	500/-रु.
	(ड.) जब एक से अधिक व्यक्तियों को एकल संव्यवहार या एक से अधिक संव्यवहार में संयुक्त रूप से या अलग-अलग या सामान्यत: कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है;	500/-रु.
	(च) (i) जब किसी अचल संपत्ति के विक्रय के लिए विचार किया जाता है और प्राधिकृत किया जाता है;	ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर यथास्थिति अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग), के अधीन संवहन पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क प्रभार्य होगा।
	(ii) जब अचल संपत्ति को यथास्थिति प्रतिफल के बिना या बिना किसी प्रतिफल को दर्शाए बिना बेचने या अंतरित करनेके लिए प्राधिकृत किया जाता है, -	
	(क) यदि पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पति, पुत्री, पुत्र, पौत्र, पोती या पिता, माता, पति या पत्नी के भाई या बहन को संपत्ति दी गई हो; और	500/-रु.
	(ख) किसी अन्य मामले में;	ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर यथास्थिति अनुच्छेद 22 के खंड, (ख) या (ग), के अधीन संवहन पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क प्रभार्य होगा।
	(छ) जब किसी अचल संपत्ति को निर्माण, विकास, या विक्रय या अंतरण (किसी भी तरीके से) के लिए किसी प्रमोटर या डेवलपर, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, को दिया जाता है।	ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर यथास्थिति अनुच्छेद 22 के खंड, (ख) या (ग), के अधीन संवहन पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क प्रभार्य होगा: परंतु कि, जब एक ही पार्टियों के बीच एक ही संपत्ति के लिए एक समझौते या उसके रिकॉर्ड पर अथवा निष्पादित एक समझौते ज्ञापन पर अनुच्छेद 5 के खंड (घ)

		के अधीन उचित स्टांप शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो इस खंड के अधीन 100 रु. शुल्क प्रभार्य होगा।
	(ज) किसी अन्य मामले में	500/-रु.
	स्पष्टीकरण I - इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही फर्म से संबंधित होने पर एक व्यक्ति समझा जाएगा। स्पष्टीकरण II - 'रजिस्ट्रीकरण ' शब्द में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रासंगिक प्रत्येक कार्य सम्मिलित है। स्पष्टीकरण III - जहां खंड (च) के अधीन , मुख्तारनामा पर शुल्क का भुगतान किया गया है, और उस संपत्ति से संबंधित अंतरण को मुख्तारनामा के निष्पादक और उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में यह निष्पादित किया जाता है, के बीच मुख्तारनामा के अनुसरण में निष्पादित किया जाता है तो संवहन पर वही शुल्क लगाया जिसकी गणना मुख्तारनामा पर भुगतान किए गए शुल्क से घटाकर संपत्ति के बाजार मूल्य पर की जाएगी।	
50.	वचन पत्र	अनुसूची- I देखें
51.	बिल या नोट का विरोध, अर्थात्, नोटरी पब्लिक बिल या अन्य व्यक्ति द्वारा कानूनी रूप से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई लेखबद्ध घोषणा, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को अस्वीकार किए जाने को प्रमाणित करना।	300/-देखें
52.	जहाज के मालिक द्वारा विरोध, अर्थात् नुकसान के समायोजन या औसत की गणना के लिए उसके द्वारा तैयार की गई उसकी यात्रा के विवरण की कोई घोषणा, और मालवाहक जहाज को लोड या अनलोड नहीं करने के लिएचार्टरर्स अथवा कन्साइनर्स के खिलाफ उसके द्वारा हर लेखबद्ध घोषणा या जब इस तरह की घोषणा नोटरी पब्लिक या कानूनी रूप से कार्य करने वाले किसी प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित की जाती है।	300/- देखें
53.	परोक्षि	अनुसूची– I देखें
54.	रसीद	अनुसूची– I देखें
55.	बंधक संपत्ति का प्रतिहस्तांतरित	500/-देखें
56.	एक ट्रेडिंग सदस्य द्वारा स्टॉक एक्सचेंज या धारा 10क में निर्दिष्ट संगम के माध्यम से किया गया संव्यवहार का रिकॉर्ड (इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से या अन्यथा)-	
	(क) यदि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या क्रय से संबंधित है	प्रतिभूति के मूल्य का 0.005%
	(ख) यदि उपरोक्त मद (क) के अधीन आने वाली प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों की क्रय या बिक्री से संबंधित है -	
	(i) परिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.005%
	(ii) गैर-परिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.005%

	(ग) यदि भावी और वैकल्पिक ट्रेडिंग से संबंधित है	भावी और वैकल्पिक ट्रेडिंग का 0.005%
	(घ) यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार किए गए वस्तुओं के ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित है	फ्यूचर और ऑपशन ट्रेडिंग का 0.005%
	स्पष्टीकरण I— खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, "प्रतिभूतियों" का अर्थ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 42) की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित प्रतिभूतियों से है।	
57.	निर्मुक्ति से अर्थात्, कोई भी लिखत जो (धारा 23कद्वारा प्रदान किया गया एक लिखत नहीं है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर या किसी निर्दिष्ट संपत्ति के खिलाफ दावा त्याग देता है-	
	(क) यदि किसी पैतृक संपत्ति या उसके हिस्से की रिलीज डीड भाई या बहन (त्यागी के माता-पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्व-मृत पुत्र के पुत्र या पूर्व-मृत पुत्र की पुत्री या माता या पिता या त्यागी के पति या पत्नी या उपरोक्त संबंधों के कानूनी वारिस के पक्ष में हों;	1,000/-रु.
	(ख) किसी अन्य मामले में	शेयर, ब्याज, भाग या छोड़े गए दावे के बाजार मूल्य पर यथास्थिति अनुच्छेद 22 के खंड (क) या (ख), के अधीन संवहन परलगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क प्रभार्य होगा।
58.	रेस्पोंडेंटिया बॉन्ड, अर्थात् कोई भी ऐसा लिखत जो जहाज पर लदे कार्गो या जहाज पर लादे जाने वाले कार्गो पर ऋण प्राप्त करता है और गंतव्य बंदरगाह पर कार्गो के आगमन पर पुनर्भुगतान को आकास्मिक बनाता है।	न्यूनतम 500 रु. तक प्राप्त किए गए ऋण की राशि का 1%
	किसी भी ट्रस्ट या समझौते का निरसन देखें समझौता (अनुच्छेद 60), ट्रस्ट (अनुच्छेद 66)।	
59.	प्रतिभूति बांड या बंधक विलेख, जहां इस तरह के सुरक्षा बांड या बंधक विलेख को किसी कार्यालय के उचित निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया जाता है, या उसके आधार पर प्राप्त धन या अन्य संपत्ति के लिए खाते में, या जमानतदार द्वारा उचित प्रदर्शन को सुरक्षित करने के लिए एक अनुबंध, या अदालत या एक सार्वजनिक अधिकारी के आदेश के अनुसरण में, अन्यथा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का अधिनियम VII) द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। **छूट** बांड या अन्य लिखत, — (क) किसी भी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी देने के उद्देश्य से कि किसी धर्मार्थ औषधालय या अस्पताल या सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए निजी सदस्यता से प्राप्त स्थानीय आय प्रतिमाह निर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी (ख) भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883, या कृषक ऋण अधिनियम, 1884 के अधीन अग्रिम लेने वाले व्यक्ति द्वारा, या ऐसे अग्रिमों के पुनर्भुगतान के लिए जमानत के रूप में उनकी जमानतदारों द्वारा;	अधिकतम रु. 10,00,000/- (रुपये दस लाख) तक इस तरह के विलेख द्वारा सुरक्षित राशि के लिए 0.5% परंतु, जहां एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित एक लिखत जिसके लिए एक व्यक्ति जमानतदार है पर सुरक्षा बांड या एक बंधक विलेख निष्पादित करता है, और जिसके लिए अनुच्छेद 40 के अधीन शुल्क का भुगतान किया गया है, तो इस पर 100 रु. का शुल्क देय होगा।

	(ग) सरकार के अधिकारियों या उनके जमानतदारों द्वारा किसी कार्यालय के उचित निष्पादन या उसके आधार पर प्राप्त धन या अन्य संपत्ति के लिए देय लेखांकन को सुरक्षित करने के लिए निष्पादित होंगे।	
60.	व्यवस्थापन—	
	क. लिखत— जिसमें दहेज के एक विलेख सम्मिलित है—	
	(i) जहां व्यवस्थापन धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जाता है।	व्यवस्थापन में तय की गई राशि के बराबर राशि अथवा व्यवस्थापन की गई संपत्ति के बाजार मूल्य का 2%
	(ii) किसी अन्य मामले में।	व्यवस्थापन के दौरान सहमत हुई राशि के बराबर राशि के लिए अथवा व्यवस्थापन हुई संपत्ति के बाजार मूल्य हेतु यथास्थिति अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग), के अधीन संवहन पर लगाए जाने वाले शुल्क के समान ही शुल्क प्रभार्य होगा: परंतु कि, जहां समाधान हेतु समझौते पर समझौते के लिखत के लिए अपेक्षित शुल्क लगाया जाता है और इस तरह के समझौते के अनुसरण में किए गए समझौते के लिखत को बाद में निष्पादित किया जाता है तो ऐसे लिखत पर लगने वाला शुल्क 10 रु. से अधिक नहीं होगा: परंतु, जहां व्यवस्था पत्र में निपटान को रद्द किए जाने हेतु कोई प्रावधान मौजूद है तो निपटान की गई संपत्ति की राशि अथवा लागत पर शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि लिखत में ऐसा कोई उपबंध सम्मिलित ही नहीं था।
	छूट— मुहम्मदों के बीच विवाह के अवसर पर या उसके संबंध में निष्पादित दहेज का विलेख, चाहे विवाह से पहले या बाद में निष्पादित किया गया हो।	
	ख. का निरसन —	

	(i) खंड क के उपखंड (i) में वर्णित समझौते के संबंध में।	500/-रु.
	(ii) खंड क के उपखंड (ii) में वर्णित समझौते के संबंध में।	500/-रु.
61.	धारक को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन जारी किए गए शेयर वारंट **छूट-** कंपनी अधिनियम, 1956, धारा 114 के अनुसरण में कंपनी द्वारा जारी किए जाने पर शेयर वारंट, केवल उस शुल्क के लिए संयोजन के रूप में, स्टाम्प राजस्व के कलेक्टर को भुगतान पर प्रभावी होगा — (क) कंपनी की संपूर्ण अभिदान पूंजी का डेढ़ प्रतिशत; या (ख) यदि कोई कंपनी, जिसने उक्त शुल्क या संरचना का पूरा भुगतान किया है, बाद में अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त राशि जारी करती है, तो जारी की गई अतिरिक्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत।	प्रत्येक 500 रु. अथवा उसके भाग एक भाग के लिए 5 रु.
	स्क्रिप। प्रमाणपत्र देखें (नंबर 18)।	
62.	किसी भी जहाज के बोर्ड पर माल के परिवहन के लिए या उससे संबंधित शिपिंग आदेश।	100/-रु.
63.	पट्टे के समर्पण के लिए एक समझौते सहित पट्टे का समर्पण	
	(क) ध्यान में रखे बिना;	1,000/- रु.
	(ख) विचार करके	वही शुल्क जो प्रतिफल की राशि पर अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख), या (ग) के अधीन लगाया जा सकता है।
	छूट— इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को सिक्युरिटी डिपोजिट पर अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए धन की वापसी को समर्पण के लिए प्रतिफल के रूप में नहीं माना जाएगा।	
64.	अंतरण (विचार करके या विचार किए बिना)।	
	(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त डिबेंचर को छोड़कर, डिबेंचर, विपणन योग्य प्रतिभूतियां होने के कारण, क्या डिबेंचर पर शुल्क देय है अथवा नहीं।	डिबेंचर की कन्सीडरेशन राशि का 0.5 प्रतिशत।
	छूट — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'डिबेंचर' शब्द में डिबेंचर स्टॉक शामिल है।	
	(ख) बॉंड, बंधक-विलेख या बीमा की पॉलिसी द्वारा प्राप्त किसी भी ब्याज के लिए;	500/- रु.
	(ग) सामान्य प्रशासक अधिनियम, 1963 की धारा 22 के अधीन किसी भी संपत्ति का;	500/- रु.
	(घ) एक ट्रस्टी से दूसरे ट्रस्टी, या ट्रस्टी से लाभार्थी के प्रतिफल के बिना किसी भी ट्रस्ट की संपत्ति का।	500/- रु.
	छूट—	

	पृष्ठांकन द्वारा अंतरण- (क) विनिमय, चेक या वचन पत्र के बिल का; (ख) लदान के बिल, प्रदायगी आदेश, माल के लिए वारंट या अन्य व्यापारिक दस्तावेज या माल के शीर्षक का; (ग) बीमा नीति का; (घ) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का।	
65.	पट्टे का अंतरण समनुदेशन के माध्यम से न कि किसी दीवानी न्यायालय या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित डिक्री या अंतिम आदेश के माध्यम से।	पट्टे की शेष अवधि के लिए यथास्थिति अनुच्छेद 33 के खंड (i), (ii), (iii) या (iv), के अधीन लीज पर जो शुल्क लगाया जाता है, वही शुल्क प्रभार्य होगा।
66.	न्यास	
	क. किसी भी संपत्ति या उसके संबंध में की गई घोषणा, जब किसी ऐसे लेख द्वारा की जाती है जो वसीयत न हो-	
	(क) जहां संपत्ति का निपटान करना है-	
	(i) जहां न्यास एक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बनाया गया है;	व्यवस्थापन में तय की गई राशि अथवा निपटान की गई संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि का 2 प्रतिशत
	(ii) किसी अन्य मामले में	व्यवस्थापन में तय की गई राशि अथवा निपटान की गई संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के लिए वही शुल्क लगाया जाएगा जो यथास्थिति अनुच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या (ग), जैसा भी मामला हो, के अधीन संवहन पर लगाया जाता है:
	(ख) जहां संपत्ति का निपटान न करना हो —	
	(i) जहां न्यास धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बनाया गया है।	500/-रु.
	(ii) किसी अन्य मामले में	500/-रु.
	ख. वसीयत के अलावा किसी अन्य लिखत द्वारा संपत्ति अथवा उससे संबंधित किसी भाग का निरसन।	500/-रु.
	व्यवस्थापन भी देखें (अनुच्छेद 60)	
67.	माल के लिए वारंट, अर्थात्, किसी डॉक, गोदाम या घाट पर या उस पर पड़े किसी भी माल में संपत्ति के लिए नामित किसी भी व्यक्ति, या उसके असाइन किए गए, या उसके धारक के हक का सबूत देने वाला कोई भी लिखत, ऐसे लिखत पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं या इसे उस व्यक्ति की ओर से प्रमाणित किया जाता है जिसकी अभिरक्षा में ऐसा	20/- रु.

	माल हो सकता है।	
68.	कार्य अनुबंध, अर्थात्, कार्यों और श्रम या सेवाओं के लिए एक अनुबंध जिसमें माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) के निष्पादन में संपत्ति का अंतरणसम्मिलित है और इसमें एक उप-अनुबंध सम्मिलित है-	
	(क) जहां इस तरह के अनुबंध में निर्धारित राशि 10,00,000/- (रुपये दस लाख) या मूल्य रुपये से अधिक नहीं है।	500/-रु.
	(ख) जहां यह राशि 10,00,000/- (रुपये दस लाख)रुपये से अधिक है।	अधिकतम 2500000 रु. की सीमा तक 500 रु. तथा ऊपर दी गई 1000000 रु. की राशि का 0.5 प्रतिशत

[फा.सं. यू.-11025/2/2021-यू.टी.एल.]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Union Territory Division)

ORDER

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 245(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, namely: –

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The General Clauses Act, 1897(10 of 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. On and from the date of its publication, the Acts and Regulations mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule annexed to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of Act or Regulation, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal a State Law or any Regulation so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 26th Day of January, 2020; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance, with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The omission or amendment of any section or provision of Act or Regulation or repeal of any Law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(a) the previous operation of any such section or provision or Regulation or Law so omitted or amended or repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any such section or provision so omitted or repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any section or provision so omitted or repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 or this Order had not come into force.

(2) Subject to the provision contained in sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, from, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such Law or Regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Laws now extended and applicable to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Laws now extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

SCHEDULE

(See paragraph 3)

1. STATE LAW

2. The Registration (Goa, Daman and Diu Amendment) Act, 1985

(24 of 1985)

1. In the Registration (Goa, Daman and Diu Amendment) Act, 1985 (in short "Amendment Act"), in the long title and in short title, for "Goa," wherever it occurs insert "Dadra and Nagar Haveli and"

2. After Section 2 of the Amendment Act, insert new sections 2A to 2C.

"2A. In Section **2,** clause (2) of the Principal Act, for "or portion of a book", substitute "or portion of a book and also includes a book in electronic form".

2B. In Section **2,** after clause (10) of the Principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-

"(11) 'tout' means a person who habitually frequents the precincts of a registration office, for the purpose of employment for himself or for any other person in connection with any registration business".

2C. In Section **17**, of the principal Act.**—**

(i) after clause (e) of sub-section (1), the following clause shall be inserted, namely:-

"(f) any decree or order or award or a copy thereof passed by a civil Court, on consent of the defendants or on circumstantial evidence but not on the basis of any instrument which is admissible in evidence under section 35 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) such as registered title deed produced by the plaintiff, where such decree or order or award purports or operate to create, declare, assign, limit, extinguish whether in present or in future copy right, title or interest whether vested or contingent of the value of one hundred rupees and upwards to or in immovable property; and

(g) agreement of sale of immovable property of the value of one hundred rupees and upwards;

(h) power-of-attorney relating to transfer of immovable property possession whereof has been or is handed over to the purported attorney holder".

ii) in clause (iv)of sub-section (2), for the words "any decree or order of a Court", substitute "any decree or order of a Court, not being a decree or order or award falling under clause (f) of sub-section (1)";

(iii) in clause (v) of sub-section (2), for "any document not in itself creating", substitute "any document except an agreement of Sale as mentioned in clause (g) of sub-section (1) not in itself creating";

(iv) omit explanation of sub-section (2).”

3. After Section 3 of the Amendment Act, insert new sections 3A to 3E.

“3 A. In Section 20, sub-section (1) of the Principal Act, after "persons executing the document", insert "and in the case of document for sale of property, the persons claiming under that document also".

3 B. Insertion of Section 22A. After section 22 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

Document’s registration of which is opposed to public policy.

“22A (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the registration of any document or class of documents is opposed to public policy

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the registering officer shall refuse to register any document to which a notification issued under sub-section (1) is applicable.”.

3C. In Section 28 of the principal Act, for "clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of section 17, sub-section (1), substitute "clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of section 17”.

3D. In Section 34, of the principal Act—

(i) in sub-section (1), after "persons executing the document", insert "and in the case of document for sale of property, the persons claiming under that document";

(ii) in clause (b) of sub-section (3), after "executed the document", insert "or they are claiming under the document".

3 E. Insertion of Section 34A. — After section 34 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

Person claiming under document for sale of property also to sign document.

“34A. Subject to the provisions of this Act, no document for sale of property shall be registered under this Act, unless the person claiming under the document has also signed such document."

4. Insertion of Section 5A. — After section 5 **of the Amendment Act,** the following section shall be inserted, namely:-

“5A. In Section 50, of the p**rincipal Act** for "clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of section 17, sub-section (1), substitute "clauses(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of section 17.”.

5. In Section 6 of the Amendment Act, after clause (b), insert clause (c),

“(c) in the Principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(5) If, any of the books mentioned in sub-section (1) is destroyed or in the opinion of the Registrar is in danger of being destroyed, or becoming illegible wholly or partially, the Registrar may, by a written order, direct such book or such portion thereof as he thinks fit, to be reconstructed or recopied, as the case may be and authenticated in such manner as may be prescribed under section 69, and the copy prepared and authenticated under such direction shall for the purpose of this Act, be deemed to have taken the place of and to be the original book or portion and all references in this Act, to the original book or portion shall be deemed to be references to the book or portion so prepared and authenticated.".

6. After Section 7 of the Amendment Act, insert new section 7A.

“7A. in Section 53 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where Book is in electronic form, all entries and numbers in that Book and the Book maintained manually shall be identical.".

7. After Section 9 of the Amendment Act, insert new section 9A.

"9A. In Section 58 of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1), after cause (a) the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) in the case of a document for sale of property, the signature and addition of every person admitting the claim under such document, and, if such claim has been admitted by the representative, assign or agent of any person, the signature and addition of such representative, assign or agent;"

(ii) in sub-section (2), after "execution of a document", insert "and in the case of a document for sale of property, any person admitting the execution of such document, or any person admitting the claim under that document.".

8. After Section 12 of the Amendment Act, insert new sections 12A to 12D.

"12A. New Sections 68A and **68B.—** After section 68 of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

Prohibition of unlicensed person.

"68A. (1) No person who is not licensed as provided under section 68-B, shall engage himself in the profession of document-writer and document drawn-up and signed by a person who does not hold a license shall not be accepted for registration by the registering officers:

Provided that no advocate or pleader or mukhtar shall be required to have a license under section 68-B.

(2) Nothing in this section shall prohibit an executant of document to draw up a document to be presented for registration or to do any other act for himself for which a licensed document-writer could have been otherwise engaged.

(3) Nothing in this section shall apply to document executed out of India or out of the Union territory or to a will or to document scribed by document-writer holding license for one sub-district or one district and presented for registration in another sub-district or another district as the case may be, or to documents executed by or on behalf of the Union territory or local authorities or other corporate bodies.

Grant of license to document-writers.

68B.-(1) The Registrar of district or any other officer authorized by him in this behalf may grant a license, to be valid in one sub-district or one district in the prescribed form to document-writer or apprentice to document-writer on an application made in this behalf, on such term and conditions as may be prescribed by the Inspector-General of Registration in this behalf after conducting a written test as may be prescribed.

(2)A licence may be granted to any person who has been in the profession of the document-writer for at least ten years prior to the date of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022 came into force, without requiring him to appear in the written test referred to in sub-section (1), if the Registrar of a district or any other officer authorized by him in this behalf is satisfied that he is otherwise fit to take the profession of a document-writer."

(3) A licence granted under sub-sections (1) and (2) shall remain valid till the 31st December of the year in which the same was issued and shall be subject to renewal before the expiry of its period of validity on such terms and conditions as may be prescribed.

(4)(a) The licence granted under sub-sections (1) and (2) may, at any time, be suspended or cancelled on the breach of conditions prescribed or for

such other reason to be recorded in writing by the Registrar of district or the officer authorized by him, after the document writer has been given sufficient opportunity to show cause against the proposed suspension or cancellation of the licence and after the same has been duly considered.

(b) An appeal shall lie before the Inspector-General of Registration against any order passed under this section.

Explanation. -For the purpose of sections 68A and 68B,

(i) "Document-writer" means and includes one who is engaged in the profession of preparing documents, namely, doing the work of conveyancing, including investigation of titles, preparation of draft deeds and engrossing and transcribing the deed, including copies, if any, for registration, or making searches and inspection under the Act. (ii) "Apprentice" means one who assists a document, writer in the preparation of document and transcribes them (including copies, any) to be presented for registration.".

12B. In Section 69, For sub-section (1) of the Principal Act, after clause (b) the following clause shall be inserted, namely:-

"(bb) providing for the grant of licences to document-writers and apprentices to document-writer, the suspension and cancellation of such licences, the terms and conditions under which such licences may be granted and generally for all other purposes connected with the writing of documents to be presented for registration.".

12C. After section 70 of the principal Act, insert-

"PART XI-A REGISTRATION OF DOCUMENTS BY MEANS OF ELECTRONIC DEVICES.

Application of this Part.

"70A. This part shall apply to the areas only in respect of which a notification is issued by the Union territory under section 70B.

Documents scanned by electronic devices in areas notified by the Union territory.

"70B. (1) The Union territory may, by notification, in the Official Gazette, direct that in any office as may be specified therein, the process of registration of any category or categories of documents may be completed and copying done with the help of the electronic devices like computers, scanners and the compact disks on copies preserved on such devices and retrieved when required.

(2) Notwithstanding anything in this Act or any other law for the time being in force, a copy of any document registered and scanned using the electronic devices and certified or attested by the registering officer in charge of the office shall also be received in evidence of any transaction as is described in the said document.

Saving.

70C. Nothing in this Part shall apply, -

(iii) to any document which in the opinion of registering officer is not in a condition fit to be processed by means of electronic devices;

(iv) in the case of unforeseen eventuality like break down of the computerized system of registration:

Provided that the registering officer shall record the reasons in writing therefor:

Provided that the registering officer shall ensure that the data and images of the documents registered during the period of non-application of this Part, due to a breakdown of the computerized system, are duly incorporated into the computer system, after the same is restored, in the manner prescribed by the Inspector General of Registration."

12D. Insertion of Sections 80A to 80G.— After section 80 of the Principal Act, the following sections

shall be inserted, namely:-

Recovery of fees and provision for refund.

"80A.(1) If on inspection or otherwise, it is found that any fee payable under this Act has not been paid or has been paid insufficiently, such fee may (after failure to pay the same on demand within the period specified therein), on a certificate of the Inspector-General of Registration, be recovered as an arrear of land revenue from the person from whom such demand is made. The certificate of the Inspector General shall be final and shall not be called in question in any Court or before any authority:

Provided that no such certificate shall be granted unless due inquiry is made and such person is given an opportunity of being heard.

(2) Where the Inspector-General of Registration finds the amount of fee in excess of that which is legally chargeable has been charged and paid under the provisions of this Act, upon an application in writing or otherwise, refund the excess.

Powers to frame and publish lists of touts.

80B.(l) Every Registrar of a district as regards his own office and the offices subordinate thereto and every Sub-Divisional Magistrate as regards the registration offices within his own jurisdiction may frame and publish lists of persons proved to his satisfaction or to the satisfaction of any Sub-Registrar as provided in section 80-C, by evidence of general repute or otherwise, habitually to act as touts, and may from time to time, alter and amend such lists.

(2) No person's name shall be included in any such list until he shall have had an opportunity of showing cause against such inclusion.

(3) Where the name of any person is included in a list framed and published by a Sub- Divisional Magistrate under this section, such person may, within thirty days of the publication of the list in which his name first appears, apply in writing to the Registrar of the district for the removal of his name from such list and the orders of the Registrar, passed after such inquiry (if any) as he considers necessary on such application shall be final.

Inquiry by a Sub-Registrar regarding suspected touts.

80C. Any Registrar of a district or Sub- Divisional Magistrate may send to any Sub-Registrar within the jurisdiction of such authority the name of any person alleged or suspected to be a tout and request the Sub Registrar to hold an inquiry in regard to such person and the Sub-Registrar shall thereupon hold an inquiry into the conduct of that person, and, after giving him an opportunity of showing cause as provided in sub-section (2) of section 80B, shall report to the authority who has made the request whether the person has been proved to the satisfaction of the Sub-Registrar to be a tout; and that authority may include the name of any person who has been so proved to be a tout in the list of touts framed and published by him under sub-section (1) of section 80B:

Provided that such authority shall hear such person who before his name has been so included, appears before him and desires to be heard.

Display of lists of touts in registration offices.

80D. A copy of every such list shall be conspicuously displayed in every registration office to which the same relates.

Exclusion of touts from precincts of registration offices

80E. A registering officer may, by general or special order, exclude from the precincts of his registration office any person whose name is included in any such list.

Presumption as to touts found within precincts of registration offices

80F. Every person who having been excluded from the precincts of a registration office under section 80E is found within the precincts of any registration office, without written permission from the registering officer shall be deemed to be acting as a tout for the purposes of section 82A:

Provided that this section shall not apply where such person is a party to a document intended for registration at such office or has been directed to appear by any process of the registering officer.

Arrest and trial of touts

80G. (l) Any registering officer may, by an order in writing, direct any person named in the order to arrest any such tout found within the precincts of the registration office. Such tout may be arrested accordingly and shall be forthwith produced before the registering officer.

(5) If the tout admits his offence the provisions of section 345 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall be applicable, so far as may be, to his detention, trial and punishment.

(6) If the tout does not admit his offence the provisions of section 346 of the said Code shall be similarly applicable to his detention, trial and punishment.

(7) A registering officer shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of sections."

9. After Section 14 of the Amendment Act, insert new section 14A.

14A. Insertion of Sections 82A and 82 B.— After Section 82 of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

Penalty for writing documents without licence.

"82A.(1) On and from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, no person shall write a document for another person for presentation to a registering officer except under a licence granted in accordance with the rules made under this Act:

Provided that nothing in this sub-section shall apply where the writer of such document is an authorized agent of the executant or a pleader engaged by the executant for drawing up the document or the registered clerk of such pleader,

Provided further that whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.".

Penalty

"82B. Whoever acts as a tout whilst his name is included in a list of touts framed and published under this Act:

Provided thatfor the first offence such imprisonment shall not be less than three months and fine shall not be less than five thousand rupees:

Provided further that for the second offence such imprisonment shall not be less than six months and fine shall not be less than ten thousand rupees; and

Provided also that for the third or subsequent offence such imprisonment shall not be less than one year and fine shall not be less than twenty thousand rupees;".

10. After Section 15 of the Amendment Act, insert new section 15A.

15A. Insertion of Section 87A. — After Section 87 of Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

Delegation of powers.

"87A. The Union territory administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu may, by order, delegate all or any of the powers conferred on them under

this Act to the Inspector-General of Registration, who shall exercise the same subject to such restrictions and conditions as the Union territory administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu may impose and they may, in like manner, withdraw any power so delegated.".

2. The Goa University Act, 1984

(7 of 1984)

1. In the principal Act, in the preamble, in the long title, in the short title, in clauses (19) and (20) of section 2 and in sub-sections (1) and (3) of section 3 "Goa," wherever it occurs substitute "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu".

2. Throughout the principal Act, for "Visitor" wherever it occurs substitute "Chancellor".

3. Section2.—

(i) for clause (11), the following clause shall be substituted, namely:-

"Government" means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution."

(ii) after clause (14), the following clause shall be inserted, namely:-

"(14A) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;"

(iii) in clause (18), for "Reader, Lecturer" substitute "Assistant Professors, Associate Professor".

4. Section3.— In sub-section (2), for "Panji" substitute "such place as notified in the official Gazette by the Government from time to time".

5. Section 8.—

(i)in sub-section (1), for "Lieutenant Governor" substitute "Administrator".

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(12) The Chancellor shall by virtue of his office be the Head of the University.

(13) The Chancellor Shall, if present, preside at the convocations of the University held for conferring degrees."

6. Section 9.— Omit "(1) Chancellor".

7. Section 10.— Omit section 10.

8. Insertion of Section 11A.— After section 11, the following section shall be inserted, namely:-

Extension of the term of the Vice-Chancellor. **"11A.**Notwithstanding anything contained in this Act or Statute, the Chancellor may extend the term of the Vice-Chancellor for such period not exceeding one year from the date of the expiry of the term of the incumbent".

9. Insertion of Sections 15A to 15 C.— After section 15, the following sections shall be inserted, namely:-

Retirement age. **15 A.** (1) The retirement age on superannuation of the teaching staff of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University and of the affiliated colleges of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University, whether aided by the Government or not, including the Principals of such colleges, shall be sixty-five years:

Provided that any member of the teaching staff referred to above who is due to retire on superannuation at sixty-five years, such member of the teaching staff shall be allowed to retire from the afternoon of the last day of the month in which age of superannuation is attained.

(2) The retirement age on superannuation of persons other than the teaching

staff of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University and of the affiliated colleges of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University, whether aided by the Government or not, shall be sixty years only.

Bar on University and its authorities

15.B The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University or for that matter any authority under this Act, shall not have any powers to make any statute dealing with the age of retirement or extension in service of any teaching staff or any other employee of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University or any teaching staff or any other employee of aided or non-aided colleges affiliated to the said University and if any such powers stand conferred on any authority as per the provisions of this Act, they shall, to that extent, stand repealed. Any statute so made or existing shall, to the extent it contravenes any of the provisions of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022, be deemed to be void and of no effect.

15C Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act or Statutes and Ordinances of the University or any other law for the time being in force or notification, rules, regulations, degree, order or judgment of any court, circular or instructions, every employee of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University and also that of all colleges affiliated to the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University, whether aided or not, and falling in non-teaching category, except "D" category employees, shall retire on superannuation at the age of Sixty years".

10. Section 23. In proviso to sub-section (5), omit "and such statutes shall be laid before the Legislative Assembly."

11. Insertion of Sections 25A and 25B.— After section 25, the following section shall be inserted, namely:-

Prior approval of the Government on certain proposals of the University.

"25A. -(1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, the University shall, from time to time, obtain approvals of the Government on such proposals of the University each one of which exceeds the amount prescribed by the Government for this purpose and are to be executed by charging on the grants sanctioned by the Government to the University.

(2) The Government may call upon the University to furnish details, and records of expenditure incurred or proposed to be incurred by it out of the grants granted by the Government and the University shall thereupon submit the said details and records to the Government within the time specified thereof.

(3) In order to regulate and control the expenses made out of the amounts sanctioned by the Government, the Government may approve or reject the proposals submitted by the University in term of sub- section (1) above, or give such directions thereon to the University, as it may deem fit. The University shall follow such directions within the time, if any, specified thereof, by the Government.

(4) For the purpose of this section the Government may prescribe procedure to be followed and terms and conditions for appointment of a Government officer, if any, to look after these matters, as it may deem fit.

Power to make rules.

25B. The Government, after consultation with the University, may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act, in particular the provisions at section 25A.

Provided that, consultation with the University shall not be necessary on the first occasion of making of rules under this section,

but the Government shall take into consideration any suggestions which the University may make in relation to the amendment of such rules after they are made.".

12. Section 27.—

(i) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be considered by the Executive Council and its explanation/clarification thereon shall be submitted to the Chancellor".

(ii) in sub-section (4), omit "which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly".

13. Section 31.— In sub-section (2), for "1925" substitute "1952".

14. Section 38.— In clause (a) omit "the first Chancellor and".

15. Section 39.— For section 39, the following section shall be substituted, namely:-

Completion of courses of study in colleges or institutions affiliated to the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University or Veer Narmad South Gujarat University.

"39. Notwithstanding anything contained in this Act or the Statutes, Ordinances and Regulations, any student of a college or institution situated within the Union territory and affiliated to the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University or Veer Narmad South Gujarat University who immediately before the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022 was studying or was eligible for any examination of the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University or Veer Narmad South Gujarat University, shall be permitted to complete his course in preparation therefore, and the University shall provide for such manner as it may decide for the instruction, teaching and training of such student in accordance with the courses of studies of the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University or Veer Narmad South Gujarat University and such students shall be permitted to appear at the different examinations held by the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University, or Veer Narmad South Gujarat University for such period or periods, as the appropriate University may decide, and be eligible to receive the degree, diploma, certificate or any other distinction of the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University or Veer Narmad South Gujarat University."

16. Insertion of Section 39A.— After section 39, the following section shall be inserted, namely:-

Taking over of charge of center for Post-graduate Instruction and Research.

"39A. (1) From such date as may be fixed by the University in consultation with the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University, Veer Narmad South Gujarat University the University shall take over charge of the Centre for Post–graduate Instruction and Research operating in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and all rights, interests, titles and liabilities vested in that Centre immediately before that date, shall vest in the University.

(2) The University may, as and when it deems fit, declare that the Centre taken over by it under sub-section (1) shall be closed with effect from such date as may be specified in the declaration and that Centre shall be deemed to be closed accordingly:

Provided that any student who was studying in that Centre immediately before that date, shall be permitted to complete his course of study and the University shall provide him instructions, teaching and training

for a period of five years from that date and such student shall be eligible to take such examination:

Provided further that any other student who was eligible for any examination of the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University, Veer Narmad South Gujarat University immediately before that date may take such examination".

17. In Schedule.—

(i) in clause (1), sub clause-4 (i), for "of rupees three thousand per menses" substitute "as may be fixed by the chancellor from time to time";

(ii) in clause (1), sub clause (5), for "Professor" substitute "Dean";

(iii) in clause (3), proviso to sub clause (1), for "sixty years" substitute "sixty-five years";

(iv) in clause (4), in both provisos to sub clause (2), for "sixty years" substitute "sixty-five years";

(v) for clause 15, substitute-

(1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Head of Department, Lecturer (Selection Grade), Lecturer (Senior Scale), Lecturers, Librarian, Assistant Librarian, Dean and Principal of the college and Institution maintained by university.

(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of the Vice-Chancellor, a nominee of the Chancellor and the persons specified in column 2 of the said Table and, in the case of appointment of a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Head of Department, Lecturer (Selection Grade), Lecturer (Senior Scale) or Lecturers in a Department where there is no Head of the Department, shall also consist of a person nominated by the Planning Board from its members.

(1)	(2)
Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor	(i) The Dean of the Faculty / Programme concerned. (ii) The Head of the Department / Centre Concerned, if he is a professor and not a dean; (iii) One Professor, to be nominated by the Vice-Chancellor; and Three persons, not in the service of the University nominated by the Executive Council out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of or interest in the subject with which the Professor as the case may be will be concerned.
Head of Department/ Lecturer (Selection Grade) / Lecturer (Senior Scale) / Lecturers.	(i) The Dean of the school concerned; (ii) The Head of the Department /Center concerned if he is not a dean; (iii) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor; and Two persons not in the service of university nominated by the Executive Council out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of or interest in the subject with which the Head of Department / Lecturer, as the case may be, will be concerned.

Librarian/ Assistant Librarian	(i) Two persons not in the service of the University, who have special knowledge of the subject of Library Science, or Library Administration to be nominated by the Executive Council; and One person, not in the service of the University, nominated by the Executive Council.
Dean/ Principal of the college and Institution maintained by university	Three persons not in the service of the University of whom two shall be nominated by the Executive Council and one by the Academic Council for their special knowledge of or interest in a subject in which instruction is being provided by the College or Institution.

Note: (1) Where the appointment is being made for an interdisciplinary project, the Head of the project shall be deemed to be the Head of Department/ Centre concerned.

(2)The Professor to be nominated shall be a Professor concerned with the specialty for which the selection is being made and that the Vice- Chancellor shall consult the Head of Department /Center and the Dean of School before nominating the Professor.

(3)The Vice- Chancellor shall preside at the meetings of the Selection Committees.

(4)The meetings of a Selection Committee shall be convened by the Vice-Chancellor or in his absence, by the Registrar.

(5)The procedure to be followed by a Selection Committee in making recommendations shall be such as may be laid down in the Ordinances.

(6) If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by a Selection Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Chancellor for final orders.

(7) Appointments to temporary posts shall be made in the manner indicated below: -

(i) If the temporary vacancy is for a duration longer than one academic session, it shall be filled on the advice of the Selection Committee in accordance with the procedure indicated in the foregoing clauses:

Provided that if the Vice-Chancellor is satisfied that in the interests of work it is necessary to fill the vacancy, the appointment may be made on a purely temporary basis by a local Selection Committee referred to in sub-clause (ii) for a period not exceeding six months.

(ii) If the temporary vacancy is for a period less than a year, an appointment to such vacancy shall be made on the recommendation of a local Selection Committee consisting of the Dean of the Faculty concerned, the Head of the Department and a nominee of the Vice-Chancellor;

Provided that if the same person holds the offices of the Dean and the Head of the Department, the Selection Committee may contain two nominees of the Vice-Chancellor;

Provided further that in case of sudden casual vacancies in teaching posts caused by death or any other reason, the Dean may, in consultation with the Head of the Department concerned make a temporary appointment for a month and report to the Vice-Chancellor and the Registrar about such appointment.

(iii) No teacher appointed temporarily shall, if he is not recommended by a regular Selection Committee for appointment under these Statutes, be continued in service on such temporary employment, unless he is subsequently selected by a local Selection Committee or a regular Selection Committee, for a temporary or permanent appointment, as the case may be.".

3. The Goa State Higher Education Council Act, 2018

(14 of 2018)

(As adapted to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu)

1. In the principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title, in clauses (b) and (e) of section 2, and in sub-sections (1), clauses (a) and (e) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 for "Goa," wherever it occurs substitute "Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu".

2. Section 1.— In sub-section (2), for "State of Goa" substitute, "Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

3. Section2.—

(i) in clause (b), for "Government of Goa" substitute "Union **t**erritory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu."

(ii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

"(h) "Government" means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution."

(iii) in clause (p), for "State of Goa" substitute, "Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu."

4. Section3.—

(i) in clause (a) of sub-section (2), for "Chief Minister" substitute "Administrator".

(ii) for clause (c), of sub-section (2), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) the Secretary Education, Finance Secretary, Director of Higher Education, and Director of Technical Education, shall be ex officio members."

5. Section 5.—

(i) in clause (t), for "." substitute ";"

(ii) after clause (t) of sub-section (2), the following clause shall be inserted, namely:-

"(u) any other work assigned by the Government."

6. Section 22.—

(i) re-number sub-section (1) as section 22.

(ii) omit sub-section (2).

7. Section 24.—

(i) re-number sub-section (1) as section 24.

(ii) omit sub-section (2).

4. The Goa, Daman and Diu School Education Act, 1984

(15 of 1985)

1. In the principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title, in sub-section (2) of section 1 and clauses (s) and (z) of section 2 and in sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 24, for "Goa," wherever it occurs substitute "Dadra and Nagar Haveli and".

2. Section 2.—

(i) in clauses (f) and (j), for "Government of Goa" substitute, "Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and."

(ii) in sub-clause (i) of clause (l), for "Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968" substitute, "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004 (2 of 2014)".

(iii) in sub-clause (ii) of clause (l), for "Goa, Daman and Diu Village Panchayat Regulations, 1962 substitute, "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 (5 of 2012)".

(iv) after clause (t), the following clause shall be inserted, namely:-

"(tt) "residential school "means a school which provides facilities of lodging and boarding to its student;

(u) "school" means a pre-primary, a primary school, a secondary school, a higher secondaryschool or any part of such school, or any otherinstitutions which impart education or training below the degree level includinginstitutions which impart vocational education and Ashramschool (being residential school for children belonging to Scheduled Castes,Scheduled Tribes and Nomadic Tribes);

(v) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:-

" (x) "tribunal" means the Administrative Tribunal;"

3. Section 4.— For section 4, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) The Government may regulate education in all the schools in the Union territory in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(2) With a view to enable the Government to provide for the planned development of school education in the Union territory, every individual, association of individuals, Society or Trust, desiring to establish a school or to open additional classes in an existing school, shall, before establishing such school or opening additional classes in an existing school, as the case may be, apply to the Director in writing in such manner and on payment of such fees as may be prescribed.

(3) The Director may, after considering the particulars specified in the application made to him and after making such inquiries as he may think fit, permit the individual, association of individuals, Society or Trust by whom the application was made, to establish a school or open additional class in an existing school, as the case may be, in the zone and the area applied for:

Provided that the Director shall, if he is of the opinion that the number of schools existing in the zone or the area where the school is proposed to be established or where additional classes are proposed to be opened, are sufficient to meet the needs of that zone or the area, inform the applicants that the establishing of the school or opening of additional classes in the existing school, as the case may be, in the zone or the area would not be in public interest and may indicate any other zone or area which in his opinion, needs a new school or additional classes, as the case may be, or may reject the application.

(4) On and from the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022, the establishment of a new school or the opening of a class or section of a class or the closing down of an existing class or any section of an existing class in any existing school in the Union territory, shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder and any school or class or section established or opened otherwise than in accordance with the provisions of the Act or the rules made thereunder shall not be recognised by the appropriate authority.

(5) Any person or persons or the Secretary of the Society or the Trust, as the case may be, establishing a school, or opening additional classes in an existing school, without the prior permission of the Director, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or fine which may extend to fifty thousand rupees or with both, and the school or class so established shall be closed and students readmitted to the nearest school.

(6) Notwithstanding anything contained in this section, any permission to establish a new school, which has been provisionally granted before the commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022 may be approved subject to the condition that such school fulfills other infrastructural requirements as may be prescribed to the satisfaction of the Director. Such school shall not be entitled for any type of Government grant, irrespective of its medium of instruction."

4. Section 5.—

(i) in clause (f) of sub-section (1), insert "children with special needs" after "practice" and omit "and".

(ii)in clause (g) of sub-section (1) for, "thereunder. substitute, "thereunder; and".

(iii) after clause (g) of sub-section (1), the following clause shall be inserted, namely:-

"(h) fulfills all other conditions as may be prescribed from time to time."

(iv) after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(6) The prescribed authority may, by order, grant recognition to any school which had not obtained recognition earlier for any genuine reasons if the school satisfies the conditions specified in the proviso to sub-section (1) and makes an application in the prescribed form and in the prescribed manner for recognition."

5. Section 8.— In sub-sections (1) and (2), insert "secondary", before "higher".

6. Section 10.— In clause (a) of sub-section (2) and (3) insert "salary" after "maintenance".

7. Section 11.—

(i) omit provisos to sub-section (1).

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(1A) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act or the rules framed thereunder or any law for the time being in force or any notification, regulation, decree, order, circular, judgment or instructions, every employee of a recognized private school, whether aided or not, shall retire at the age of sixty years.".

(iii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Subject to any rules that may be made in this behalf, no employee of an aided school shall be dismissed, removed, reduced in rank, compulsorily retired or his service otherwise terminated, except with the prior approval of the Director.".

(iv) after sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2a) Where the managing committee of a recognized private school is satisfied that immediate action against an employee of unaided minority school is necessary by reason of the gross misconduct within the meaning of the Code of Conduct prescribed under section 12, of the employee, it may dismiss, remove, reduce in rank, compulsorily retire or otherwise terminate his service and shall intimate the action taken by it to the Director within fifteen days from the date of the action so taken.".

(v) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) Where the intention to suspend or the immediate suspension of, an employee is communicated to the Director, he may, if he is satisfied after hearing both the parties that there are adequate and reasonable grounds for such suspension, accord his approval to such suspension.

(vi) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-

(4a) Where an employee is suspended in violation of sub-section (3) and (4), or the rules made thereunder, the Director may direct for revocation of the order of suspension."

(vii) omit sub-section (5) and (6).

8. Section 12.— In sub-section (2) —

(i) in clause (k), after parents;" insert "and".

(ii) after clause (k) of sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(l) involved in crime of moral turpitude".

9. Section 14.— Omit section 14.

10. Section 18.— In sub-section (1), for "five", substitute "six" and for "1st day of June", substitute "30th day of September".

11. Section 19. In sub-section (3), after "statement.", insert The Government may regulate any such fees of unaided recognised school as may be prescribed."

12. Section 22. For clause (e) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) dismissing, removing from service any employee or reducing him in rank or retiring him compulsorily or otherwise terminating his services under sub-sections (2), (2a), (4) and (4a) as the case may be, of section 11."

13. Section 23.—

(i) in clause (g) of sub-section (1), for "three" substitute "six", for "one" substitute, "ten" and omit proviso.

(ii) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(3) No court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (4) of section 4 and sub-section (4) of section 19 of the Act, except on a complaint made by the Director or any person authorised by him in this behalf.".

14. Section 24.—

(i) in clause (a) of sub-section (2), omit "of the Goa, Daman and Diu Board of Secondary and Higher Secondary Education, ex officio".

(ii) in clause (c) of sub-section (2), for "three", substitute "four".

(iii) for clause (g) of sub-section (2), the following clause shall be substituted, namely:-

"(g) two elected representatives;".

(iv) in sub-section (3), for "Minister for", substitute "Secretary of "and after (f), insert "(g),".

5. THE GUJARAT STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADERS, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1976

(11 OF 1976)

(As adapted to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu)

1. In the principal Act, in the long title, in sub-sections (1) and (2) of section 1, in clause (d) of section 2, for "Gujarat" wherever it occurs, substitute "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu".

2.In the principal Act, in the Preamble, in sub-section (2) of section 1, in clauses (d) of section 2, in sub-section (1) of section 3, in clause (ii) of sub-section (1) of section 6, and in clause (viii) of Sr. No. 3 of Schedule I unless the context otherwise implies, for "State" wherever it occurs, substitute "Union territory".

3.In the principal Act, in the proviso to section 4, in sub-section (1) of section 5 and in sub-section (1) of section 9, for "Government", wherever it occurs, substitute "Administration".

4. Section 1- In sub-section (3), for "1st of April, 1976" substitute "date of its publication in the Official Gazette".

5. Section 2- (i) for clause (aa), the following clause shall be substituted, namely:-

"(aa) Designated Authority means, -

(i) a Municipality as constituted under Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation 2004;

(ii) a Village Panchayat or District Panchayat constituted under Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation 2012;

Or as the case may be, the Union territory Administration, or any officer authorized to exercise the power of Municipality or Village Panchayat or the District Panchayat when the same is either dissolved or is not in existence."

(ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"Tribunal" means the Administrative Tribunal as may be or have been notified for various districts by the UT Administration;"

6. Section 5—

(i) in sub-section (5), -

(a) for "twenty" substitute "two hundred".

(b)for "ten" substitute "fifty".

(ii) in sub-section (6), for "one" substitute "five".

7. Section 6— in sub-section (3), for "Ten" substitute "two hundred".

8. Section 11—

(i) in the marginal heading, after "revenue" insert "or Property Tax".

(ii) in sub-section (1), after "revenue" insert "or arrears of property tax as the case may be"

(iii) in sub-section (2), in clause (i), for "Bombay Land Revenue Code,1879", substitute "Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 andthe Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971" and after "said code)" insert "or of Chief Officer under the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004"

9. Section 12— in sub-section (2), —

(i) for "The Tribunal constituted under Section 19 of the Gujarat Value Added Tax Act, 2003, (Guj. Act. No.1 of 2005) shall be the" substitute "The Union territory Administration shall constitute a".

(ii) for "and accordingly the provisions of that Act relating to the Tribunal including section 19, and the regulations (subject to such amendments as may be made therein in their application to the Tribunal for the purposes if this Act) made thereunder shall apply to or in relation to such Tribunal for the purposes of this Act" substitute "and prescribe rules for conducting hearing by the said Tribunal".

(iii) after first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that Union territory Administration may designate any tribunal formed under any other Act as a tribunal under this section and provide the said tribunal with such additional resources as it may deem fit.".

10. Section 27— Omit sub-section (4) and (5).

11.Section 29.— Omit.

12. Section 31.— Omit

13. Schedule I— (i) in Sr. No. 1,

(a) in column 2 of clause (A) and (B), for sub-clause (i), (ii), (iii), (iv) and (v) substitute —

"(i) less than Rs.10,000/-

(ii) Rs.10,000/- or more but less than Rs.20,000/-

(iii) Rs.20,000/- or more but less than Rs.40,000/-

(iv) Rs.40,000/- or more but less than Rs.50,000/-

(v) Rs. 50,000/- or more."

(b) in column 3 of clause (A) and (B), substitute —

"Zero

50/- per month

100/- per month

150/- per month

200/- per month"

(ii) in column 2 of Sr. No. 3, in clause (viii) after "(Guj. X of 1962)" insert "as extended to the territory of Dadra and Nagar Haveli and the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 as applicable to the territory of Daman and Diu"

(iii) in column 2 of Sr. No. 7, for "the Gujarat Value Added Tax Act, 2003 (Guj. 1 of 2005)" wherever they

occur, substitute “the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Value Added Tax Regulation, 2005”.

(iv) Sr. No. 10 shall be renumbered as 12 and before the Sr. No. 12 as so renumbered insert the following Sr. No.—

10.	Shopkeepers except for street vendors	2500/- per annum
11.	Street Vendors	600/- per annum

(v) in Exemptions to schedule 1, in clause (1), for the Companies Act, 1956 (1 of 1956), substitute-

Companies Act, 2013 (1 of 2013) and after clause (3), insert-

“(4) Nothing contained in section 3 and other provisions of this Act shall apply to, -

(a) the members of the Forces as defined in the Army Act, 1950 or the Air Force Act, 1950 and themembers of Indian Navy as defined in the Navy Act, 1957 serving in any part of the Union territory and drawing pay and allowances as Army or Air Force or Navy, as the case may be, including the members of auxiliary forces or reservists, or reserve and auxiliary services serving in any part of the Union territory and drawing pay and allowances as such auxiliary forces or reservists, or reserve and auxiliary services, as the case may be, under the budgetary allocations of the Defence Services;

(b) the *badli* workers in the textile industry.

(c) Any person suffering from a permanent physical disability (including blindness), being a permanent physical disability specified in the rules made in this behalf by the State Government, which is certified by aphysician, a surgeon or an oculist, as the case may be, working in a Government Hospital and which has the effect of reducing considerably such individual's capacity for normal work or engaging in a gainful employment or occupations:

Provided that such individual or, as the case may be, employer produces the aforesaid certificate before the prescribed authority in respect of the first assessment year for which he claims deduction under this sub-section:

Provided further that the requirement of producing the certificate from a physician, a surgeon or an oculist, as the case may be, working in a Government Hospital shall not apply to an individual who has already produced a certificate before the prescribed authority under the provisions of this sub-section.

Explanation. - For the purpose of this sub-section, the expression "Government Hospital" includes a departmental dispensary whether full time or part time established and run by a Department of the Government for the medical attendance and treatment of a class or classes of Government servants and members of their families, a hospital maintained by a local authority and any other hospital with which arrangements have been made by the Government for the treatment of Government servants;

(d) women exclusively engaged as agents under the Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana of Directorate of Small Savings;

(e) Parents or Guardian of any person who is suffering from mental retardation specified in the rules madein this behalf, which is certified by a psychiatrist working in a Government Hospital:

Provided that such individual produces such certificate before the prescribed authority in respect of the first, assessment year for which he claims deduction under this sub-section.

Explanation. - For the purpose of this clause, the expression "Government Hospital" will have the same meaning as assigned to it in clause (c).;

(f) the persons who have completed the age of sixty-five years.

(g) parents of guardians of a child suffering from a physical disability as specified in clause (c);

(h) the armed members of Central Reserve Police Force to whom the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) applies and the armed members of the Border Security Force, to whom the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) applies and serving in the Union territory.”.

15. In Schedule II— following Sr. Nos. shall be inserted-

4.	The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004	In section 102, in sub-section (1), for clause (b) following shall be substituted: "(b) subject to and in accordance with the provisions of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1976 (President's Act No.11 of 1976) and the rules made thereunder, a tax on professions, trades, callings and employments;"
5.	The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012	In section 38, in sub-section (1), for clause (b) following shall be substituted: "(b) subject to and in accordance with the provisions of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1976 (President's Act No.11 of 1976) and the rules made thereunder, a tax on professions, trades, callings and employments;"

6A.Bombay Money-Lenders Act, 1946 (Bombay Act No 31 of 1947)

[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].

Repeal as a whole.

6B.THE MAHARASHTRA MONEY-LENDING (REGULATION) ACT, 2014

(VIII OF 2014)

(As adapted to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu)

1.For the preamble, substitute-

"An Act to regulate the transactions of money-lending in the Union **t**erritory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu."

2. Section 1.—

(i) in sub-section (1), after "2014", insert as adapted to the Union **t**erritory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu"

(ii) in sub-section (2), for "State of Maharashtra", substitute "Union **t**erritory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu"

(iii) in sub-section (3), for "on the 16th January 2014", substitute "date of its publication in the Official Gazette"

3. Section 2.—

(i)omit explanation to sub-clause (m) to clause (13).

(ii) in sub-clause (23), for "State of Maharashtra", substitute "Union **t**erritory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu"

(iii) after sub-clause (23), the following clause shall be inserted, namely:-

"(23a) "State Government" means the Union **t**erritory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution."

4. Section 6.—

(i) in explanation (i) to section 6, for "Maharashtra Village Panchayats Act", substitute "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation 2012".

(ii) in explanation (ii) to section 6, for "Maharashtra Zilla Parishads and the Panchayat Samitis Act, 1961", substitute "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation 2012".

5. Section 8.— For "Divisional Registrar", substitute "Registrar General" wherever it occurs.

6. Section 11.— For "Divisional Registrar", substitute "Registrar General" wherever it occurs.

7. Section 17.—

(i) in sub-section (6), for "Divisional Registrar", substitute "Registrar General".

(ii) in sub-section (7), for "Tahsildar" substitute "Mamlatdar".

8. Section 18.—

(i) in sub-section (4) and (5), for "Divisional Registrar", substitute "Registrar General" wherever it occurs.

(ii) in sub-section (6), for "Maharashtra Land Revenue Code,1966", substitute "Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 andthe Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971"

9. Insertion of Section 25A.— After section 25, the following section shall be inserted, namely:-

Audit of accounts of Money-Lander.

"**25A**. (1) The accounts of every Money-Lender shall be audited at least once in every year by a person who is a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949, (38 of 1949.) and the audit report shall be submitted to the Registrar within such period as may be prescribed.

(2) If the audit report under sub-section (1) discloses any irregularity or any contravention or non-compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder, or of any of the conditions of the registration, the Registrar to whom such audit report is submitted, may without prejudice to any other action that may be taken under any other provision of this Act, by order in writing direct the Money-Lender to take such action as may be specified in the order within the time mentioned therein to remedy the irregularity, or to take such steps necessary to comply with the provisions of this Act or the rules made thereunder or of the conditions of the registration.".

10. Section 26.— In sub-section (2), omit ", and subject to the maximum of two **rupees** per debtor, per year".

11. Section 46.— In clause (b), for "ten", substitute "fifty".

12. Section 49.— Omit explanation.

13. Section 52.— Omit.

14. Section 54.— Omit sub-section (3).

15. Section 55.— Omit sub-section (2) and renumber sub-section (1) as section 55.

16. Section 56.— Omit.

17. Section 57.— Omit.

7A. The Goa, Daman and Diu Highways Act, 1974 (Act 7 of 1984)

[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].

Repeal as a whole.

7B. The Goa, Daman and Diu Highways Act, 1974

(7 of 1984)

1. In the principal Act, in the long title, in the short title subsection (2) of section (1) and in clauses (h) and (o) of section 2 and in section 4 for "Goa," wherever it occurs substitute "Dadra and Nagar Haveli and".

2.It shall come in to force on the date of its publication in the Official Gazette.

3. Section 2.— In clause (t), for "Land Acquisition Act, 1894", substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"

4. Section 28.— In sub-section (2)—

(i) for "23 and 24", substitute "28" wherever it occurs.

(ii) for "Land Acquisition Act, 1894", substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.".

(iii) for "6", substitute "19".

5. Section 30.—

(i) for "23 and 24", substitute "28".

(ii) for "Land Acquisition Act, 1894", substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

6. Section 39.— In sub-section (3) for, "sections 31 to 34 (both inclusive) of the "Land Acquisition Act, 1894", substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

7. Insertion of Sections 54 A to 54D.— After section 54A insert—

Power of Government to levy fees for services or benefits rendered on highways etc

"**54A.** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, levy fees at such rates as may be laid down by rules made in this behalf for services or benefits rendered in relation to the use of permanent bridges costing more than rupees twenty-five lakhs constructed on State Highway, major district roads and village roads, which are thrown open for the public on or after the first day of January, 1986:

Provided that if the Government is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, it may, by like notification, specify any bridge in relation to the use of which fees shall not be leviable under this section.

Provided further that the Government may by notification and subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification, exempt either totally, or partially any motor vehicle or motor vehicles or any class of motor vehicles, from the payment of fees.

(2) Such fees when so levied shall be collected in accordance with the rules made under this Act.

Power of Government to levy fees for use of roads etc.

54B. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, levy fees at such rates as may be laid down by rules made in this behalf for use of State Highway, major district roads and village roads, or any portion thereof, which are thrown open for the public on or after the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022:

Provided that if the Government is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, it may, by like notification, specify any State Highways, major district roads and village roads or any portion thereof in relation to the use of which fees shall not be leviable under this section.

Provided further that the Government may by notification and subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification, exempt either totally or partially, any motor vehicle or motor vehicles, or any class of motor vehicles, from the payment of fees.

(2) Such fees, when so levied, shall be collected in accordance with the rules made under this Act.

Entry to bridges, State highways, etc., without paying fee. —

54C. Whoever enters a bridge or State highway or major district road or village road without paying the fee shall, on conviction, be punished, — (a) for the first offence with a fine which may extend to one thousand rupees. (b) for a subsequent offence with a fine which may extend to five thousand rupees.

Power of the Government to enter into agreement for development

54D. – (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other Act for the time being in force, the Government may enter into an agreement with any person in relation to the construction, development and maintenance of the whole or any part of the Highway or a bridge.

and maintenance of Highways and bridges. –

(2) To facilitate or secure such construction, development and maintenance, the agreement may, subject to such terms and conditions as may be prescribed, provide for the transfer of any land belonging to or to be acquired by the Government under this Act or any other Act, for the time being in force, to such person or persons by way of lease or otherwise during the period of such agreement.

(3) Notwithstanding anything contained in sections 54A and 54B and rules framed thereunder the person referred to in sub-section (1) shall be entitled to collect and retain fee at such rate or rates, for the service or benefits rendered by him as the Government may by notification in the Official Gazette specify having regard to the expenditure involved for acquisition of land and construction, development and maintenance of bridges or Highway.

(4) A person referred to in sub-section (1) shall have powers to regulate and control the traffic in accordance with the provisions contained in Chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) on the Highway or a bridge forming subject matter of such agreement, for proper management thereof.".

8. Section 55. For "hundred", substitute "thousand".

9. Section 56.—

(i) in clause (a), for "hundred", substitute "thousand".

(ii) in clause (b), for "hundred", substitute "thousand".

10. Section 57.—

(i) in clause (a), for "two hundred and fifty", substitute "two thousand and five hundred"

(ii) in clause (b), for "hundred" substitute "thousand" and "fifty", substitute "five hundred".

11. Section 58. For "one", substitute "ten".

12. Section 59.—

(i) in clause (a) for "fifty", substitute "five hundred".

(ii) in clause (b) for "hundred", substitute "thousand".

13. Section 66. After "1968" insert, "or the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 or any other law for the time being in force" wherever it occurs.

14. Section 72. Omit sub-section (3).

15. Section 74. Omit "made by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu or any law which the said Legislature is competent to make or to amend".

8 A. The Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act, 1974

(21 of 1975)

(as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli)

Repeal as a whole

8 B. The Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act, 1974

(21 of 1975)

1. In the principal Act, in the long title, in the short title, in preamble, in section 2 clauses (13) and (31), section 4, and section 142, for "Goa," wherever it occurs substitute "Dadra and Nagar Haveli and".

2.Throughout the principal Act, except sub-section (2) of section 33 for "Board" or "The Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Board" wherever it occurs substitute "Prescribed Authority".

3. Section 2.—

(i) omit clause (4).

(ii) after clause (26), the following clause shall be inserted, namely:-

"(26A) "prescribed authority" means the authority notified by the Government as the prescribed authority for purposes of this Act;".

(iii)in clause (32), for "Goa, Daman and Diu Municipalities Regulation, 1968" substitute "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004".

4.Chapter II. In the title, omit "and constitution of Daman and Diu Town and Country Planning Board".

5.Section 3.— For section 3, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1)The Government shall, by notification, appoint a person as the Chief Town Planner for the purposes of this Act.

(2) The role of Chief Town Planner shall be to assist the Planning and Development Authorities and its establishments.

In addition to such functions as may be prescribed by or under this Act, the Chief Town Planner shall also aid Prescribed Authority in discharge of its functions and shall also perform such other functions as may be ordered by the Government in this behalf."

6.Sections 4 to 7. Omit.

7.Chapter III-Sections 9 to 17. Omit

8.Section 20.—

(i) in Clause (ii) of sub-section (3) omit "in consultation with the Chief Town Planner".

(ii) in sub-section (5), omit "in consultation with the Board,".

(iii) in clause (iii) of sub-section (7), omit "in consultation with the Board".

9. Section 22.— After clause(e), the following clause shall be inserted, namely:-

(f) to carry out surveys in the planning area for the preparation of Outline Development Plan, Comprehensive Development Plan or Town Planning Schemes;

(g) to control the development activities in accordance with the development plan in the planning area;

(h) to enter into contracts, agreements or arrangements with any person or organization as the planning development authority may deem necessary for performing its functions;

(i) to acquire, hold, manage and dispose of property, movable or immovable, as it may deem necessary;

(j) to execute works in connection with supply of water, disposal of sewerage and provision of other services and amenities;

(k) to prepare various schemes of infrastructure development and undertake their implementation.

(l) to exercise such other powers and perform such other functions as are supplemental, incidental or consequential to any of the foregoing powers and functions or as may be directed by the Government;

10. Section 30. For section 30, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) An Outline Development Plan shall: —

(a) indicate broadly the manner in which the land in the planning area is proposed to be used;

(b) allocate areas or zones of land for use—

(i) for residential, commercial, industrial and agricultural purposes;

(ii) for public and semi-public open spaces, parks and playgrounds; and

(iii) for such other purposes as the Planning and Development Authority may think fit;

(c) indicate, define and provide—

(i) for existing and proposed national highways, arterial roads, ring roads and major streets; and

(ii) for existing and proposed lines of communications, including railways, tram- ways, airports and canals;

(d) regulate within such zone, the location, the height, number of storey, and size of buildings and other structures, the size of yards, courts, and other open spaces, and the use of buildings, structures and lands.

(2) An Outline Development Plan may also indicate, define and provide for—

(a) the existing and proposed public and semi-public buildings; and

(b) all or any of the purposes and matters as may be indicated, defined and provided for in the Comprehensive Development Plan under section 32.

(c) proposals for the reservation of land for public purposes, such as schools, colleges and other educational institutions, medical and public health institutions, markets, social welfare and cultural institutions, theaters and places for public entertainment, public assembly, museums, art galleries, religious buildings, play-grounds, stadia, open spaces, dairies and for such other purposes as may, from time to time, be specified by the State Government;

(d) proposals for designation of areas for zoological gardens, green belts, natural reserves and sanctuaries.

(e) transport and communications, such as roads, highways, parkways, railways, waterways, canals and airport, including their extension and development.

(f) proposals for water supply, drainage, sewage disposal, other public utility amenities and service including supply of electricity and gas;

(g) reservation of land for community facilities and services;

(h) proposals for designation of sites for service industries, industrial estates and any other industrial development on an extensive scale;

(i) preservation, conservation and development of areas of natural scenery and landscape.

(j) preservation of features, structures or places of historical, natural, architectural or scientific interest and of educational value;

(k) proposals for flood control and prevention of river pollution;

(l) proposals for the reservation of land for the purpose of Union, any State, local authority or any other authority or body established by or under any law for the time being in force;

(m) the filling up or reclamation of low lying, swampy or unhealthy areas or leveling up of land.

(n) provision for controlling and regulating the use and development of land within the development area, including imposition of conditions and restrictions in regard to the open space to be maintained for buildings, the percentage of building area for a plot, the location, number, size, height, number of storeys and character of buildings and density of built up area allowed in a specified area, the use and purposes to which a building or specified areas of land may or may not be appropriated, the sub-divisions of plots, the discontinuance of objectionable uses of land in any area in any specified periods, parking spaces, loading and unloading space for any building and the sizes of projections and advertisement signs and hoardings and other matters as may be considered necessary for carrying out the objects of this Act.

(o) provision for preventing or removing pollution of water or air caused by the discharge of waste or other means as a result of the use of land; and such other proposals for public or other purposes as may from time to time be approved by the planning and development authority or as may be directed by the Government in this behalf.

(3) Subject to such rules regulating the form and contents of an Outline Development Plan any such plan shall include such maps and such descriptive matter as may be necessary to explain and illustrate the proposals contained in that Plan.

(4) The following particulars shall be published along with the outline development plan, namely: -

(a) a statement indicating broadly the uses to which lands in the area covered by the plan are proposed to be put and any survey carried out for the preparation of the outline development plan;

(b) maps, charts and statements explaining the provisions of the outline development plan;

(c) the regulations for enforcing the provisions of the outline development plan;

(d) procedure explaining the manner in which permission for developing any land may be obtained from the area development authority or, as the case may be, the authorised officer;

(e) a statement of the stages of development by which it is proposed to meet any obligation imposed on the planning and development authority by the outline development plan.

(f) an approximate estimate of the cost involved in acquisition of land reserved for public purposes

(5) After the coming into operation of Outline Development Plan and defining the Zone thereof, the conversion shall be in conformity with the contents of an Outline Development Plan and in accordance with such procedure as may be prescribed."

11.Section 31.— Omit "through the Board".

12.Section 32.— In sub-clause (viii) clause (b) of sub-section (1) omit, "or the Board"

13. Section 33.— In sub-section (2) for "Board" substitute "Government" wherever it occurs.

14.Section 35.—

(i)insub-section 2 for "the Land Acquisition Act, 1894" and "4" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" and "11" respectively.

(ii) In sub-section (6), omit "the Board and to".

15. Section 36.— Omit "after consulting the Board,".

16. Section 37.— In sub-section 2, for "the Land Acquisition Act, 1894" and "6" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" and figure "19" respectively.

17. Insertion of Section 37A.— After Section 37, the following section shall be inserted, namely:-

Change of land use from the Outline Development Plan.

"**37A**. (1) At any time after the date on which the outline development plan for an area comes into operation, the Planning Authority may, with the previous approval of the Government, allow such changes in the land use or development from the outline development plan as may be necessitated by topographical cartographical or other errors and omissions, or due to failure to fully indicate the details in the plan or changes arising out of the implementation of the proposals in outline development plan or the circumstances prevailing at any time, by the enforcement of the plan: provided that;-

(a) All changes are in public interest;

(b) The changes proposed do not contravene any of the provisions of this Act or any other law governing planning, development or use of land within the local planning area; and

(c) The proposal for all such changes is published in or more daily newspapers, having circulation in the area, inviting objections from the public within a period of not less than fifteen days from the date of

publication as may be specified by the Planning Authority.

(d) The provisions of section 37 shall apply mutatis mutandis to the change in land use or development from the outline development plan.

(e) Notwithstanding anything contrary contained in the Act, if the change in land use or development is from commercial or industrial to residential or from industrial to commercial and the stipulated fees paid and the local planning authority is informed prior to effecting the change, the permission for such change of land use or development shall be deemed to have been given".

18. Section 39.— In sub-section (1), omit "the Board and" wherever it occurs.

19. Section 41.— In the title and in section, for "the Land Acquisition Act, 1894" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

20. Insertion of Sections 41 A to 41C.— After section 41, the following sections shall be inserted, namely:-

Acquisition of land by according transferable development right.

"**41A.**(1) The Planning and Development Authority, municipal council or a village panchayat may, with approval of the Government and the consent of the owner, acquire his land for public purpose and the Government may accord him a transferable development right, in lieu of the payment of compensation towards such acquisition, by issuing a Development Right Certificate in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The transferable development right could be utilized as additional built-up space in such manner as may be prescribed by the owner who may use it himself or transfer it to any other person in full or in part, to use in areas earmarked for the purpose in Regional Plan or Development Plan.

Acquisition by way of accommodation reservation.

41B.(1) A Planning and Development Authority, municipal council or a village Panchayat may, with the consent of the owner, get transferred his land and amenity in its favour for Public purpose as specified in the Development Plan, by way of accommodation reservation, in such manner as may be prescribed.

(2) The owner of such land shall develop such amenity and hand it over to the said authority free of cost and thereafter he shall himself utilize the developmental right equivalent to full permissible Floor Area Ratio.

Preservation of natural reserves and resources for posterity

41C. A Planning and Development Authority, municipal council or a village Panchayat may with approval of the Government and the consent of the owner, withdraw or severe the development right or potential in respect of land identified for conservation or preservation in the Development Plan and the Government may allot the development right, thus removed, or severed to other area which is more suitable for development by way of transferable development right for posterity in such manner as may be prescribed."

21. Insertion of Section 42A.— After section 42, the following section shall be inserted, namely:-

Setting up of Eco Tourism Activities

"**42A.**Notwithstanding anything contained in this Act, or Outline Development Plan, or a Comprehensive Development Plan or a Land Use Plan prepared under this Act, or in any of the provisions of Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (2 of 1971) or the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (9 of 1969) or any other law for the time being in force, an Applicant who desires to set up any Eco Tourism activity permitted in the Eco Sensitive Zone Notification, in Eco Sensitive Zones declared under the

Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) and the Rules framed there under by the Ministry of Environment and Forest, Government of India, shall not be required to obtain any conversion of land, or any change of zoning or change of land use or any change of land either under this Act or any other maps or plans finalised there under, or Regulations or Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (2 of 1971) or the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (9 of 1961):

Provided that such project or Eco Tourism Activity can be set up to an extent of 5% of the total area and that the minimum area required is not less than 20,000 sq. metres:

Provided further that persons desirous of setting up of any such Eco Tourism Activities shall be required to obtain prior approval of the Union territory Level Eco Sensitive Zone Monitoring Committee or such other Authority, as may be designated from time to time as well as the construction licence in terms of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 (5 of 2012), but shall not require any Land Use, or Conversion Sanad or change of Zoning or Area Conversion under the local laws."

22. Section 44.—

(i) in clause (a) of sub-section (2), for "Central or Union territory Government" substitute "Central Government or Union territory Administration".

(ii) in clause (ii) of sub-section 4, omit "and".

(iii) clause (iii) of sub-section 4, shall be re-numbered as clause (iv) and before the clause (iv) so re-numbered, insert,

"(iii) to the relevant bye-laws or regulations of the local authority concerned; and"

23. Section 45.— In sub-section (2), for "five hundred" substitute "ten thousand".

24. Section 49.— For sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(6) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where any document required to be registered under the provisions of sub-section (1) of section 29 of the Registration Act, 1908, purports to transfer, assign, limit or extinguish the right, title or interest of any person, in respect of plots which are not as per Survey Plan issued by Survey Department or plots which have no development permissions for such sub-division from Planning and Development Authority within a planning area, no registering officer appointed under the Act, shall register any document, unless the owner of such plot produces a certificate of sanction or a certificate of "no objection" from the Planning and Development Authority exercising jurisdiction in respect of the planning area:

Provided that no such certificate of sanction or "no objection" shall be required to be produced if the sub-division of land or the making or layout of any property results from the right of inheritance within a family:

Provided further that no such certificate of sanction or no objection shall be required to be produced for the purpose of mortgaging immovable property in favour of any financial institution notified by the Government by a notification in the Official Gazette, for the purpose of this Regulation.

25. Insertion of Section 50A.— After section 50, the following section shall be inserted, namely:-

Cancellation of permission on ground of material misrepresentation, fraudulent statement or information

"**50A.** (1) If at any time after permission has been granted under section 44, 45, 46 and 47 the Authority granting such permission is satisfied that such permission was granted in consequence of any material misrepresentation made or any fraudulent statement or information furnished, the Prescribed Authority may, after giving an opportunity of being heard to the person in whose favor the permission had been granted, cancel such permission for reasons to be recorded in writing and any development carried out without proper permission shall be treated as unauthorized development in terms of the provisions of sections 51 and 52 and proceeded with accordingly.

(2) The decision of the Competent Authority in this respect shall be final and no appeal shall lie against such decision.".

26. Section 51.—

(i) In sub-section 1, for "ten thousand" and "five hundred" substitute "two lakhs" and "twenty thousand" respectively.

(ii) In sub-section 2, for "five thousand" and "two hundred and fifty" substitute "fifty thousand" and "five thousand" respectively.

(iii) after sub-section 2, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(3) An offence under this section shall be cognizable."

27. Section 52.—

(i) in sub-section (1), omit "within four years of such development or change,".

(ii) In sub-section (7), for "ten thousand" and "five hundred" substitute "one lakh" and "one thousand" respectively.

(iii) after sub-section (7), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(8) An offence under this section shall be cognizable."

28. Section 53.—

(i) in sub-section (3), for "ten thousand" and "five hundred" substitute "one lakh" and "one thousand" respectively.

(ii) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(7) An offence under this section shall be cognizable."

29. Section 56.—

(i) in sub section (2) renumber clauses (j) and (k) as (k) and (l) respectively

(ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

"(j) the reservation of land to the extent of ten percent or such percentage as near there to as possible of the total area covered under the scheme, for the purpose of providing housing accommodation to the members of socially and economically backward classes of people;".

30. Section 59.— In sub-section (2), for "the Land Acquisition Act, 1894" and "4" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" and "11" respectively.

31. Section 64.— In sub-section (1), for "under any Act of the Legislative Assembly of the Union territory or any of the Acts which the Legislative Assembly of the Union territory" substitute "which Government".

32. Section 65.— In sub-section (1) after "inconclusive, an" insert "summary".

33. Section 66.—

(i) in sub-section (1) omit "through the Board".

(ii) in sub-section (4) for "Chief Judicial" substitute "District" and omit "or any Judicial Magistrate of the First Class".

34. Section 68.—

(i) in sub-section (3), omit "in consultation with the Board,".

(ii)in sub-section (6) for "the Land Acquisition Act, 1894" and "6" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" and "19".

35. Section 71.— For "Chief Town Planner" substitute "Prescribed Authority" wherever it occurs.

36. Section 79.— In sub-section (3) for "Chief Town Planner" substitute "Prescribed Authority" wherever it occurs.

37. Section 80.— For "Chief Judicial Magistrate" substitute "District Magistrate".

38. Section 81.— In sub-section (1) omit "through the Chief Town Planner".

39. Section 82.— In sub-section (2) omit "and after consulting the Chief Town Planner".

40. Insertion of Section 100A.**—** After section 100, the following section shall be inserted, namely:-

Levy of processing fees for change of Zone.

"**100A.**(1) The Government may, by notification, levy a fee to be charged for processing of applications filed with the Planning and Development Authority, for change of Zone in notified Outline Development Plans, Comprehensive Development Plans and Zoning Plans.

(2) The Government may, by notification, levy a fee to be charged for change of Zone in Regional plan of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Outline Development Plans, Comprehensive Development Plans and Zoning Plans from the notified Zone to other Zone.".

41. Insertion of Section 101A.— After section 101, the following section shall be inserted, namely:-

Rate of processing fees for change of Zone.

"**101A.**The rate of processing fee or fees for change of Zone leviable under section 100A shall be such as may be notified by the Government.".

42. Insertion of Sections 105A and 105B.— After section 105, the following section shall be inserted, namely:-

Power of Authority to borrow money.

"**105A.**An appropriate authority may, from time to time, borrow at such rate of interest and for such period and upon such terms, as the Government may approve any sum of money necessary for the purpose of: -

(a) meeting expenditure debatable to the capital amount;

(b) repaying any loan previously taken under this Act.

Priority of payment for interest and repayment of loan.

"**105B.** All payments due from an appropriate authority for interest on, or for the repayment of loans shall be made in priority to all other payments due from the said authority.".

43. Section 107.— In sub-section (4), omit "and the Board".

44. Section 108.—

(i) omit sub-section (1)

(ii) re-number sub-section (2) as section 108 and omit "and the Board".

45. Section 110.—

(i) in sub-section (1), for "by the Board", substitute "by the Government"

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"The powers of any person officer authorised by General or Special order under sub-section (1) shall extend to the whole of the Union territory, and the powers of any person officer authorised by General or Special order under sub-section (1) shall extend to the planning area within the Jurisdiction of that Authority and such other area which the Government may have directed to be included in a Development Plan."

(iii) in sub-section 3, for "one" substitute "ten".

46. Section 111.—

(i) in sub-clause (iii) clause C of sub-section (1) after "post" insert "or in electronic form".

(ii) in sub-section (4) for "Secretary to the Board or the Board" substitute "Prescribed Authority" and for "Board" appearing third time substitute "Government".

47. Section 112.— For "Secretary to the Board" and "Board" substitute, "Prescribed Authority" wherever it occurs.

48. Section 114.— Omit "the Board and", for "Secretary to the Board or" substitute "Member Secretary of "and for "Board" appearing for fourth time substitute "Government".

49. Section 115.—

(i) in sub-section (1), omit "Regional Plan,"

(ii) in sub-sections (1), (2) and (3), for "Town and Country Planning Board" substitute "Planning and Development Authority" wherever they occur.

50.Section 123.— For "two hundred" the words "ten thousand".

51. Section 124.— Omit "or any officer authorized by the Government".

52. Section 125.— The first word "The" shall be substituted by "Subject to such terms and conditions, if any, as may be prescribed, the"

53. Section 130.— Omit "Board or" and "the Board and of" wherever they occur.

54. Section 140.—

In sub-section 2, —

(i) omit clause (b).

(ii) in clause (c), for "Board" substitute "Prescribed Authority".

(iii) in clause (d) omit "the Board and".

(iv) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ea) the form and manner in which a Development Right Certificate is to be issued and manner in which the development right to be utilized under section 41A;

(eb) the manner in which land and amenity to be transferred by way of accommodation reservation under section 41B;

(ec) the manner in which development right of a property can be withdrawn or severed and allotted to other area by way of transferable development right for posterity under section 41C;"

(v) in clause (g) omit "of the Board, and".

(vi) in clause (u) for" Board" substitute "Prescribed Authority".

(vii) in sub-section 3 for "five hundred" and "twenty-five" substitute "ten thousand" and "one thousand" respectively.

(viii) omit sub-section (4).

55. Section 141.— In sub-section (2), for "one hundred and fifty" substitute "two lakhs" and

after the word "ten" insert "thousand".

9.The Goa, Daman and Diu Housing Board Act, 1968

(12 of 1968)

1. In the principal Act, in the long title, in preamble in the short title, in sub-section (2) of section 1, clauses (d) and (u) of section 2, and sub-section (1) of section 3 for "Goa," wherever it occurs substitute "Dadra and Nagar Haveli and".

2.In sub-section (1) and (2) of section 25, in clauses (a) and (c) of section 105, in marginal heading and in

section 107, in section 111, in section 114, in section 117, in marginal headings and in section 121 and in section 122 for, “Chairman” wherever it occurs substitute, "Secretary".

3. Section 2.—

(i)for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-

“(k) “Government” means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.”

(ii) for clause (l), the following clause shall be substituted, namely:-

“(l) “land” includes open sites and land which is being built upon or is already built upon, benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth; and also include land under sea, creek, river, lake or any other water.”.

(iii) in sub-clause(ii) of clause (p), after “thereof” insert, “and”

(iv) after sub-clause(ii) of clause (p), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(iii) building or a part of building let or intended to be let or occupied separately;”

(v) for clause (t), the following clause shall be substituted, namely:-

“(t) "Secretary" means the Secretary-cum-Managing Director of the Board ".

4. Section 3.— In sub-section (3), for “Land Acquisition Act, 1894, substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013”.

5. Section5.

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"Every member shall hold office during the pleasure of the Government and shall be eligible for re-nomination".

(ii) omit second proviso.

6. Section21.**—**

(i) in sub-section (1), for “twenty-five thousand " substitute, " three lakh”.

(ii) for first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the Board shall not, without the previous approval of the Government, incur any expenditure exceeding ten lakhs of rupees if the funds are linked to any Government Guarantee and one crore of rupees in other cases".

7. Section 53.— In sub-section (2), for “Land Acquisition Act, 1894, substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013” wherever it occurs.

8. Section 68.— Omit proviso.

9. Section 95.— In sub-section (2) —

(i) omit clause (a).

(ii) read clause (b) as sub-section (2).

10. Section 97.— For “fifty”, substitute “five hundred”.

11. Section 98.—

(i) in clause (a), for “hundred” substitute “thousand” and for “fifty”, substitute “five hundred”.

(ii) in clause (b), for “hundred” substitute “thousand” and for “ten”, substitute “one hundred”.

12. Section 99.—

(i) in clause (a), for “hundred” substitute “thousand”.

(ii) in clause (b), for “fifty”, substitute “five hundred”.

13. Section 100.— In clause (b), for ““hundred” substitute “thousand”.

14. Section 101.—

(i) in clause (a), for “hundred” substitute “thousand”.

(ii) in clause (b), for “fifty”, substitute “five hundred”.

15. Section 128.— Omit sub-section (3).

10. The Goa, Daman and Diu Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1975

(13 of 1975)

1. In the principal Act, in the long title, in the short title, in sub-section (2) of section 1, in clauses (5) and (18) of section 2, in sub-section (1) of section 3 and in section 51, for “Goa,” wherever it occurs substitute “Dadra and Nagar Haveli and”.

2. Section 2.—

(i)for clause (7), the following clause shall be substituted, namely:-

“(7). “Government” means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.”

(ii) after clause (8), the following clause shall be inserted, namely:-

“(8a) "higher secondary education" means such general or combinations of general and technical or vocational or special education which is designed to meet the educational needs of students in classes XI and XII;”.

(iii) for clause (11), the following clause shall be substituted , namely:-

“(11) "management" in respect of Government run institution means the Director of Education and in case of other institutions means the trustees or the managing or governing body, by whatever name called, of any Trust or of any Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) under whose management one or more schools or institutions are run;”.

(iv) after clause (17), the following clause shall be inserted, namely:-

“(17A) "State" means the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Damn and Diu;”

3. Section 9.—

(i) in sub-section (1), for “His emoluments and terms and conditions of service shall be such as may be prescribed” substitute, “The eligibility criteria, mode of recruitment and terms and conditions of service for appointment of the Secretary shall be such as may be prescribed”.

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“The minimum qualifications and experience required for the purpose of appointment to the post of Secretary of the Board are that-

(a) (i) he should possess a Second-Class Master's degree or Diploma in Higher Education of a recognised University in Arts, or Science and Bachelor's degree in Education with experience both in teaching and administration of not less than 15 years; and

(ii) he should have held a responsible post not below the rank of Education Inspector or its equivalent under the Directorate of Education of any State Government or Union territory Administration, for not less than five years, or;

(b) a Group Aofficer of the State.

4. Section12.— For Class A, Class B and Class C, substitute—

Class A - (i) The Director of School Education or his nominee not below the rank of a Deputy Director;

(ii) The Director of Sports and Youth Affairs;

(iii) The Director of Arts and Culture;

(iv) The Director of Craftsman Training;

(v) The Director of Technical Education;

(vi) The Director of State Institute of Education; and

(vii) The Director of Higher Education.

Elected Members.—

Class B - (i) Two members one each from Science and Arts faculties to represent the University of Dadra and Nagar and Daman and Diu, to be elected by the Academic Council of the University from amongst its members of whom at least one member shall represent the colleges and until the first such elections are held, persons nominated by the Government from amongst the Principals and teachers of the colleges in the State;

(ii) (a) Three Principals of Higher Secondary Schools, to represent Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu Districts respectively; and

(b) Three representatives from vocational stream of which one each to Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu Districts respectively elected by the teachers of vocational Stream in such schools in the State recognised by the Board from amongst themselves;

(iii) Three Grade I teachers from Higher Secondary Schools to represent Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu Districts respectively, elected by the teachers of such schools in the State recognised by the Board, from amongst themselves;

(iv) Six head masters of secondary schools other than higher secondary schools, one each from each designated area, elected by the head masters of such school in the designated area from amongst themselves;

(v) Six teachers of secondary schools other than higher secondary schools, one each from each designated area, elected by the teachers of such school in the designated area from amongst themselves; and

(vi) Two representatives of the management of Secondary and Higher Secondary schools elected by the managements of such schools in the State recognised by the Board, from amongst themselves;

Nominated Members.—

Class C - six members to be nominated by the Government: -

(i) One representative of visual/performing arts;

(ii) One representative from those who have contributed towards education/rehabilitation of the handicapped;

(iii) One Principal of a secondary teachers' training college from amongst the principals of secondary teachers' training colleges in the State; and

(iv) Two persons, other than the staff of colleges, heads and teachers of Secondary and/or Higher Secondary Schools to be nominated by the Government from amongst reputed educationists of whom one shall be a woman in case no woman member is represented in above classes;

(v) One nominated member to represent vocational education:

5. Insertion of Section17A.— After section 17, the following section shall be inserted, namely:-

Removal of Chairman. "**17A.**The Government may, after inquiry as deemed necessary by a retired judge of the High Court, remove from office the Chairman of the Board, if he/she, -

(a) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or

(b) has been found guilty of any lapse, misconduct, misbehaviour or disgraceful conduct which in the opinion of the Government renders him unfit to be continued as Chairman; or

(c) has been adjudged as undischarged insolvent; or

(d) has been declared physically disabled by any medical authority as the Government may specify in this behalf; or

(e) has been adjudged to be of unsound mind by a competent authority; or

(f) has been acting in any manner detrimental to the aims and objects of the Board."

6. Section 22.— For sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"No person other than those specified in clause (i) and (ii) of sub-section (1) shall be a member of the Executive Council, or continue to be such member, for more than two consecutive terms."

7. Section 23.— In sub-section (1),

(i) in proviso to clause (ix), for "Rs. 1000" substitute, "amount as may be prescribed"

(ii) in clause (xi), for "exceeds Rs.100/- but does not exceed Rs.1000/-", substitute "as may be prescribed"

8. Section 31.— After, "recommendation" insert, "to the Executive Council".

9. Section 40. Omit "in its annual meeting".

10. Insertion of Sections45 A and 45B.— After section 45, the following sections shall be inserted, namely:-

Inspection and Inquiry.

"**45 A.** (1) The Government shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as it may direct, of the Board of the buildings, hostels, laboratories, libraries and equipment of any secondary school or Junior College recognised by the Board of the teaching or other work conducted by any such school or College, and of the conduct of any examination held on behalf of the Board; and to cause an enquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with any Board. The Government shall, in every case, give due notice to the Board concerned of its intention to cause an inspection or enquiry to be made, and the Board shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(2) The Government shall communicate to the Board its views with reference to the results of the inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the Board thereon, advise it on the action to be taken, and fix a time limit for taking such action.

(3) The Board shall report to the Government such action, if any, as it has taken or proposes to take upon the results of the inspection or inquiry. Such reports shall be submitted, with the opinion of the Board thereon, within such time as the Government may direct.

(4) Where the Board does not within the time fixed take action to the satisfaction of the Government, the Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such direction as it may think fit, and the Board shall comply with such directions.

Dissolution or suppression of the Board from certain circumstances.

45B. (1) If in the opinion of the Government, the Board is not competent to perform or is not properly performing, or deliberately makes default in performing, the duties imposed on it by or under this Act or the regulations made thereunder or otherwise by law or exceeds or abuses its powers or is acting or has acted contrary to the provisions of this Act or the regulations made thereunder, or fails to obey any direction issued to it under Section 50, the Government may after giving the Board an opportunity to render an explanation, by an order published, with the reasons therefor, in the *Official Gazette*, dissolve the Board or supersede it for such period not exceeding three years as may be specified in the order; and such period may extend beyond the term for which the members of the Board would have held

office under Section 13, if the Board had not been superseded under this section.

(2) When the Board is dissolved or superseded, the following consequences shall ensue:

(a) all members of the Board shall, in the case of supersession, as from the date of the order of supersession, and in the case of dissolution as from the date specified in the order of dissolution, vacate their offices as such members;

(b) all powers, duties and functions of the Board of its Committees shall, during the period of dissolution or supersession, be exercised and performed by such person or persons as the Government may, from time to time, appoint in that behalf;

(c) all property vested in the Board shall during the period of dissolution or supersession vest in the Government.

(3) After the dissolution of the Board, the Board shall be re-established and reconstituted in the manner provided in this Act on or before such date as may be specified by the Government in the order of dissolution under sub-section (1).

(4) Where the Board is superseded, it shall be re-established and reconstituted in the manner provided in this Act on the expiration of the period of supersession."

11. Section 46.— Omit sub-section (3).

11.A.Bombay Irrigation Act, 1879 (Bombay Act No VII of 1879)

[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].

Repeal as a whole.

11.B The Goa, Daman and Diu Irrigation Act, 1973

(18 of 1973)

1. In the principal Act, in the long title, in preamble, in the short title, in sub-section (2) and proviso of sub-section (3) of section 1 and in clause (7) of section 2, for "Goa," wherever it occurs substitute "Dadra and Nagar Haveli and".

2. Section 2.— In clause (16), after "hundred", insert "or as may be prescribed".

3. Section 6.— In clause (b) for "section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act I of 1894)", substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

4. Section16.—

(i) for "the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act I of 1894)", substitute "the Right to Fair

Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" wherever it occurs.

(ii) omit "section 6 of"; "section 7 of" and "section 17 of".

5. Section 29.— In sub-section (2) for "sections 23 and 24 of Land Acquisition Act, 1894 (Central Act I of 1894)", substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

6. Section 30.— Omit "established under the Goa, Daman and Diu Administrative Tribunal Act, 1965 (6 of 1965)".

7. Section 41.— After, "(9 of 1969)", insert "or Dadra and Nagar Haveli Land regulation, 1971 (2 of 1971), as the case may be".

8. Section 43.— In sub-section (2) After, "(9 of 1969)", insert "or Dadra and Nagar Haveli Land

regulation, 1971 (2 of 1971), as the case may be".

9. Section 50.— Omit "if such tenant is liable to pay the irrigation cess in respect of such land under the provisions of the Goa, Daman and Diu Agricultural Tenancy Act, 1964 (7 of 1964)".

10. Section 53.—

(i) in sub-section (2) and (3), omit "section 124 of" and after, "(9 of 1969)", insert "or Dadra and Nagar Haveli Land regulation,1971 (2 of 1971), as the case may be".

(ii) in sub-section (4), omit "section 123 and 124 of" and after, "(9 of 1969)", insert "or Dadra and Nagar Haveli Land regulation,1971 (2 of 1971), as the case may be".

11. Section 60.— Omit "of the Taluka".

12. Section 66.— Omit "of the Taluka".

13. Section 70.— After, "(9 of 1969)", insert "or Dadra and Nagar Haveli Land regulation, 1971 (2 of 1971), as the case may be".

14. Section 84.— For "one year" substitute, "three years", for "one thousand", substitute "ten thousand", for "two months", substitute "two years", for "five hundred" substitute, "five thousand", for "fifty" substitute, "five hundred" and for "two hundred and fifty" substitute "two thousand five hundred".

15. Section 97.— Omit sub-section (3).

12.A.Bombay Prevention of Gambling Act, 1887 (Bombay Act No 4 of 1887)

[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].

Repeal as a whole.

12.B. The Goa, Daman and Diu Public Gambling Act, 1976

(14 of 1976)

1. In the principal Act, in the long title, in preamble, in the short title and in sub-section (2) of section 1, for "Goa," wherever it occurs substitute "Dadra and Nagar Haveli and".

2. Section 2. For clause (3), the following clause shall be substituted, namely:-

"(3) "Government" means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.".

3. Section 3.

(i) re-number section 3 as sub-section (1).

(ii) in clause (d) for "two", substitute "six" and for "two thousand five hundred", substitute "twenty-five thousand".

(iii) in proviso, —

(a) in clause (i) for, "one month", substitute "three months" and for "two hundred" substitute "two thousand".

(b) in clause (ii) for, "three", substitute "six" and for "three hundred" substitute "three thousand".

(c) in clause (iii) for, "six months", substitute "one year" and for "five hundred" substitute "five thousand".

(iv) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(2) Nothing contained in the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958, or in sub-sections (1), (4), (5) and (6) of section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall apply to any person convicted under this section.".

4. Section4.—

(i) in sub-section (1), for, "one year", substitute "three years" and for "one thousand" substitute "ten thousand".

(iii) in proviso,—

(b) in clause (i) for, "one month", substitute "three months" and for "two hundred" substitute "two thousand".

(c) in clause (ii) for, "three", substitute "six" and for "three hundred" substitute "three thousand".

(d) in clause (iii) for, "six months", substitute "one year" and for "five hundred" substitute "five thousand".

5. Insertion of Section 4A. — After section 4, the following section shall be inserted, namely:-

Cancellation of licence. "**4A.** If any place or vessel where any business or any other activity is being carried on under a licence granted under any law for the time being in force, and such place or vessel is used for the purpose of gaming in contravention of the provisions of this Act and/or the rules made thereunder, then, notwithstanding anything contained in section 3 or in section 4 or in such law, the licencee of such business or other activity may, on conviction, be liable for suspension of such licence for such period as deemed fit or for cancellation of such licence:

Provided that no order under this section shall be passed unless the licencee is given an opportunity of being heard in the matter.".

6. Section 6.— For "three months" substitute, "one year" and for "one" substitute "ten".

7. Section 11. —

(i) in sub-section (2) for "three", substitute "six" and for "two" substitute "twenty".

(ii) for proviso to sub-section (2), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that—

(i) (a) for the first offence under clause (a) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than one month and fine shall not be less than ten thousand rupees;

(b) for the second offence under clause (a) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than two months and fine shall not be less than twenty thousand rupees; and

(c) for the third or subsequent offence under clause (a) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than three months and fine shall not be less than thirty thousand rupees;

(ii) (a) for the first offence under clause (b) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than one month and fine shall not be less than ten thousand rupees;

(b) for the second offence under clause (b) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than two months and fine shall not be less than twenty thousand rupees; and

(c) for the third or subsequent offence under clause (b) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than three months and fine shall not be less than thirty thousand rupees;

(iii) (a) for the first offence under clause (c) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than two month and fine shall not be less than twenty thousand rupees; and

(b) for subsequent offence under clause (c) of sub-section (1) such imprisonment shall not be less than six months and fine shall not be less than thirty thousand rupees:

Provided further that where such gambling consists of wagering or betting or any such transaction as referred to in sub-clause (b) of clause (2) of section 2, such person shall be punishable to the extent specified in section 4 and all moneys found with such persons shall be forfeited."

13. The Indian Stamp (Goa, Daman and Diu Amendment) Act, 1968

(17 of 1968)

1. In the Indian Stamp (Goa, Daman and Diu Amendment) Act, 1968 as in force in the erstwhile Union territory of Goa, Daman and Diu in long title, in preamble, in short title and sub-sections (2) and (3) of section 1, for "Goa," wherever it occurs insert "Dadra and Nagar Haveli and"

2. **Amendment of section 2 of Indian Stamp Act 1899 (II of 1899).**

(herein-after referred to as principal Act). — Section2,-

(i) re-number clause (1) as clause (1A).

(ii) before clause (1A) so renumbered insert, —

"(1) "Association" means any association, exchange, organization or body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of regulating and controlling business of the sale or purchase of, or other transaction relating to, any goods or marketable securities;";

(iii) after clause (7), the following clause shall be inserted, namely:-

"(7A) 'Chief Controlling Revenue Authority" means such Officer as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf for the State;".

(iv) for clause (10), the following clause shall be substituted, namely:-

"(10) "Conveyance" includes, —

(i) a conveyance on sale;

(ii) every instrument;

(iii) every decree or final order of any Civil Court;

(iv) every order made by the High Court under the Companies Act, 2013 in respect of amalgamation or reconstruction of companies; and every order made by the Reserve Bank of India under section 44 A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act 10 of 1949) in respect of amalgamation or reconstruction of Banking Companies, by which property, whether movable or immovable, or any estate or interest in any property is transferred to, or vested in, any other person, inter vivos, and which is not otherwise specifically provided for by Schedule I or by Schedule I-A, as the case may be.

Explanation: — An instrument whereby a co-owner of any property transfers his interest to another co-owner of the property and which is not an instrument of partition, shall, for the purposes of this clause, be deemed to be an instrument by which property is transferred inter vivos;"

(v) after sub-clause (b) of clause (13), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) impression by franking machine;

(d) impression by any such machine as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify.".

(vi) after clause (16A), the following clause shall be inserted, namely:-

"(16B) "market value", in relation to any property which is the subject matter of an instrument, means the price which such property would have fetched if sold in open market on the date of execution of such instrument, or the consideration stated in the instrument, whichever is higher;".

(vii) after clause (26), the following clause shall be inserted, namely:-

"(27)" "State" means Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(28) "State Government" means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution."

3. Insertion of section 3A in principal Act.— After section 3, the following section shall be inserted, namely:-

Instrument of grant "**3A.** (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act

or renewal or transfer of a mining lease chargeable with duty.

and rules made there under, on every instrument of grant, renewal or transfer of a mining lease, the stamp duty chargeable shall be equivalent to the fifteen percent of the amount of royalty that would accrue out of the annual extraction of minerals permitted under the Environmental Clearance issued for such mining lease under the relevant law in force, multiplied by the period of the lease.

Explanation: — For the purposes of this sub-section, the average royalty of the highest grade of minerals from the year of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Forth Order, 2022shall be taken into consideration:

Provided that the duty payable under sub-section (1) shall not exceed the amount in Rupees arrived at by applying a rate of fifteen times annual extraction of mineral permitted under the Environmental Clearance issued for such mining lease under the relevant law in force, multiplied by the period of the lease:

Provided also that in case of a mining lease for bauxite, the duty payable under sub-section (1) shall not exceed the amount in rupees arrived at by applying a rate of one and half times annual extraction of mineral permitted under the Environmental clearance issued for such mining lease under the relevant law in force, multiplied by the period of the lease:

Provided also that in case of a mining lease for manganese, the duty payable under sub-section (1) shall not exceed the amount in rupees arrived at by applying a rate of one hundred and fifty times annual extraction of mineral permitted under the Environmental clearance issued for such mining lease under the relevant law in force, multiplied by the period of the lease:

Provided also that in case of a mining lease for more than one mineral and having Environmental clearance thereof the duty payable shall be computed by taking into account total stamp duty payable on each of such minerals:

Provided also that in case any mining lease is required to surrender the Lease or permanently abstain from undertaking any mineral excavation by or for reasons of any operation of Law, court orders passed or any notification issued generally under any Law for the time being in force and reasons or cause of such prohibition or restriction is not in any manner attributable to such lessee or mining operation undertaken and carried out by the lessee or his agents, servants, employees or persons claiming through or under such lessee, to the extent of such balance period of lease outstanding and unexpired the lessee shall be granted refund of duty paid under sub-section (1) hereinabove.

(2) The duty chargeable under this section shall be paid in any Government treasury or Government sub-treasury in such manner as may be prescribed.

(3) Where an application for renewal of a mining lease has been already made to the State Government prior to the expiry of the lease but renewal of the lease has not been granted by the State Government or the mining lease whose period is deemed to have been extended as per provisions contained in the relevant law in force by a further period till the State Government passes an order thereon, the stamp duty payable under sub-section (1) shall be paid by the applicant within a period of sixty days from the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws, State Laws and Presidential Regulations) Forth Order, 2022 or within sixty days of issue of notice for executing the lease whichever is later, in the manner stated in sub-section (2) above.

(4) If the application for grant, renewal or transfer of mining lease is rejected by the State Government then the applicant shall be entitled for refund of full stamp duty paid by him without interest. In case of a mining lease whose period is deemed to have been extended by a further period till the State Government passes an order thereon and the State Government at a later date passes an order rejecting

the renewal of the lease, the applicant shall be entitled for refund of such amount of stamp duty as arrived at by deducting from the total amount of stamp duty paid, the stamp duty chargeable in respect of such mining lease till the date of such rejection order: Provided that no such refund shall be made if the order rejecting the application is challenged or the time limit for presenting an application for revision of the order of rejection is not expired.".

4. Insertion of new section 9A in principal Act. — After section 9, the following section shall be inserted, namely:-

Power of State Government to consolidate duties in respect of receipts

"**9A.** The State Government may, by order published in the Official Gazette, provide for the consolidation of duties in respect of any receipts or class of receipts given by any person (including any Government), subject to such conditions as may be specified in the order.".

5. Amendment of section 10 of principal Act. — In Section 10, after sub-section (2), the following section shall be inserted, namely:-

"(2A) The Chief Controlling Revenue Authority may subject to such conditions as he may deem fit to impose, authorise use of franking machine or any other machine specified under sub-clause (d) of clause (13) of section 2, for making impressions on instruments chargeable with duties to indicate payment of duties payable on such instruments.

(2B) (a) Where the Chief Controlling Revenue Authority is satisfied that having regard to the extent of instruments executed and the duty chargeable thereon, it is necessary in public interest to authorise any person, body or organization to such use of franking machine or any other machine, he may, by order in writing, authorise such person, body or organisation.

(b) Every such authorisation shall be subject to such conditions, if any, as the Chief Controlling Revenue Authority may, by any general or special order, specify in this behalf.

(2C) The procedure to regulate the use of franking machine or any other machine as so authorised shall be such as the Chief Controlling Revenue Authority may, by order, determine.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the Government, in relation to any area in the State, is satisfied that on account of temporary shortage of stamps in any area in the State, duty chargeable cannot be paid and payment of duty cannot be indicated on instruments by means of stamps, the Government, may, by notification in the Official Gazette, direct that, in such area and for such period as may be specified in such notification, the duty may be paid in cash or by demand draft or by pay order in any Government treasury or Government sub-treasury or any other place as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf and the receipt or challan therefor shall be given by the Officer in charge thereof. Such receipt or challan shall be presented to the Chief Controlling Revenue Authority who shall, after due verification that the duty has been paid in cash or by demand draft or by pay order, make an endorsement to that effect on the instrument to the following effect, after cancelling such receipt or challan so that it cannot be used again, namely: —

"Stamp duty of Rs. ……. paid in cash or by demand draft or by pay order vide Receipt/Challan No. ……. dated the …….

Signature of the Chief

Controlling Revenue Authority

Provided that the period to be specified in the notification shall not exceed a period of three months.

Explanation:— For the purposes of this sub-section, the expressions "demand draft" and "pay order" mean the demand draft or pay order issued by the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955, or, a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or, under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, or, any other bank being a Scheduled Bank as defined in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(4) An impression made under sub-section (2A), (2B) and (2C), or, as the case may be, an endorsement made under sub-section (3), or any instrument, shall have the same effect as if duty of an amount equal to the amount indicated in the impression or, as the case may be, stated in the endorsement has been paid in respect of, and such payment has been indicated on such instrument by means of stamps, under sub-section (1).".

6. Insertion of new section 10A in principal Act . — After section 10, the following section shall be inserted, namely:-

Stock exchange etc., to deduct stamp duty from trading member's account.

"**10A.** Notwithstanding anything contained in this Act, in case of transactions through stock exchange or an association as defined in clause (a) of section 2 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (Central Act 74 of 1952), the stock exchange or, as the case may be, an association, shall collect the due stamp duty by deducting the same from the trading member's account at the time of settlement of such transactions. The stamp duty so collected shall be transferred to the Government Treasury or Sub-Treasury in the manner specified by the Chief Controlling Revenue Authority.

Explanation: — For the purpose of this section, "stock exchange" means the stock exchange as defined in clause (j) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Central Act 42 of 1956).".

7. Amendment of section 32 of principal Act. — **In Section 32,—** in clause (d) of sub-section (3), for Union territory, substitute "State of clause 27 State or Union Territory.

8. Substitution of section 47A in principal Act, for **section** 47A, the following section shall be substituted, namely:-

"47A. Instruments of conveyance, etc. undervalued how to be dealt with. —

(1) If the registering officer appointed under the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) while registering any instrument of "conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment has reason to believe that the market value of the property which is the subject matter of "conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment has not been truly set forth in the instrument, he may, after registering such instrument, refer the same to the Collector for determination of the market value of such property and the proper duty payable thereon.

(2) On receipt of a reference under sub-section (1) the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in such manner as may be prescribed by rules made under this Act, determine the market value of the property which is the subject matter of "conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment and the duty as aforesaid, and, thereupon, the difference, if any, in the amount of duty, shall be payable by the person liable to pay the duty.

(3) The Collector may on his own motion or otherwise, within two years from the date of registration of any instrument of conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment not already referred to him under sub-section (1), call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of the market value of the property as set forth in such instrument, which is the subject matter of "conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment and the duty payable thereon and if after such examination he has reason to believe that the market value of such property has not been truly set forth in the instrument, he may determine the market value of such property and the duty as aforesaid in accordance with the procedure provided for in sub-section (2) and, thereupon, the difference, if any, in the amount of duty, shall be payable by the person liable to pay the duty:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any instrument registered before the date of the commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022.

"Provided that nothing in this sub- -section shall apply to any instrument of certificate of sale,

deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment registered before the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022.

(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or sub-section (3), may appeal to the Civil Judge, Senior Division and all such appeals shall be preferred within such time, and shall be heard and disposed of in such manner, as may be prescribed by rules made under this Act.

Explanation: — For the purposes of this Act, market value of any property shall be estimated to be the price which in the opinion of the Collector or the Civil Judge, Senior Division, as the case may be, such property would have fetched or would fetch, if sold in the open market on the date of execution of the instrument of conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment."

9. Amendment of section 57 of principal Act. — In section 57, —

(i) in clause (f) of sub-section (1), after "Haveli", insert "and Daman and Diu".

(ii) omit clause (g).

10. Amendment of section 76 of principal Act. —

In Section 76, — Omit sub-section (3).

11. Substitution of schedule IA in principal Act.—

"Schedule IA

Description of Instrument (1)		Proper stamp duty (2)
1.	ACKNOWLEDGEMENT OF A DEBT exceeding Rs. 5,000/- in amount or value, written or signed by or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a Banker's pass book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession: Provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property; where the amount or value of such debt—	
	(a) exceeds Rs. 5,000/- but does not exceed Rs. 10,000/-;	Rs. 20/-
	(b) exceeds Rs. 10,000/- but is less than Rs. 10,00,000/-; and	Rs. 50/-
	(c) is Rs. 10,00,000/- and above.	Rs. 100/-
2.	ADMINISTRATION BOND, including a bond given under the Indian Succession Act, 1925, or section 6 of the Government Savings Banks Act, 1873-	
	(a) where the amount does not exceed Rs. 2,000/-;	Rs. 200/-
	(b) in any other case.	Rs. 500/-
3.	ADOPTION DEED that is to say, any instrument (other than a Will) recording an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt.	Rs. 1,000/-
4.	AFFIDAVIT, including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing. **Exemptions.—** Affidavit or declaration in writing when made— (a) as a condition of enrolment in the Armed Forces of the	Rs. 100/-

	Union; (b) for the immediate purpose of being filed or used in any Court or before the officer of any Court; or (c) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.	
5.	AGREEMENT OR MEMORANDUM OF AGREEMENT—	
	(a) if relating to the sale of a bill of exchange;	Rs. 100/-
	(b) if relating to the purchase or sale of Government security or share in an incorporated company or other body corporate;	2% of value of the security or share.
	(c) if relating to an agreement for the sale of an immovable property;	2.9% of the market value of the immovable property, subject to a minimum of Rs. 100/- and rounded up to the nearest hundred in its multiples thereof
	(d) if relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, development of or, sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immoveable property;	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (b), or (c), as the case may be, of Article 22, on the market value of the property; Provided that, if the proper stamp duty is paid under clause (g) of article 49 on a power of attorney executed between the same parties in respect of the same property then, the stamp duty under this article shall be Rs. 500/-.
	(e) if not otherwise provided for.	Rs. 1,000/-
	Exemptions.— Agreement or memorandum of agreement— (a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively not being a NOTE or MEMORANDUM chargeable under No. 43; (b) made in the form of tenders to the Central Government for or relating to any loan.	
	Agreement to Lease See Lease (No. 33)	
6.	DEPOSIT OF THE TITLE DEEDS, PAWN, PLEDGE OR HYPOTHECATION, that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to—	
	(1) The deposit of the title deeds or instrument constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security), where such deposit has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt —	
	(a) if the amount secured by such deed does not exceed Rs. 5,00,000/-;	0.1 % of the amount secured by such deed subject to the minimum of Rs. 100/-.
	(b) in any other case.	0.2 % of the amount secured by such deed subject to the maximum of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs).
	(2) The pawn, pledge or hypothecation of movable property, where such pawn, pledge or hypothecation has been made by	

	way of security for their repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt —	
	(a) if the amount secured by such deed does not exceed Rs. 5,00,000/-;	0.1 % of the amount secured by such deed subject to the minimum of Rs. 100/-.
	(b) in any other case.	0.2 % of the amount secured by such deed subject to the maximum of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs).
	Explanation I—For the purposes of clause (1) of this Article, notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court or order of any authority, any letter, note, memorandum or writing relating to the deposit of title deeds whether written or made either before or at the time when or after the deposit of title deeds is effected, and whether it is in respect of the security for the first loan or any additional loan or loans taken subsequently, such letter, note, memorandum or writing shall, in the absence of any separate agreement or memorandum of agreement relating to deposit of such title deeds, be deemed to be an instrument evidencing an agreement relating to the deposit of title deeds. Explanation II —For the purposes of this Article, any new instrument executed for additional loan or extension of previous loan shall be treated as a fresh instrument and chargeable with the duty to the extent of additional amount being secured or disbursed or sanctioned. **Exemption-** Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.	
7.	APPOINTMENT IN EXECUTION OF A POWER, whether of trustees or of property, movable or immovable, where made by any writing not being a will.	Rs. 1,000/-
8.	APPRAISEMENT OR VALUATION made otherwise than under the order of the Court in the course of a suit, **Exemptions.—** (a) Appraisement or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between the parties either by agreement or operation of law. (b) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.	Rs. 300/-
9.	APPRENTICESHIP DEED, including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being ARTICLES OF CLERKSHIP (No. 11). **Exemptions.—** Instrument of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1961 or by which a person is apprenticed by, or at the charge of any public charity.	Rs. 300/-
10.	ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY when the Company has no share capital or nominal share capital or increased share capital. **Exemption** —	0.5% on share or increased share capital, as the case may be subject to a maximum of Rs. 50,00,000/-.

	Articles of any Association not formed for profit and registered under section 8 of the Companies Act, 2013.	
	See also Memorandum of Association of a Company (Article 39)	
11.	ARTICLES OF CLERKSHIP or contract whereby any person first becomes bound to serve as a clerk in order to his admission as an attorney in any High Court.	Rs. 300/-
	ASSIGNMENT. See CONVEYANCE (No. 22), TRANSFER (No. 64), TRANSFER OF LEASE (No. 65), as the case may be.	
	ATTORNEY. See Power of Attorney (No. 49).	
	AUTHORITY TO ADOPT, See ADOPTION DEED (No. 3)	
12.	AWARD, that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit.	Rs. 500/-
13.	BILL OF EXCHANGE, as defined by section 2(2) not being a Bond, bank-note or currency-note.	See Schedule- I
14.	BILL OF LADING (including a through bill of lading).	See Schedule- I
15.	BOND not being a debenture and not being otherwise provided for any provisions of this Act (whether or not such provisions relate to any particular types of Bonds), or by the Court Fees Act, 1870 (Act VII of 1870). **Exemption** — Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions or a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.	1 % of amount of Bond, subject to a minimum of Rs. 500/-
16.	BOTTOMRY BOND, that is to say, any instrument whereby the master of a seagoing ship borrows money on the security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.	1 % of amount of Bond, subject to a minimum of Rs. 500/-
17.	CANCELLATION— Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for.	Rs. 500/-
	See also Release (No. 57), Revocation of Settlement (No. 60.B), Surrender of Lease (No. 63), Revocation of Trust (No. 66B).	
18.	CERTIFICATE OF SALE (in respect of each property put up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue officer or any other officer empowered by law to sell property by public auction.	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (a), (b), or (c) as the case may be, of Article 22 on the market value of the property.
19.	CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT, evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares, scrip or stock in or any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of charges, scrip or stock in or of any such company or body.	0.1% of the value of the shares, scrip or stock.

20.	CHARTER-PARTY, that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug steamer), whereby a vessel or some specified principal part thereof is left for the specified purposes of charter, whether it includes a penalty clauses or not.	Rs. 500/-
21.	COMPOSITION-DEED, that is to say, any instrument executed by debtor except an agreement, whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors or under letters of licence, for the benefit of his creditors—	Rs. 500/-
22.	CONVEYANCE (not being a transfer charged or exempted under Article 64)—	
	On the true market value of the property, which is the subject matter of Conveyance—	
	(a) if relating to movable property	3 % of the market value of the property.
	(b) if relating to immovable property situated —	
	(i) within the limits of any Municipal Council or Nagar Panchayat;	5 % of the market value of the property.
	(ii) within the limits of any Gram panchayat area or any such area not mentioned in sub-clause (i);	3 % of the market value of the property.
	(c) if relating to both moveable and immoveable property;	The same duty as is payable under clauses (a) and (b).
	(d) so far as it relates to the scheme, for reconstruction of the company or companies involving merger or the amalgamation of any two or more companies by an order of the National Company Law Tribunal under section 232 of the Companies Act, 2013 or for amalgamation or dissolution of Banking Companies by an order of the Reserve Bank of India under section 44A of the Banking Regulation Act, 1949.	10 % of the aggregate of the market value of the shares issued or allotted in exchange or otherwise and the amount of consideration paid for such amalgamation: Provided that, the amount of duty chargeable under this clause shall not exceed— (i) an amount equal to 5 % of the true market value Provided that, the amount of duty chargeable under this clause shall not exceed— (i) an amount equal to 5 % of the true market value of the immovable property located within the Union territory of the transferor company; or (ii) an amount equal to 5 % of the aggregate of the market value of the shares issued or allotted in exchange or otherwise and the amount of consideration paid, for such amalgamation, whichever is higher: Provided further that, in case of

		reconstruction or demerger the duty chargeable shall not exceed — (i) an amount equal to 5% of the true market value of the immovable property located within the Union territory transferred by the Demerging Company to the Resulting Company; or (ii) an amount equal to 0.7 % of the aggregate of the market value of the shares issued or allotted to the Resulting Company and the amount of consideration paid for such demerger, whichever is higher.
	Exemption— Assignment of copyright under the Copyright Act, 1957. Explanation I — For the purposes of this article, where in the case of agreement to sell an immoveable property, the possession of any immoveable property is transferred or agreed to be transferred to the purchaser before the execution, or at the time of execution, or after the execution of, such agreement then such agreement to sell shall be deemed to be a conveyance and stamp duty thereon shall be leviable accordingly: Provided further that, where subsequently a conveyance is executed in pursuance of such agreement of sale, the stamp duty, if any already paid and recovered on the agreement of sale which is deemed to be a conveyance, shall be adjusted towards the total duty leviable on the conveyance: Provided also that, where proper stamp duty is paid on a registered agreement to sell an immovable property, treating it as a deemed conveyance and subsequently a conveyance deed is executed without any modification then such a conveyance shall be treated as other instrument under section 4 and the duty of one hundred rupees shall be charged. **Explanation II**— (i) For the purposes of clause (d), the market value of shares— (a) in relation to the transferee company, whose shares are listed and quoted for trading on a stock exchange, means the market value of shares as on the appointed day mentioned in the scheme of amalgamation or when appointed day is not so fixed, the date of order of the National Company Law Tribunal or, the order of the Reserve Bank of India. (b) in relation to the transferee company, whose shares are not listed/ or listed but not quoted for trading on a stock exchange, means the market value of the share issued or allotted with reference to the market value of the shares of the transferor company. (c) Where the transferee company and transferor company, whose shares are not list or listed but not quoted for trading on stock exchange means the face value of the share issued or allotted with reference to the face value of share of the transferee company.	

23.	COPY OR EXTRACT, certified to be a true copy or extract by or by order of any public officer under section 76 of the Indian Evidence Act, 1872, and not chargeable under the law for the time being in force relating to court-fees. **Exemption** — (a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for a public purpose. (b) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, naming, dedications, marriages, divorces, deaths or burials. (c) Copy of any instrument the original of which is not chargeable to duty.	Rs. 10/-
24.	COUNTERPART OR DUPLICATE of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid.	The same duty as is payable on the original subject to a maximum of Rs. 100/-
25.	CUSTOMS BOND OR EXCISE BOND, that is to say, any bond given pursuant to the provisions of any law for the time being in force or to the directions of any officer of Custom or Excise for, or in respect of, any of the duties of Customs or Excise or for preventing frauds or evasions thereof or for any other matter or thing relating thereto.	Rs. 500/-
26.	Debenture	See Schedule -I
27.	DELIVERY ORDER IN RESPECT OF GOODS, that is to say, any instrument entitling any person therein named, or his assigns or the holder thereof, to the delivery of any goods lying in any dock or port, or in any warehouse in which goods are stored or deposited on rent or hire, or upon any wharf, such instrument being signed by or on behalf of the owner of such goods upon the sale on transfer of the property therein, when such goods exceed in value Rs. 200/-.	Rs. 10/-
	DEPOSIT OF TITLE-DEED, see Agreement relating to deposit of Title Deeds, Pawn or Pledge (No. 6).	
	DISSOLUTION OF PARTNERSHIP, see Partnership (No. 47).	
28.	DIVORCE— Instrument of, that is to say any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage.	Rs. 300/-
29.	EXCHANGE OF PROPERTY— instrument of— **Explanation** — For the purposes of this article, notwithstanding anything contained hereinabove, the highest duty on either of the property exchanged shall be chargeable.	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (a), (b) or (c), as the case may be, of Article 22, on the market value of the property of the greatest value.
30.	FURTHER CHARGE— Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property—	
	(a) when the original mortgage is one of the description referred to in clause (a) of Article 40 (that is, with possession)	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (a), (b), or (c), as the case may be, of Article 22, for the amount of the further charge secured by such instrument.

	(b) when such mortgage is one of the description referred to clause (b) of Article 40 (that is, without possession)—	
	(i) if at the time of execution of the instrument of further charge possession of the property is given under such instrument.	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (a), (b) or (c), as the case may be, of Article 22, for the total amount of the charge (including the original mortgage and any further charge already made) less the duty already paid on such original mortgage and further charge.
	(ii) if possession is not so given.	0.5% of the amount of further charge secured by such instrument subject to minimum of the Rs. 100/- and the maximum of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs).
31.	GIFT— Instrument of not being a Settlement (No. 60) or Will or Transfer (No. 64).	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (a), (b), or (c) as the case may be, of Article 22, on the market value of the property which is the subject matter of the gift: Provided that, if the property is gifted to a family member being the husband, wife, brother or sister of the donor or any lineal ascendant or descendant of the donor, then the amount of duty chargeable shall be at the rate of 3 % on the market value of the property which is the subject matter of the gift. Provided further that, if residential and agricultural property is gifted to husband, wife, son, daughter, grandson, granddaughter, wife of deceased son, the amount of duty chargeable shall be Rs. 200/-.
	HIRING AGREEMENT or agreement for service. See Agreement (No. 5).	
32.	INDEMNITY BOND	The same duty as a Security Bond (No. 59) for the same amount.
	INSPECTORSHIP DEED— See Composition Deed (No. 21).	
	INSURANCE— See Policy of Insurance (No. 48).	
33.	LEASE, including under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease— Where such lease purports to be—	
	(ii) for a period not exceeding 5 years;	The same duty as is leviable on a conveyance under clause (a), (b) or (c), as the case may be, of article 22, on 10 % of the market value of the property.

	(iii) for a period exceeding 5 years but not exceeding 10 years, with a renewal clause contingent or otherwise;	The same duty as is leviable on a conveyance under clause (a), (b) or (c), as the case may be, of article 22, on 25 % of the market value of the property
	(iv) for a period exceeding 10 years but not exceeding 29 years with a renewal clause contingent or otherwise;	The same duty as is leviable on a conveyance under clause (a), (b) or (c), as the case may be, of article 22, on 50 % of the market value of the property
	(v) for a period exceeding twenty-nine years or in perpetuity, or does not purport for any definite period, or for lease for a period exceeding twenty-nine years, with a renewal clause contingent or otherwise.	The same duty as is leviable on a conveyance under clause (a), (b) or (c), as the case may be, of article 22, on 90 % of the market value of the property
	Explanation I —Any consideration in the form of premium or money advanced or to be advanced or security deposit by whatever name called shall, for the purpose of market value, be treated as consideration passed on. **Explanation II** —The renewal period, if specifically mentioned, shall be treated as part of the present lease.	
34.	LEAVE and LICENSE AGREEMENT –	
	(a) where the leave and agreement purports to be for a term not exceeding sixty months with or without renewal clause.	0.25 % of the total sum of, — (i) the licence fees or rent payable under the agreement; plus (ii) the amount of non-refundable deposit or money advanced or to be advanced or premium, by whatever name called; plus (iii) the interest calculated at the rate of 10 % per annum on the refundable security deposit or money advanced or to be advanced, by whatever name called.
	(b) where such leave and licence agreement purports to be for a period exceeding sixty months with or without renewal clause.	Same day as is leviable on lease under clause (ii), (iii) or (iv) above, as the case may be, of article 33.
35.	LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES, in any company or proposed company, or in respect of any loan to be raised by any company or proposed company.	Rs. 10/-
	See also Certificate or other Document (No. 19).	
36.	Letter of Credit	See Schedule – I
37.	LETTER OF GUARANTEE	See Agreement (No. 5)
38.	LETTER OF LICENCE, that is to say, any agreement between a debtor and his creditors, that the letter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.	Rs. 100/-
39.	MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY—	
	(a) if accompanied by articles of association under section 10 of the Companies Act, 2013;	Rs. 1,000/-

	(b) if not so accompanied.	0.2% according to the share capital of the company, subject to minimum of Rs. 1,000/- and maximum of Rs. 50,00,000/-. (Rupees Fifty Lakhs)
	Exemption— Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 8 of the Companies Act, 2013.	
40.	MORTGAGE-DEED, not being an agreement relating to Deposit of Title Deeds, Pawn or Pledge or Hypothecation (Article 6), Bottomry Bond (Article 16), Mortgage of a Crop (Article 41), Respondentia Bond (Article 58), or Security Bond of Mortgage Deed (Article 59)—	
	(a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given;	The same duty as is leviable on a conveyance under clause (a), (b) (or) (c), as the case may be, of Article 22, for the amount secured by such deed.
	(b) when possession is not given or agreed to be given as aforesaid.	0.5 % of the amount secured by such deed, subject to minimum of Rs. 1,000/- and maximum of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs).
	Explanation I —A mortgagor who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents, or a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this article. Explanation II —Where in the case of an agreement to mortgage the amount or part thereof sought to be secured by such an agreement is advanced or disbursed to the mortgagor without execution of a mortgage-deed, then such an agreement to mortgage shall, notwithstanding anything contained in clause (6) of section 2, become chargeable under this Article as mortgage-deed on the date of making of such advance or disbursement either in part or in whole.	
	(c) when a collateral or auxiliary or additional or substituted security, or by way of further assurance for the above-mentioned purpose where the principal or primary security is duly stamped. Explanation. —For the purpose of this clause, "the principal or primary security" shall mean, the security created under clause (a) or (b) above.	Rs. 500/-
	Exemptions— (1) Instruments executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists' Loans Act, 1884 or by their sureties as security for the repayments of such advances. (2) Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.	
41.	MORTGAGE OF A CROP, including any instruments evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage-	

	(a) when the loan is repayable not more than three months from the date of the instrument—	
	for every sum secured not exceeding Rs. 200/-;	Re 1/-
	and for every Rs. 200/- or part thereof secured in excess of Rs. 200/-.	Re 1/-
	(b) when the loan is repayable more than three months, but more than eighteen months, from the date of the instrument—	
	for every sum secured not exceeding Rs. 100/-;	Re 1/-
	and for every Rs. 100/- or part thereof secured in excess of Rs. 100/-.	Re 1/-
42	NOTARIAL ACT, that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation, certificate of entry not being a Protest (No. 51) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public.	Rs. 50/-
	See also Protest of Bill or Note (No. 51).	
43.	NOTE OF MEMORANDUM, sent by a Broker Agent to his Principal intimating the purchase or sale on account of such Principal—	
	(a) of any goods, exceeding in value Rs. 20/-;	Re 1/-
	(b) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees.	Subject to a maximum of fifty rupees, Re 1/- for every Rs. 10,000/- or part thereof of the value of the stock or security.
44.	NOTE OF PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP	Rs. 300/-
	See also Protest by the Master of a Ship (No. 52).	
45.	ORDER FOR THE PAYMENT OF MONEY	See Bill of Exchange (No. 13).
46.	PARTITION—Instrument of as defined by section 2 (15).	2% of the amount or the market value of the separated share or shares of the property. Note. —The largest share remaining after the property is partitioned (or, if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other shares, then one of such equal shares) shall be deemed to be that from which the other shares are separated. Provided always that — (a) when an instrument of partition containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument but shall not be less

		than five rupees; (b) where the instrument relates to the partition of agricultural land, the rate of duty applicable shall be Rs. 100/-; (c) where a final order for effecting a partition passed by any Revenue authority or any Civil Court or an award by an arbitrator directing a partition, is stamped with the stamp required for an instrument of partition, and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed Rs. 10/-.
47.	PARTNERSHIP—	
	(1) Instrument of any partnership inclusive of, Limited Liability Partnership and Joint Venture to run a business, earn profits and to share profits, whether in cash or in kind—	
	(a) where there is no share of contribution in partnership, or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/-;	Rs. 500/-
	(b) where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-;	1% of the amount of share contribution subject to maximum of Rs. 15,000/-.
	(c) where such share contribution is brought in by way of property, excluding cash;	The same duty as is leviable on a conveyance under clause (a), (b) or (c), as the case may be, of Article 22, on the market value of such property.
	(2) Dissolution of partnership or retirement of partner inclusive of, Limited Liability Partnership and Joint Venture to run a business, earn profits and to share profits, whether in cash or in kind—	
	(a) where on dissolution of the partnership or on retirement of a partner any property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership.	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (a), (b) or (c), as the case may be, of Article 22, on the market value of such property, subject to a minimum of Rs. 100/-.
	(b) in any other case.	Rs. 500/-
48.	POLICY OF INSURANCE	See Schedule- I
49.	POWER OF ATTORNEY not being a Proxy—	
	(a) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents;	Rs. 500/-
	(b) when required in suits or proceedings under the Presidency Small Cause Courts Act, 1882;	Rs. 500/-
	(c) when authorising one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in clause (a);	Rs. 500/-
	(d) when authorising one person to act in more than one	Rs. 500/-

	transaction or generally;	
	(e) when authorising more than one person to act in single transaction or more than one transaction jointly or severally or generally;	Rs. 500/-
	(f) (i) when given for consideration and authorising to sell an immoveable property;	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (a), (b), or (c), as the case may be, of Article 22, on the market value of the property.
	(ii) when authorising to sell or transfer immoveable property without consideration or without showing any consideration, as the case may be —	
	(a) if given to the father, mother, brother, sister, wife, husband, daughter, son, grandson, granddaughter or father, mother, brother or sister of the spouse; and	Rs. 500/-
	(b) in any other case;	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (b), or (c), as the case may be, of Article 22, on the market value of the property.
	(g) when given to a promoter or developer by whatever name called, for construction on, development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immoveable property.	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (b), or (c), as the case may be, of Article 22, on the market value of the property: Provided that, when proper stamp duty is paid under clause (d) of article 5 on an agreement, or records thereof or memorandum of an agreement executed between the same parties and in respect of the same property, the duty chargeable under this clause shall be Rs. 100/-.
	(h) in any other case.	Rs. 500/-
	Explanation I — For the purpose of this article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person. Explanation II —The term 'registration' includes every operation incidental to registration under the Registration Act, 1908. Explanation III —Where under clause (f), duty has been paid on the power of attorney, and the conveyance relating to that property is executed in pursuance of power of attorney between the executant of the power of attorney and the person in whose favour it is executed, the duty on conveyance shall be the duty calculated on the market value of the property reduced by duty paid on the power of attorney.	
50.	PROMISSORY NOTE	See Schedule- I
51.	PROTEST OF BILL OR NOTE, that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public bill or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a Bill of Exchange or Promissory Note.	Rs. 300/-
52.	PROTEST BY THE MASTER OF SHIP, that is to say, any	Rs. 300/-

	declaration of the particulars of her voyage drawn up by him with a view to the adjustment of losses or the calculation of averages, and every declaration in writing made by him against the charterers or the consignors for not loading or unloading the ship, when such declaration is attested or certified by a Notary Public or other person lawfully acting as such.	
53.	PROXY	See Schedule – I
54.	RECEIPTS	See Schedule- I
55.	RECONVEYANCE OF MORTGAGE PROPERTY	Rs. 500/-
56.	RECORD OF TRANSACTION (Electronics or otherwise) effected by a trading member through a stock exchange or the association referred to in section 10A-	
	(a) if relating to sale or purchase of Government securities	0.005 % of the value of security.
	(b) if relating to purchase or sale of securities, other than those falling under item (a) above-	
	(i) in case of delivery (ii) in case of non-delivery	0.005 % of the value of security. 0.005 % of the value of security.
	(c) if relating to futures and options trading	0.005 % of the futures and options trading.
	(d) if relating to forward contracts of commodities traded through an association or otherwise	0.005% of the value of the forward contract.
	Explanation I— For the purpose of clause (b), "securities" means the securities as defined in clause (h) of section 2 of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (Central Act 42 of 1956).	
57.	RELEASE, that is to say, any instrument (not being an instrument as is provided by section 23A) whereby a person renounces a claim upon other person or against any specified property-	
	(a) if the release deed of an ancestral property or part thereof is executed by or in favour of brother or sister (children of renouncer's parents) or son or daughter or son of pre-deceased son or daughter of pre-deceased son or father or mother or spouse of the renouncer or the legal heirs of the above relations;	Rs. 1,000/-
	(b) in any other case.	The same duty as is leviable on a conveyance under clause (a) or (b), as the case may be, of Article 22, on the market value of the share, interest, part or claim renounced.
58.	RESPONDENTIA BOND, that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination.	1 % of the amount of the loan secured, subject to a minimum of Rs. 500/-.
	REVOCATION OF ANY TRUST OR SETTLEMENT See Settlement (Article 60), Trust (Article 66).	
59.	SECURITY BOND OR MORTGAGE DEED, where such security bond or mortgage deed is executed by way of	0.5% for the amount secured by such deed subject to the

	security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof, or by a surety to secure the due performance of a contract, or in pursuance of an order of the court or a public officer, not being otherwise provided for by the Court Fees Act, 1870 (Act VII of 1870). **Exemptions** Bond or other instrument, when executed, — (a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem; (b) by person taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1882, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advances; (c) by officers of the Government or their sureties to secure the due execution of an office or due accounting for money or other property received by virtue thereof.	maximum of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) Provided that, where on an instrument executed by a person for whom a person stands surety and executes security bond or a mortgage deed, duty has been paid under article 40, then the duty payable shall be Rs. 100/-.
60.	SETTLEMENT—	
	A. Instrument of— including a deed of dower—	
	(i) where the settlement is made for a religious or charitable purpose.	2% of a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled.
	(ii) in any other case.	The same duty as is leviable on a Conveyance under clause (a), (b), or (c), as the case may be, of Article 22, for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled: Provided that, where an agreement to settle is stamped with the stamp required for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed Rs. 10/-: Provided further that, where an instrument of settlement contains any provision for the revocation of the settlement, the amount or the value of the property settled shall, for the purposes of duty, be determined, as if no such provisions were contained in the instrument.
	Exemption— Deed of dower executed on the occasion of, or in connection with, marriage between Muhammadans, whether executed before or after the marriage.	
	B. Revocation of—	
	(i) in respect of settlement described in sub-clause (i) of	Rs. 500/-

	clause A.	
	(ii) in respect of settlement described in sub-clause (ii) of clause A.	Rs. 500/-
61.	SHARE WARRANTS to bearer issued under the Companies Act, 1956 **Exemptions**- Share warrant when issued by a Company in pursuance of the Company's Act, 1956, section 114, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of Stamp Revenue of— (a) One-and-a-half per centum of the whole subscribed capital of the company; or (b) if any company which has paid the said duty or composition in full subsequently issues an addition to its subscribed capital, one-and-a-half per centum of the additional capital so issued.	Rs. 5/- for every Rs. 500/- or part thereof
	SCRIP. See Certificate (No. 18).	
62.	SHIPPING ORDER for or relating to the conveyance of goods on board of any vessel.	Rs. 100/-
63.	SURRENDER OF LEASE including an agreement for surrender of lease-	
	(a) without any consideration;	Rs. 1,000/-
	(b) with consideration	The same duty as is leviable under clause (a), (b), or (c), of Article 22 on the amount of consideration.
	Explanation — For the purposes of this Article, return of money paid as advance, on security deposit by lessee to the lessor shall not be treated as consideration for the surrender.	
64.	TRANSFER (whether with or without consideration).	
	(a) of debentures, being marketable securities whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8 of the Indian Stamp Act, 1899.	0.5% of the consideration amount of the debenture
	Explanation — For the purposes of this clause, the term 'debenture' includes debenture stock	
	(b) of any interest secured by bond, mortgage-deed or policy of insurance;	Rs. 500/-
	(c) of any property under section 22 of the Administrator's General Act, 1963;	Rs. 500/-
	(d) of any trust property without consideration from one trustee to another trustee, or from a trustee to a beneficiary.	Rs. 500/-
	Exemptions— Transfers by endorsement— (a) of a bill of exchange, cheque or promissory note; (b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods or other mercantile document or title to goods; (c) of a policy of insurance; (d) of securities of the Central Government.	
65.	TRANSFER OF LEASE by way of assignment and not by	The same duty as is leviable on lease

	way of underlease or by way of decree or final order passed by any Civil Court or any Revenue Officer.	under clause (i), (ii), (iii) or (iv), as the case may be, of Article 33, for the remaining period of Lease
66.	TRUST	
	A. Declaration of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will—	
	(a) where there is disposition of property—	
	(i) where the Trust is made for a religious or charitable purpose;	2% a sum equal to the amount settled or market value of the property settled
	(ii) in any other case.	The same duty as is leviable on a conveyance under clause (a), (b), or (c), as the case may be, of Article 22, for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled.
	(b) where there is no disposition of property—	
	(i) where the trust is made for religious or charitable purpose.	Rs. 500/-
	(ii) in any other case	Rs. 500/-
	B. Revocation of, or concerning, any property when made by any instrument other than a Will.	Rs. 500/-
	See also Settlement (Article 60)	
67.	WARRANT FOR GOODS, that is to say, any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	Rs. 20/-
68.	WORKS CONTRACT, that is to say, a contract for works and labour or services involving transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) in its execution and includes a sub-contract—	
	(a) where the amount or value set forth in such contract does not exceed Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs).	Rs. 500/-
	(b) where it exceeds Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs).	Rs. 500/- plus 0.1 % of the amount above Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) subject to maximum of Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty-Five Lakhs)".

[F. No. U-11025/2/2021-UTL]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.18 23:09:19 +05'30'